Wednesday, 16 March, 1955

लोक-सभा
वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

खंड १, १९५५

(२२ फरवरी से २२ मार्च, १९५५)

1st Lok Sabha
(Session IX)

Preservation Unit
1-4-97
Fumigated
On 11.11.83
Parliament Library

नवां सत्र, १९५५

(खंड १ म अंक १ से अंक २० तक हैं)

विषय—सूची

खंड १ (अंक १ से २०—२२ फरवरी से २२ मार्च, १९५५)

अंक १—मंगलवार, २२ फरवरी १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या १ से ४, ६ से ८, १० से १८, २१ से २७, २९, ३०, ३२ से ३४, ३६ से ४१, ४३ और ४४ . १—४६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५, ९, १९, २८, ३१, ३५, ४२, ४५ और ४६ से ५२ . . . . ४६—५५

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से ८ ५५—६२

अंक २—बुधवार, २३ फरवरी, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५३, ९४, ११५, १३७, १२६, ५४ से ६१, ६४ से ६६, ६९ से ७२, ७४, ७६ से ७८, ८२ से ८५, ८७ से ९१, ९३ . . ६३—१०९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६२, ६३, ६७, ६८, ७२, ७५, ७९ से ८१, ८६ ९२, ९५ से ११४, ११६ से १२५, १२७ से १३६, १३८ . १०९—१३८

अतारांकित प्रश्न संख्या ९ से ३९ . . १३९—१५८

अंक ३—गुरुवार, २४ फरवरी, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३९ से १४४, १४७, १५० से १५२, १७४, १९४, १५३, १५५, १६०, १६१, १८४, १६२ से १६५, १६९, १७१ से १७३, और १७५ से १८० . . १५९—२०४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४५, १४६, १४८, १४९, १५४, १५६ से १५९, १६६ से १६८, १७०, १८१ से १८३, १८५ से १९३ और १९५ से २०३ . . . . . २०४—२२२

अतारांकित प्रश्न संख्या ४० से ५४ और ५६ से ५८ . . . २२३—२३४

अंक ४—शुक्रवार, २५ फरवरी, १९५५

स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०४ से २०७, २१५, २१६, २१०, २१२, २१७, २१८, २२०, २२३ से २२६, २३०, २३२ से २३६ और २३८ से २४७ . . . २३५—२७८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०८, २०९, २११, २१३, २१४, २१९, २२१, २२२, २२७ से २२९, २३१, २३७, और २४८ से २८० २७८—३०५

अतारांकित प्रश्न संख्या ५९ से ६७ . ३०५—३१०

अंक ५—सोमवार, २८ फरवरी, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २८३ से २८७, २८९, २९१, २९२, २९४, २९६ से २९९, ३०२, ३०५, ३०६, ३११ से ३१९, ३२३ से ३२५, ३२७ से ३३१, ३३३ और ३३४ . . . ३११—३५९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २८१, २८२, २८८, २९०, २९३, २९५, ३००, ३०१, ३०३, ३०४, ३०७ से ३०९, ३२० से ३२२, ३२६, ३३२ और ३३५ से ३३९ . . . . . ३६०—३७२

अतारांकित प्रश्न संख्या ६८ से ८२ . . . ३७२—३८०

अंक ६—मंगलवार, १ मार्च, ९९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३४० से ३४२, ३८४, ३४३, ३४५, ३४७, ३४८, ३५० से ३५२, ३५५, ३५६, ३५८, ३८१, ३५९, ३६०, ३६२, ३८५, ३९५, ३६३ से ३७३, ३७५, ३७७ और ३७८ . . ३८१—४२७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३४४, ३४६, ३४९, ३५३, ३५४, ३५७, ३६१, ३७४, ३७६, ३७९, ३८२, ३८३, २८६ से ३९४, ३९६ और ३९७ . . . . . ४२८—४३९

अतारांकित प्रश्न संख्या ८३ से ९८ . ४३९—४४८

अंक ७—बुधवार, २ मार्च, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९९ से ४०१, ४०३, ४०४, ४०६, ४०८ से ४१०, ४१२ से ४१५, ४१८ से ४२०, ४२३, ४२५, ४२८ से ४३०, ४३२, ४३४, ४३५, ४३७ और ४४१ से ४४८ . ४४९—४९३

अल्प सूचना प्रश्न तथा उत्तर ४९३—४९५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ३९८, ४०२, ४०५, ४०७, ४११, ४१६, ४१७, ४२२, ४२४, ४२६, ४२७, ४३१, ४३३, ४३६ ४३८ सें ४४० और ४४९ से ४५५ ४९५–५०९

अतारांकित प्रश्न संख्या ९९ से १०५ ५०९–५१४

अंक ८—गुरुवार, ३ मार्च, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३५८, ४५९, ४६१, ४६४—४७३, ४७५, ४७६ ४७८, ४७८क, ४७९, ४८०, ४८२, ४८३, ४८५, ४८९ और ४९१–४९४ . . . ५१५–५६०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४५६, ४५७, ४६०, ४६२, ४६३, ४७४, ४७७, ४८१, ४८६—४८८, ४९०, ४९५—५०२ और ५०४–५३४ ५६०–५९१

अतारांकित प्रश्न संख्या १०६–१२८ . . . ५९१–६०८

अंक ९—शुक्रवार, ४ मार्च, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५३८, ५४० से ५४७, ५५०, ५५९, ५५१-क, ५५२, ५५४ से ५५६, ५६०, ५६१, ५६३, ५६४, ५६६, ५६७, ५७० से ५७३ और ५७५ से ५७८ . . . ६०९–६५२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५३५ से ५३७, ५३९, ५४८, ५४९, ५५३, ५५७ से ५५९, ५६२, ५६५, ५६८, ५६९, ५७४, और ५७९ से ५८२ ६५२–६६२

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या २ . . . . ६६३–६६४

अतारांकित प्रश्न संख्या १२९ से १३९ . . ६६४–६७०

अक १०—सोमवार, ७ मार्च, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५८५ से ५९६, ५९८ से ६०१, ६०३, ६०७, ६१० से ६१५, ६१९ से ६२३, ६२५, ६२६, ६२९ से ६३३, ६३५, ६३६, ६३८, ६३९ और ६४१ . . . ६७१–७१९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकिन प्रश्न संख्या ५८३, ५८४, ५९७, ६०२, ६०४ से ६०६, ६०८, ६०९, ६१६ से ६१८, ६२४, ६२७, ६२८, ६३७ और ६४० . ७१९–७२८

अतारांकित प्रश्न संख्या १४० से १५४ . . ७२८–७३६

अंक ११—गुरुवार, १० मार्च १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ६४३, ६४५ से ६५०, ६५३, ६५४, ६५६, ६५७, ६६०, ६६३, ६६४, ६६५, ६६७, ६७२, ६७३, ६७५ से ६७७, ६७९ से ६८२, ६८६, ६८७, ६८९ से ६९१, ६९४ से ६९९, ७०२, ७०५ और ७०९ . . . . ७३७—७८७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६४२, ६४४, ६५१, ६५२, ६५५, ६५८, ६५९, ६६१, ६६२, ६६६, ६६८ से ६७१, ६७४, ६७८, ६८४, ६८५, ६८८, ६९२, ७००, ७०२, ७०३, ७०४, ७०६ से ७०८, ७१० से ७१७ और ७१९ से ७२९ ७८७—८१४

अतारांकित प्रश्न संख्या १५५ से २०५ . . ८१४—८४६

अंक १२—शुक्रवार, ११ मार्च १९५५

सदस्य द्वारा शपथ-ग्रहण . . . ८४७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७३१ से ७३५, ७३७, ७४२, ७४५, ७५०, ७५१, ७५५, ७५९, ७६१, ७६२, ७६५ से ७६७, ७६९, ७७०, ७७२ से ७७९, ७८१, ७८३, ७८५, ७८६, ७९०, ७९२ से ७९४, ७९६, ७९८ और ७९९ . . . ८४७—८९५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७३०, ७३६, ७३८ से ७४१, ७४४, ७४६ से ७४९, ६५२ से ७५४, ७५६ से ७५८, ७६०, ७६३, ७६८, ७७१, ७८०, ७८२, ७८४, ७८७ से ७८९, ७९१, ७९५, ७९७ और ८०० ८९६—९१३

अतारांकित प्रश्न संख्या २०६ से २२२ ९१३—९२८

अंक १३—शनिवार, १२ मार्च, १९५५

सदस्य द्वारा शपथ-ग्रहण . . . ९२९

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८०१, ८०३ से ८०५, ८०७, ८१२, ८१३, ८६०, ८१४, ८१५, ८१७, ८१९ से ८२३, ८२६, ८३१, ८३४ से ८३६, ८४५, ८३८, ८४०, ८४२, ८४४, ८४६, ८४९, ८५२ और ८५४ ९२९—९७२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८०२, ८०६, ८०८ से ८११, ८१६, ८१८, ८२४, ८२५, ८२७ से ८३०, ८३२, ८३७, ८४१, ८४३, ८४७, ८४८, ८५०, ८५१, ८५३, ८५५, ८५७ से ८५९ और ८६१ से ८६३ . ९७३—९८९

अतारांकित प्रश्न संख्या २२५ से २४५ . . ९८९—१००४

अंक १४—सोमवार, १४ मार्च, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर— **स्तम्भ**

तारांकित प्रश्न संख्या ८६४ से ८६८, ८७१ से ८७४, ८७७, ८७८, ८८१, ८८३, ८८५, ८८८, ८९१, ८९२, ८९४, ८९५, ८९७, ९००, ९०१, ९०३, ९०४, ९०६, ९०७, ९१०, ९१५, ९१७, ९१८, ९२० और ९२१ . . . . . १००५—१०५१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८६९, ८७०, ८७५, ८७६, ८७९, ८८०, ८८२, ८८४, ८८६, ८८७, ८८९, ८९०, ८९३, ८९६, ८९८, ८९९, ९०२, ९०८, ९०९, ९११ से ९१४, ९१६, ९१९ और ९२२ से ९५४ . . . . . १०५१—१०८४

अतारांकित प्रश्न संख्या २४६ से २७५ . . . १०८४—११०८

अंक १५—मंगलवार, १५ मार्च, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९५५ से ९६७, ९६९, ९७०, ९७४, ९७५, ९७७, ९७९ से ९८२, ९८४ से ९९०, ९९२ से ९९६, ९९९ से १००२ और १००४ से १०१० . . . . ११०९—११५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९६८, ९७१ से ९७३, ९७८, ९८३, ९९१, ९९७, ९९८ और १००३ . . . . . ११५६—११६१

अतारांकित प्रश्न संख्या २७६ से २९२ . . ११६१—११७०

अंक १६—बुधवार, १६ मार्च १९५५

सदस्य द्वारा शपथ-ग्रहण ११७१

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०११ से १०१८, १०२०, १०२१, १०२३ से १०२६, १०२८, १०३०, १०३४, १०३५, १०३७, १०३९, १०४२, १०४३, १०४७ से १०४९ और १०५१ से १०६३ . ११७१—१२२०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०२२, १०२७, १०२९, १०३१ से १०३३, १०३६, १०३८, १०४०, १०४१, १०४४ से १०४६, १०५० और १०६४ से १०८८ . . . . . १२२०—१२४४

अतारांकित प्रश्न संख्या २९३ से ३०९ . . . १२४४—१२५४

अंक १७—गुरुवार, १७ मार्च, १९५५ स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०८९ से १०९१, १०९३, १०९६ से ११००, ११०२ से ११०४, ११०९, १११५, १११६, १११८, ११२० से ११२४, ११२६, ११२८, ११२९, ११३२ से ११३४, ११३६ और ११३७ . . . . . १२५५—१२९७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०९२, १०९४, १०९५, ११०१, ११०५ से ११०८, १११० से १११४, १११७, १११९, ११२५, ११२७, ११३१, ११३५, ११३८ से ११६८, ११७० और ११७१ . १२९८—१३२४

अतारांकित प्रश्न संख्या ३१० से ३३६ . . . १३२४—१३४०

अंक १८—शुक्रवार १८ मार्च, १९५५

सदस्य द्वारा शपथ-ग्रहण १३४१

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११७२ से ११७८, ११८० से ११८२, ११८४ से ११८८, ११९०, ११९३, ११९४, ११९६ से १२००, १२०३, १२०५, १२०८ से १२१०, १२१२ से १२१४, १२१६, १२१८ से १२२१ और १२२४ . . . . १३४१—१३८७

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या ३ और ४ . . . . १३८७—१३९१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११७९, ११८३, ११८९, ११९१, ११९२, ११९५, १२०१, १२०२, १२०४, १२०६, १२०७, १२११, १२१५, १२१७, १२२२, १२२३ और १२२५ से १२३० . . १३९१—१४०३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३३७ से ३४६ . . . १४०३—१४०८

अंक १९—सोमवार, २१ मार्च, १९५५

सदस्य द्वारा शपथ-ग्रहण १४०९

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२३१, १२३३ से १२३६, १२३८, १२४१, १२४३, १२४५ से १२४७, १२५०, १२५२ से १२५९, १२६१, १२६२, १२६५, १२६६, १२६८ से १२७१, १२७४, १२७५, १२७७, १२७९ और १२८० . . . १४०९—१४५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२३२, १२३७, १२३९, १२४०, १२४२, १२४४, १२४८, १२४९, १२५१, १२६०, १२६३, १२६४, १२६७, १२७२, १२७३, १२७६, १२७८, १२८१ से १२८३ और १२८५ से १२९४ . . . . . १४५६—१४७३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३४७ से ३७६ . . . १४७४—१४९४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२९६—१३००, १३०४, १३०६, १३०७, १३०९, १३१३, १३१४, १३१८, १३१९, १३२१, १३२३—१३२७, १३३०, १३३२—१३३४, १३४०—१३४३, १३४६—१३५१, १३५३, १३५५, १३५७, १३६० . . . . . १४९५—१५४२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२९५, १३०१—१३०३, १३०५, १३०८, १३१०—१३१२, १३१५—१३१७, १३२०, १३२२, १३२८, १३२९, १३३१, १३३८–१३३९, १३४४, १३४५, १३५२, १३५४, १३५६, १३५८, १३५९, १३६१—१३६६ . . १५४३—१५६०

अतारांकित प्रश्न संख्या ३७७—४१५ . . . . १५६०—१५८६

अनुक्रमणिका . १—१२६

GIPND—NSH—6LS—27-11-56—240

लोक-सभा

बुधवार, १६ मार्च, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

श्री राजा राम शास्त्री (जिला कानपुर—मध्य)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

दामोदर घाटी परियोजना

*१०११. **श्री कासलीवाल:** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घाटी के ऊपरी भाग में, जहां से वर्षा का जल घाटी में आता है भूमि कटाव होने के कारण सम्पूर्ण दामोदर घाटी परियोजना को भय उत्पन्न हो गया है, और क्या उस से बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई जल और सस्ते विद्युत् उत्पादन की योजनायें अस्तव्यस्त हो गई हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि भूमि के कटाव को रोकने के लिये अब तक जो भी कार्यवाही की गई है वह अपर्याप्त और अप्रभावी सिद्ध हुई हैं ; और

(ग) इस भय को दूर करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग). एक विवरण जिसमें अपेक्षित जानकारी दी है, सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३१]**

श्री कासलीवाल : क्या माननीय मंत्री का ध्यान श्री एमहर्स्ट के वक्तव्य की ओर आकर्षित किया गया है, जो सुविख्यात अंग्रेजी कृषि-विशेषज्ञ हैं और जिनका दामोदर घाटी की योजना से प्रारम्भ से सम्बन्ध है, कि ऊपरी भाग में जहां से वर्षा का पानी बह कर आता है, भूमि कटाव ने ४५ लाख एकड़ भूमि में से १० लाख एकड़ भूमि को प्रभावित किया है ?

श्री हाथी : इस बात की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है। वास्तव में, आपकी अनुमति से, मैं थोड़ा समय और लूंगा। वह भूमि परिरक्षण कार्य में कृषकों के सहयोग पर ज़ोर देना चाहते थे। इस सम्बन्ध में उन्होंने जो कहा है, मैं उसमें से कुछ पंक्तियों का उल्लेख करता हूं : "यही कारण है कि मैंने दामोदर घाटी निगम के केन्द्र, हज़ारीबाग में भूमि परिरक्षण सेवा की जांच करने के अवसर का स्वागत किया है। भूमि परिरक्षण कार्य के दो रूप हैं। एक यह है कि हाथ से कृषि करने वाले कृषकों

व वनों का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों की उपेक्षा करना और भूमि कटाव को रोकने के लिये बड़े बड़े यन्त्रों तथा इंजीनियरिंग उपायों पर निर्भर होना । यह ढंग सदैव ही लागत वाला होगा और कभी भी पूर्ण रूप से प्रभावी न होगा । बांधों तथा उन सेवाओं, जिन के लिये वे बनाये जाते हैं, के निरन्तर उत्तम रूप का सर्वोत्तम संरक्षण यह है कि जिस भाग से वर्षा का पानी आता है उस के कृषकों का विश्वासपात्र बना जाये और उन का सहयोग प्राप्त किया जाये । यह आजकल किया जा रहा है ।"

श्री के० के० बसु : उस दस लाख एकड़ बेकार भूमि के कटाव को रोकने के लिए क्या ठोस कार्यवाही की जा रही है, जिस पर उन्होंने बहुत जोर दिया है ।

श्री हाथी : की जाने वाली अनेकों कार्यवाहियों का वर्णन विवरण में है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : एक श्री गौरी हैं जिन्हें एक व्यापक योजना बनाने के लिए कहा गया है । क्या ऐसी योजना तैयार हो गई है, और यदि हां, तो क्या सरकार ने यह स्वीकार कर ली है ।

श्री हाथी : उन्हों ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है और दामोदर घाटी निगम उसे कार्यान्वित कर रहा है ।

डा० सुरेश चन्द्र : क्या सरकार को विशेषज्ञों का यह मत विदित है कि लगभग ३० वर्ष पश्चात् ये सारे बांध नष्ट हो जायेंगे ?

श्री हाथी : श्री एमहर्स्ट ने यह नहीं कहा है । उन का यही विचार था जो मैं ने अभी उन्हीं के शब्दों में दोहराया है ।

श्री पी० सी० बोस : क्या सरकार ने नदी के दोनों तटों पर के गांवों के लोगों में अपनी भूमि की कटाव से रक्षा करने का प्रचार करने के लिये कोई कार्यवाही की है ?

श्री हाथी : यह किया जा रहा है ।

बर्मा शैल तेल शोधक कारखाना

*१०१२. **सरदार हुक्म सिंह :** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बर्मा शैल तेल शोधक कारखाने में कब कार्य आरम्भ होगा ; और

(ख) क्या शोधन के लिए साफ नहीं किया हुआ तेल कारखाने में पहुंच गया है ?

उत्पादन मंत्री के सभा सचिव (श्री आर० जी० दुबे) : (क) बर्मा शैल तेल कारखाने में ३०-१-५५ को कार्य आरम्भ हो गया है ।

(ख) जी हां ।

सरदार हुक्म सिंह : अब तक कारखानों से कितने पैट्रोलियम, उत्पाद बिकने के लिए बाहर निकाले गये हैं ?

श्री आर० जी० दुबे : मैं पूर्व सूचना चाहता हूं । यदि पूर्व सूचना दी जाती है तो यह सूचना दी जा सकती है ।

सरदार हुक्म सिंह : कारखाने में आज-कल साफ नहीं किया हुआ कितना तेल रखा जा सकता है ?

श्री आर० जी० दुबे : २० लाख टन ।

डा० राम सुभग सिंह : इस कारखाने में शोधक-कार्य आरम्भ होने के परिणाम-स्वरूप क्या पैट्रोलियम के मूल्य में कोई गिरावट आयेगी ?

श्री आर० जी० दुबे : मूल्य के प्रश्न पर मंत्रालय विचार नहीं कर रहा है । परन्तु

विद्यमान परिस्थितियों में, यह सोचा जाता है कि शायद मूल्य कम न हों ।

सरदार हुक्म सिंह : आजकल इस कारखाने में क्या क्या पैट्रोलियम उत्पाद बनेंगे ?

श्री आर० जी० दुबे : आजकल ये वस्तुयें बनती हैं : मिट्टी का तेल, तीव्र गति का डीजल तेल, हल्का तेल, गैसोलीन, आदि ।

कम्बोडिया

*१०१३. **श्री एस० एन० दास : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्बोडिया सरकार ने नई दिल्ली में अपना दूतालय खोलने की इच्छा प्रकट की है ;

(ख) अब तक यदि सरकार ने भारत तथा कम्बोडिया के बीच सम्बन्धों को सुदृढ़ बनाने के लिए कोई कार्यवाही की है, तो क्या है ;

(ग) क्या कोलम्बू योजना के अधीन उस देश को कोई सहायता दी जायेगी; और

(घ) यदि हां, तो किस प्रकार की और कितनी ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां) : (क) कम्बोडिया की सरकार से हमें कोई औपचारिक प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) जी हां । हम ने कम्बोडिया में एक विशेष दूतालय खोला है । कम्बोडिया का एक प्रतिनिधि मंडल नरोत्तम सिहानोक नरमन के नेतृत्व में, जिस में कम्बोडिया के प्रधान मंत्री भी हैं, आज मध्यान्ह पश्चात् दिल्ली पहुंच रहा है ।

(ग) तथा (घ) जी नहीं ।

श्री एस० एन० दास : क्या भारत सरकार ने कम्बोडिया सरकार को और हिन्द-चीन के अन्य राज्यों की सरकार को औपचारिक मान्यता दी है और यदि हां, तो कब से ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): हिन्द-चीन के विभिन्न राज्य आजकल जेनेवा करार को कार्यान्वित कर रही हैं । भारत सरकार उन से राज्यस्तर पर व्यवहार कर रही है और वही औपचारिक मान्यता है । मैं लगभग राज्यस्तर पर ही हिन्द-चीन के चारों राज्यों में घूमा था । इन में से तीन राज्यों में हमारे महा वाणिज्य दूत हैं और कम्बोडिया में विशेष दूतावास है । अभी कम्बोडिया के अतिरिक्त इन तीन राज्यों में हमारे कूटनीतिक मण्डल नहीं हैं, परन्तु जैसा कि मैं बता चुका हूं, कार्यरूप में हम चारों राज्यों को मान्यता दे चुके हैं और हम उन से प्रत्यक्ष वार्ता करत हैं ।

श्री टी० के० चौधरी : क्या प्रधान मंत्री का कथन चारों राज्यों पर लागू होता है, क्योंकि मैं समझता हूं कि वीतनाम में दो राज्य हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैंने चार कहा था, अर्थात् कम्बोडिया के अतिरिक्त तीन; या चार ।

पूर्वोत्तर सीमान्त एजेंसी

*१०१४. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के उत्तरी सीमावर्ती प्रदेशों की विकास योजनाओं में सहयोग तथा सामंजस्य स्थापित करने के लिये जिस विशेष पदाधिकारी की नियुक्ति की गई है उस की सिफारिशों के आधार पर विकास

योजनाओं की पूर्ति के लिये चालू वित्तीय वर्ष में कुल अनुदान स्वीकृत किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन का ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री जे० एन० हज़ारिका) : (क) तथा (ख). सीमावर्ती प्रदेशों के विशेष पदाधिकारी का कार्य, उन देशों में सामाजिक शिक्षा सम्बन्धी और विकास योजनाओं को गतिवान करने के लिये, राज्य सरकारों, प्लानिंग कमीशन और इस कार्य से सम्बन्धित केन्द्रीय मंत्रालयों में एकीकरण स्थापित करना है । वह एसी योजनाओं को न तो स्वयं बनाते ही हैं और न कोई सिफारिश ही करते हैं । यह कार्य राज्य सरकारों का है किन्तु उन्होंने कुछ सीमावर्ती प्रदेशों का देशाटन कर के लाभदायक कार्य किया है और विभिन्न योजनाओं पर राज्य सरकारों से और जो इन योजनाओं से सम्बन्धित हैं, उन से वाद-विवाद किया है ।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि यह जो विशेष पदाधिकारी नियुक्त किये गये हैं, इनका वास्तव में कार्य क्या है ? मतलब यह है कि जो प्रान्त की सरकारें योजनायें भेजेंगी, उन की जांच करने के बाद, क्या उन को केन्द्रीय सरकार की ओर से कुछ अनुदान दिये जायेंगे या केवल परामर्श देना ही उन का काम होगा ?

श्री जे० एन० हज़ारिका : प्रस्तावित योजनाओं के लिये विशेष अनुदानों की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि वे राज्यों के सामुदायिक विकास योजनाओं के लिये स्वीकृत धन में से पूर्ण हो जायेंगी ।

श्री भक्त दर्शन : उत्तर सीमावर्ती क्षेत्रों के बारे में जिस अधिकारी की नियुक्ति की गयी है, अभी तक उन्होंने किन किन इलाकों का दौरा किया है और आगे क्या शेष इलाकों का दौरा करने के बारे में कोई योजना वगैरह बनाई है, या कोई प्रोग्राम बनाया है ?

श्री जे० एन० हज़ारिका : इस के बारे में मुझे मालूम नहीं है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : इन परियोजनाओं में आदिम जाति के कितने पदाधिकारी और अन्य कर्मचारी कार्य करते हैं ?

श्री जे० एन० हज़ारिका : मेरे पास इस की कोई जानकारी नहीं है ।

खादी के सम्बन्ध में ब्यौरा

*१०१५. **श्री डाभी :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री १८ नवम्बर, १९५४ के तारांकित प्रश्न संख्या १५३ के उत्तर के सम्बन्ध में, यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को प्रति वर्ष कुल कितन कपड़े की आवश्यकता होती है ;

(ख) १९५४-५५ में इस में से कितनी आवश्यकता की पूर्ति खादी से होगी ; और

(ग) क्या सरकार की इच्छा निकट भविष्य में अपनी कपड़ा सम्बन्धी अधिकतर आवश्यकता को खादी से पूर्ण करने की है ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) लगभग १९० लाख गज ।

(ख) लगभग १५ लाख गज ।

(ग) स्वीकार्य खादी विकल्पों की प्राप्यता, निश्चित दिनांक तक मांग करने वालों को उन का संभरण और व्यय में कमी के विचार की दृष्टि से यथासम्भव आवश्यकता की पूर्ति की जायेगी ।

श्री डाभी : सरकार की कौन सी वस्त्र आवश्यकता खादी से पूर्ण नहीं हो सकती ?

सरदार स्वर्ण सिंह : रक्षा तथा सुरक्षा सम्बन्धी कर्मचारियों की वर्दियां ।

श्री डाभी : क्या खादी का मूल्य, सरकार द्वारा खादी का प्रयोग करने में बाधक होता है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : श्रीमान्, सदैव नहीं । अन्यथा, हम उन सब वस्तुओं का क्रय नहीं कर पाते जिन का उल्लेख मैं ने किया है ।

श्री डाभी : क्या सरकार कम से कम उस समय जब कि उपयुक्त खादी प्राप्त हो, अपनी कपड़ा सम्बन्धी आवश्यकता खादी से पूरी करेगी ?

सरदार स्वर्ण सिंह : प्रश्न के भाग (ग) में मैं पहिले ही यह बता चुका हूं ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या मैं यह जान सकता हूं, कि खादी खरीदने में यह ध्यान रखा जायेगा कि उसमें स्प्यूरियस खादी न आ जाय ?

सरदार स्वर्ण सिंह : खादी खरीदी जायेगी । जाहिर है कि इस की कोशिश की जायेगी कि खादी में कोई और चीज न आ जाय ।

दादरी शाखा

***१०१६. श्री चिनारिया :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेप्सू सरकार ने दादरी शाखा के विकास के लिये ३० लाख रुपये का दीर्घकालीन ऋण मांगा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार यह धन देने का है ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) तथा (ख). यह योजना राज्य योजना में सम्मिलित कर दी गई है और अपेक्षित वित्त राज्य सरकार के परामर्श से दिया जायेगा ।

जापान

***१०१७. श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २७ फरवरी, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ४६५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान सरकार ने जापान में भारत के और उस के राष्ट्रजनों के किसी प्रकार के सभी अधिकार अथवा हित और स्पर्शनीय अथवा अस्पर्शनीय संपत्ति जो ७ दिसम्बर, १९४१ और २ सितम्बर, १९४५ के बीच जापान में थी, लौटा दी है ; और

(ख) यदि हां, तो लौटायी गयी संपत्ति का मूल्य कितना है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख) भारतीय संपत्तियों में से कोई भी संपत्ति, जिस के लिये भारत सरकार के जरिये दावे किये गये थे, अब तक जापान सरकार द्वारा नहीं लौटायी गयीं हैं और जापान सरकार के साथ वार्तायें चल रही हैं ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या मैं जान सकता हूं कि ये वार्तायें कब तक पूरी होंगी ।

श्री करमरकर : उस में शायद कुछ थोड़ा समय लगेगा ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या मैं जान सकता हूं कि भारतीय राष्ट्रजनों की संपत्तियों के सम्बन्ध में १९५२ के समझौते की शर्तें क्या हैं ?

श्री करमरकर : मैं सूचना चाहता हूं, क्योंकि सारी चीज प्रलेखों में उपलब्ध हैं जिन को माननीय सदस्य आसानी से प्राप्त कर सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : समझौता सभा-पटल पर रखा जाना चाहिये ।

श्री करमरकर : मेरे विचार से वह सभा के पुस्तकालय में होना चाहिये, अन्यथा मैं उसे प्रस्तुत कर दूंगा ।

डा० सुरेश चन्द्र : क्या मैं जान सकता हूं कि यह भारतीय राष्ट्रीय सेना और जापान में आजाद हिन्द की अस्थायी सरकार की संपत्ति के सम्बन्ध में लागू होता है ?

श्री करमरकर : यह सभी भारतीय राष्ट्रजनों पर लागू होता है । भारतीय राष्ट्रीय सेना के बारे में, मुझे सूचना की आवश्यकता है ।

श्री भागवत झा आज़ाद : क्या मैं जान सकता हूं कि जापान सरकार के पास जो संपत्ति अब भी पड़ी हुई है उस का लगभग मूल्य कितना होगा ?

श्री करमरकर : भारतीय दावे कुल २८७ लाख रुपये के थे । ये सभी दावे १९५३ के पूर्व उचित प्रकार से प्रस्तुत किये गये थे ।

राज्यों की सड़कें

*१०१८. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या योजना मंत्री पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में यह बताया गया हो कि :

(क) १९५१-५६ के बीच पंजाब में "राजकीय सड़कों" के पद के आधीन प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत (१) कितने मील सड़क तैयार हो चुकी है (२) कितनी अभी बन रही है और (३) कितनी अभी बनायी जाने वाली है ; और

(ख) कितनी धनराशि इस कार्य के लिये आवंटित की गयी थी और अब तक कितनी धनराशि काम में लायी गयी है ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : (क) (१) १०५ मील ।

(२) १६५ मील ।

(३) ५१० मील ।

(ख) आवंटित धनराशि ३१०.६१ लाख रुपये ।

अब तक उपयोग जी गयी धनराशि ८३.९९ लाख रुपये ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि जो कोटा राज्य सरकार को आवंटित किया गया है, उसे पूरा करना राज्य सरकार के लिए संभव होगा और यह देखने के लिये कि इस लक्ष्य की पूर्ति होती है सरकार क्या प्रयत्न कर रही है ?

श्री एस० एन० मिश्र : अब योजना शीघ्रता से कार्यान्वित की जा रही है और हम आशा करते हैं कि वह बहुत कुछ भाग को पूरा कर सकेगी ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि राज्य सरकार के लिये इस अन्तर को पूरा करना किस प्रकार सम्भव होगा क्योंकि ३१० लाख रुपये में से उस ने केवल ८३ लाख रुपये की सड़क तैयार की है ?

श्री एस० एन० मिश्र : यदि माननीय सदस्य ब्यौरे को देखें तो स्थिति कुछ अधिक स्पष्ट हो जायगी । और ब्यौरा कोई लम्बा-चौड़ा नहीं है । मूल योजना के सम्बन्ध में अधिकतर ये योजनायें पूरी की जा चुकी हैं किन्तु अभी हाल में कुछ रद्दोबदल हुई है ।

इस रद्दोबदल में कुछ कमी दिखाई देती है और विशेष कर इन में से अधिकतर योजनायें चालू वित्तीय वर्ष में ही मंजूर की गई थीं। इसलिये अधिकतर प्रारंभिक बातें और नकशे पूरे नहीं हो सके थे।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या माननीय मंत्री को इस लक्ष्य के पूरा करने में जनता द्वारा किये गये ऐच्छिक श्रम तथा अन्य वस्तुओं के रूप में किये गये अंशदान का कोई अनुमान है ?

श्री एस० एन० मिश्र : मैं नहीं समझता कि इस सम्बन्ध में हमारे पास कोई आंकड़े हैं।

प्रलेखीय चल-चित्र

***१०२०. श्री मुरारका :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने प्रलेखीय चलचित्रों की किस्म सुधारने के लिये क्या कार्यवाहियां की हैं जिससे कि उन्हें विदेशों में भी मान्यता प्राप्त हो सके ; और

(ख) क्या सरकार प्राक्कलन समिति द्वारा अपने ग्यारहवें प्रतिवेदन के पैरा २२ में की गयी सिफारिशों के अनुसार इस उद्देश्य के लिये गैर-सरकारी व्यक्तियों का एक मंत्रणा बोर्ड स्थापित करने की प्रस्थापना करती है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) और (ख). चलचित्र विभाग द्वारा निर्मित प्रलेखीय चलचित्रों को अनेक अन्तर्राष्ट्रीय उत्सवों में पारितोषिक प्राप्त हुये हैं और उनकी उत्तमता को अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में मान्यता प्राप्त हुई है। विषयों के चुनाव के लिए मंत्रणा बोर्ड की स्थापना के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति की सिफारिशें विचाराधीन हैं।

श्री मुरारका : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार के विचार के अनुसार प्रलेखीय चलचित्रों के निर्माण कार्य में अब कोई अग्रेतर सुधार करने की आवश्यकता नहीं है ?

डा० केसकर : प्रलेखीय चलचित्रों के निर्माण कार्य अथवा सरकारी काम के किसी अन्य ऐसे विभाग के सम्बन्ध में, हम यह समझते हैं कि सुधार अवश्यक है और उसके लिये हम अनुबरत प्रयत्न करते रहते हैं। जो उत्तर दिया गया है वह आज की स्थिति में चलचित्रों की उत्तमता के सम्बन्ध में है।

श्री टी० के० चौधरी : क्या मैं जान सकता हूं कि जहां तक निजी प्रदर्शनियों का सम्बन्ध है, विदेशों में हमारे चलचित्रों की मांग कितनी है ?

डा० केसकर : विदेशों में हमारे चलचित्रों की मांग बहुत अधिक बढ़ती जा रही है और हमने योरप के महाद्वीप के कुछ वितरक अभिकरणों से अपने प्रलेखीय चलचित्रो के प्रदर्शन के लिये ठेका किया है। उन देशों में, जहां की सरकारें इस काम को करती हैं, हमने अनेक सरकारों को निजी सिनेमाघरों में प्रदर्शन के लिये भी अपने चलचित्र भेजे हैं।

डा० सुरेश चन्द्र : उन विदेशों में अब तक हमारे कितने प्रलेखीय चलचित्र दिखाये गये हैं ?

डा० केसकर : मुझे सूचना की आवश्यकता होगी।

राज्य द्वारा व्यापार

***१०२१. पंडित डी० एन० तिवारी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि :

(क) ऐसी कौन कौन सी वस्तुयें हैं जिनका आयात और निर्यात केवल

सरकार द्वारा ही किया जाता हो ; और

(ख) दूसरे व्यापारियों को इन वस्तुओं के आयात तथा निर्यात की अनुमति न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३२]**

श्री डी० एन० तिवारी : मालूम होता है कि सरकारी तौर पर केवल दो वस्तुओं का ही आयात किया जाता है । क्या मैं जान सकता हूं कि इन पर सरकार को दलाली तथा अन्य प्रकार के रूप में कितनी धनराशि देनी पड़ती है ?

श्री करमरकर : सामान्य व्यय सामान्य शर्तों के अधीन ही किये जाते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : वह दलाली के बारे में जानना चाहते हैं ।

श्री करमरकर : दलाली किसे ? हम उन्हें आयात करते हैं ।

श्री डी० एन० तिवारी : व्यवस्था सम्बन्धी व्यय क्या हैं ?

श्री करमरकर : आयात की व्यवस्था करन के लिये ? मेरे विचार से वह मंत्रालय का कार्य है जिसे अलग करना कठिन है ।

श्री कासलीवाल : क्या यह तथ्य नहीं है कि सरकार प्रत्यक्ष राज्य द्वारा व्यापार के हेतु से व्यापार करने का विचार करती है ?

श्री करमरकर : हमारे विचार कल्पनात्मक हैं । मैं अभी एकाएकी कुछ नहीं कह सकता हूं ।

बेरोजगारी

*१०२३. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **योजना मंत्री** सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि :

(क) बेरोजगारी दूर करने के लिये १९५३-५४ में विभिन्न राज्य सरकारों को अनुदानों के रूप में कितनी धनराशि मंजूर की गई है ;

(ख) इन अनुदानों का आधार क्या है ;

(ग) बेरोजगारी को दूर करने में ये अनुदान कहां तक प्रभावकारी हुए हैं;

(घ) क्या सरकार बेरोजगारी को दूर करने के लिये कोई अन्य उपाय काम में लाने की प्रस्थापना करती है ; और

(ङ) यदि हां, तो उस का क्या ब्यौरा है ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : (क) से (ङ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३३]**

श्री विभूति मिश्र : स्टेटमेन्ट को देखने से पता चलता है कि मेरे प्रश्न में जो सी और डी पार्ट हैं उन का जवाब नहीं हैं । मैं मंत्री जी से उन का जवाब चाहता

श्री एस० एन० मिश्र : जी हां, यह प्रश्न बहुत मुनासिब है क्योंकि हम लोगों ने इस के बारे में बहुत कुछ गोलमटोल जवाब दिया था । किन्तु माननीय सदस्य इस से सहमत होंगे कि जहां रुपये खर्च किये जाते हैं वहां कितनी मात्रा में लोगों को काम मिलते हैं इस का हिसाब किताब लगाना जरा मुश्किल होता है । इसलिये कुछ समय लगेगा और तब हम उन को आवश्यक सूचना दे सकेंगे ।

श्री विभूति मिश्र : मैं एक बात जानना चाहता हूं । सरकार ने पढ़े लिखों को एम्प्लायमेन्ट दिया, लेकिन गांवों में ऐसे लोग भी रहते

हैं जिन के पास खेत तो हैं लेकिन उन की पैदावार थोड़ी है जिस के कारण उन के घरों में बेकारी है और गांव के मजदूरों में भी बेकारी है, उन की बेकारी को पूरा करने के लिये सरकार कौन सा कंस्ट्रक्टिव रास्ता सोचती है ?

श्री एस० एन० मिश्र : जिस समस्या की तरफ माननीय सदस्य ने ध्यान आकृष्ट किया है वह बड़ी व्यापक समस्या है और उस के बारे में सरकार अभी जिन योजनाओं पर विचार कर रही है, यानी दूसरी पंच वर्षीय योजना के सिलसिले में, उन से मैं समझता हूं उस पर काफी असर होगा ।

श्री टी० के० चौधरी : जहां तक मुझे स्मरण है सरकार ने बेरोजगारी को दूर करने के लिये सारे देश में प्राथमिक अध्यापकों की नियुक्ति के लिये १ करोड़ ७५ लाख रुपये की मंजूरी की घोषणा की थी । क्या मैं जान सकता हूं कि कितने प्राथमिक अध्यापक नियुक्त किये गये हैं ?

श्री एस० एन० मिश्र : मेरे विचार से माननीय सदस्य ने पटल पर रखे विवरण को पूरी तरह से नहीं पढ़ा है किन्तु फिर भी मैं बता दूं कि ६१ हजार से अधिक अथवा ६२ हजार के करीब अतिरिक्त अध्यापक और १०९९ सामाजिक शिक्षा कार्यकर्त्ता नियुक्त किये गये हैं ।

सर ईडन की भारत यात्रा

*१०२४. **श्री जी० पी० सिन्हा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सर ईडन की अभी हाल की भारत यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : सर एंथनी ईडन बैंकाक से लन्दन वापस जाते समय मैत्रीपूर्ण भेंट के लिये भारत आये थे और इस यात्रा का उपयोग समान हितों के विषयों पर चर्चा करने के लिये किया गया था ।

श्री जी० पी० सिन्हा : मैं समझता हूं कि ग्रेट ब्रिटेन के वैदेशिक सचिव ने हमारे प्रधान मंत्री से भेंट की थी । क्या समाचार-पत्रों की इस सूचना में कोई तथ्य है कि यह भेंट फारमूसा के सम्बन्ध में एक सम्मेलन बुलाने के प्रयत्नों का श्रीगणेश सिद्ध हुई है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : नहीं ।

श्री जी० पी० सिन्हा : क्या उस भेंट में होने वाले अफ्रीका-एशिया सम्मेलन पर कोई निर्देश किया गया था ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : हां, इस सम्बन्ध में कुछ बात हुई थी ।

जल-पथ संचार

*१०२५. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **सिंचाई और विद्युत् मंत्री** मंत्रालय के १९५३–५४ के वार्षिक प्रतिवेदन के पृष्ठ ५ के पद ३ का निदेश कर के यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के जलपथ संचार के विकास करने में नौवहन निदेशालय द्वारा अब तक कितनी प्रगति की गई है ; और

(ख) उस की अग्रेतर प्रगति में पड़ने वाली मुख्य बाधायें अब कौन सी हैं ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३४]**

श्री के० सी० सोधिया : विवरण के शीर्ष (क) के अन्तर्गत प्रायः वही उत्तर दिया गया है जो गत वर्ष के प्रतिवेदन

दिया गया था। प्रतिवेदन में जो कुछ बताया गया है उस के पश्चात् और क्या अग्रेतर उन्नति हुई है ?

श्री हाथी : विभिन्न नदियों पर सर्वेक्षण जारी रखे गये हैं।

श्री के० सी० सोधिया : क्या सरकार यह अनुभव नहीं करती है कि प्रगति धीमी है ?

श्री हाथी : नहीं।

भाखड़ा बांध

*१०२६. **श्री गिडवानी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भाखड़ा बांध के निर्माण पर अभी तक कुल कितना रुपया खर्च हुआ है ;

(ख) क्या यह सच है कि अब यह अनुभव किया जा रहा है कि बांध का स्थान उपयुक्त नहीं है ; और

(ग) क्या उस की फिर से जांच करने के लिये किन्हीं विशेषज्ञों को बुलाया जा रहा है ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) दिसम्बर, १९५४ के अन्त तक लगभग २४ करोड़ रुपये का खर्च हुआ है।

(ख) नहीं।

(ग) बांध की नींव के लिये ऊपर की ओर आने वाले नूत्तिक पत्थर (क्लेस्टोन) को ठीक करने के लिये कितनी गहराई तक खुदाई करने की आवश्यकता है, इस प्रश्न पर विचार करने के लिये परामर्शकों के बोर्ड की एक बैठक समवेत की जा रही है।

श्री गिडवानी : मूल प्राक्कलन क्या था और अन्तिम प्राक्कलन कितना है ?

श्री हाथी : अन्तिम प्राक्कलन का तो अभी पुनरीक्षण किया जा रहा है परन्तु सारे काम के कुल प्राक्कलन के लगभग १५५ करोड़ रुपये होने की संभावना है।

श्री गिडवानी : क्या यह सच है कि पंजाब सरकार ने किये गये खर्च के हिसाब की जांच करने के भारत सरकार के क्षेत्राधिकार पर सन्देह प्रकट किया है ?

श्री हाथी : यह प्रश्न कैसे उत्पन्न होता है ?

श्री गिडवानी : रुपया कौन दे रहा है ?

श्री हाथी : भारत सरकार पंजाब सरकार को ऋण दे रही है।

श्री झुनझुनवाला : जो जो परपज़ (प्रयोजन), उम्मीद की गई थी, यह भाखड़ा डैम सर्व करेगा, क्या वे सब परपज़ सर्व हो रहे हैं ? प्राक्कलन तैयार किये जाने के समय जो आशायें इस से लगाई थीं क्या वे पूरी हुई हैं ?

श्री हाथी : परियोजना के आरम्भ में जिन लाभों के प्राप्त होने की आशा की गई थी उन में कुछ प्राप्त किये जा चुके हैं तथा जुलाई, १९५४ में हम ने पानी भी चालू कर दिया है, एक विद्युत् केन्द्र पहले ही खुल चुका था, दूसरा १९५५ में खुल जायेगा और तब हम वे सभी लाभ प्राप्त कर सकेंगे जिन की कि आशा की गई थी।

श्री भागवत झा आज़ाद : पंजाब सरकार को केन्द्रीय सरकार द्वारा जो ऋण दिये गये हैं उन के खर्च करने के सम्बन्ध में क्या पंजाब सरकार को अधिकार था कि वह

जिस प्रकार चाहे उसे खर्च करे या केन्द्रीय सरकार को उन के हिसाब की जांच करने का अधिकार प्राप्त है ? यदि केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार प्राप्त है, तो पंजाब सरकार ने जो आपत्ति उठाई है उस के सम्बन्ध में सरकार को क्या कहना है ?

श्री हाथी : जहां तक आपत्ति का प्रश्न है, मुझे कोई जानकारी नहीं है कि पंजाब सरकार ने ऐसी कोई आपत्ति उठाई भी है या नहीं परन्तु यह ऐसा प्रश्न है जिस का निपटारा अन्य राज्यों के साथ साथ करना होगा क्योंकि भारत सरकार ऋण तो सभी राज्यों को दे रही है ।

दिल्ली के आस पास की बस्तियां

*१०२८. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के आस-पास नव-निर्मित्त बस्तियों में आवश्यक सुख सुविधाओं का प्रबन्ध करने के लिये सरकार द्वारा नियुक्त की गई विभागीय समिति ने अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उस प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है ; और

(ग) क्या उस में की गई सिफारिशों का परिपालन किया जा चुका है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे०के० भोंसले) : (क) हां ।

(ख) हां ।

(ग) जिन सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है उन का परिपालन किया जा रहा है ।

डा० राम सुभग सिंह : जो सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकार की जा चुकी हैं वह किस प्रकार की हैं और क्या उनका परिपालन किया जायेगा ?

श्री जे० के० भोंसले : लगभग १३ सिफारिशें हैं उन में प्रमुख दो ये हैं कि नगर-पालिका समितियां उतने शरणार्थी बस्तियों को अपने अधिकार में ले लें जिन में सुख सुविधायों की व्यवस्था की जा चुकी है, और जिन में इस प्रकार व्यवस्था नहीं की गई है, या तो केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग उन सुविधाओं की पूर्णरूपेण व्यवस्था करे या नगरपालिका समितियां उन की व्यवस्था करें और जो रुपया खर्च हो सरकार उस की पूर्ति कर देगी ।

डा० राम सुभग सिंह : इन बस्तियों की नगरपालिका समितियों द्वारा कब तक अपने अधिकार में ले लिये जाने की संभावना है ?

श्री जे० के० भोंसले : यह तो मैं बता नहीं सकता हूं, परन्तु हम आशा करते हैं जून के अन्त तक ऐसा हो जायेगा ।

श्री नन्द लाल शर्मा : क्या पीने वाले जल की सुविधा तथा माली व्यवस्था को इन क्षेत्रों में निवास करने वाली जनता के लिये जीवन की आवश्यकतायें समझा जाता है तथा इन के लिये क्या प्रबन्ध किया जा रहा है ?

श्री जे० के० भोंसले : हम तो सभी को, अतिसंयम के आधार पर बनायी गयी बस्तियों को भी, वही सुख सुविधायें दे रहे हैं ।

तुंगभद्रा परियोजना

*१०३०. **श्री शिवमूर्ति स्वामी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आन्ध्र राज्य की इस प्रस्थापना को स्वीकार कर लिया है

कि तुंगभद्रा परियोजना की दीवार की ऊंचाई १६३० से बढ़ा कर १६३५ फीट तक कर दी जाये ;

(ख) यदि हां, तो क्या तुंगभद्रा बोर्ड ने उस से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के सम्बन्ध में कोई प्रतिवेदन सरकार के पास भेजा है ; और

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में राज्य सरकार या तुंगभद्रा बोर्ड को कोई सुझाव दिये हैं ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) नहीं । जैसा कि पहले मंजूर हुआ था यह विचार किया गया था कि १६३३ फीट की उंचाई तक जल का संग्रह किया जायेगा, इस लिये १६३५ फीट तक की भूमि के अर्जन आवश्यकता उत्पन्न हुई थी । आन्ध्र सरकार के इस सम्बन्ध में कोई प्रस्थापना भेजने का कोई प्रश्न ही नहीं था ।

(ख) और (ग) ये प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं ।

श्री शिवमूर्ति स्वामी : क्या योजना में परिवर्तन होने के कारण इस क्षेत्र की और अधिक भूमि अर्जित की गई है ?

श्री हाथी : योजना में परिवर्तन करने का कोई प्रश्न नहीं था । इस के नोटिस १९४१ में भेजे गये थे और १६३० फीट की ऊंचाई तक भूमि अर्जित की गई थी तथा १६३५ फीट तक की अतिरिक्त भूमि अर्जित की जा रही थी । इस का विनिश्चय बहुत पहले ही कर लिया गया था और यह कोई नई प्रस्थाना नहीं है ।

श्री शिवमूर्ति स्वामी : क्या इस नये प्रबन्ध के कारण सारे नवनिर्मित ग्राम जल से घिर गये हैं, जिस के कारण मलेरिया तथा अन्य रोग फैल रहे हैं ?

श्री हाथी : नहीं । हम इस अंतर के कारण इतनी भूमि का अर्जन नहीं कर रहे हैं । वास्तव में, पहले ऊंचाई १६३३ फीट निर्धारित की गई थी, परन्तु पृष्ठजल के प्रभाव के कारण, सुरक्षा इसी में समझी गई कि दो फीट और बढ़ा दिया जाये । ये सारे विनिश्चय १९४० में ही कर लिये गये थे । ये कोई नई बात नहीं है ।

श्री शिवमूर्ति स्वामी : मैं स्वयं इस क्षेत्र में गया था और मैं ने देखा कि १०,१२ नव-निर्मित ग्राम, जो संभवतः गलत रूप से स्थित थे, जल से घिरे गये हैं और लोग कुछ प्रतिकर दिये जाने का आन्दोलन कर रहे हैं ?

श्री हाथी : १६३० फीट की सतह वालों तक को प्रतिकर दिया जा चुका है ; अन्य लोगों को प्रतिकर दिया जा रहा है ।

डा० सुरेश चन्द्र : क्या सरकार को विभिन्न राज्यों से आने वाले इंजीनियरों के मतभेद के कारण तुंगभद्रा परियोजना की प्रगति में होने वाले विलम्ब का ज्ञान है, यदि हां, तो सरकार इस परियोजना की प्रगति को तीव्र करने के लिये क्या कर रही है ?

श्री हाथी : प्रत्येक राज्य में विकास कार्य स्वयं राज्य अधिकारियों द्वारा ही किया जा रहा है । इसलिये जहां तक किसी राज्य विशेष के किसी क्षेत्र विशेष के विकास का प्रश्न है मतभेद का प्रश्न ही उत्पन्न न होगा, जहां तक अपने स्वयं राज्य में स्थित भूमि का सम्बन्ध है यह कोई संयुक्त प्रयास नहीं है ।

पाकिस्तान के लिये पारपत्र

***१०३४. चौधरी मुहम्मद शफी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-पाकिस्तान के मध्य, पार-पत्र पद्धति लागू होने के पश्चात् कितने

व्यक्तियों के पाकिस्तान के लिये पार-पत्र अस्वीकृत किये गये ;

(ख) इसी अवधि में कितने पाकिस्तानी राष्ट्रजनों को भारत में प्रवेश करने के दृष्टांक अस्वीकृत किये गये ; और

(ग) कितने भारतीय राष्ट्रजनों को पाकिस्तान प्रवेश की अनुमति के दृष्टांक अस्वीकृत किये गये ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) और (ख). इस सूचना को बहुत श्रम तथा समय लगाये बिना एकत्रित करना बहुत कठिन है । इसके अतिरिक्त इस सूचना का बताना लोक-हित में नहीं है ।

(ग) यह सूचना केवल पाकिस्तान सरकार के पास ही उपलब्ध होगी ।

ट्रैक्टर तथा कृषि औजार

*१०३५. **श्री सारंगधर दास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ट्रैक्टर तथा कृषि औजारों के उत्पादन के विकास के लिये कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख). इस समय दो सार्थ एकदम बिखरी हुई दशा में आयात किये गये पुर्जो को जोड़ कर ट्रैक्टर बना रहे हैं । ऐसा समझा गया है कि, शीघ्र ही, वे सरकार को अपनी ब्यौरेवार निर्माण योजना भेजेंगे । इस के अतिरिक्त, ट्रैक्टर तथा ट्रैक्टर से खींचे जाने वाले औजारों के निर्माण सम्बन्धी कई प्रस्ताव समय समय पर सरकार को भेजे गये हैं परन्तु अभी तक किसी ने मूर्तरूप धारण नहीं किया है । जहां तक कृषि औजारों का सम्बन्ध है, ट्रैक्टर द्वारा खींचे जाने वाले औजारों के अतिरिक्त उन के लिये ६० से अधिक संगठित कारखाने हैं ।

श्री सारंगधर दास : क्या भारत में बनाये जा रहे औजारों का मूल्य विदेशों से आयात किये गये औजारों के मूल्य से अधिक है ?

श्री कानूनगो : क्या आप का निर्देश ट्रैक्टर द्वारा खींचे गये औजारों की ओर है ?

श्री सारंगधर दास : ट्रैक्टर द्वारा खींचे जाने वाले औजारों के अतिरिक्त ।

श्री कानूनगो : ट्रैक्टर द्वारा खींचे जाने वाले औजारों के अतिरिक्त अन्य औजारों का आयात नहीं होता है ।

श्री सारंगधर दास : ट्रैक्टरों को पुर्जों से जोड़ कर बनाने का क्या प्राक्कलन है यदि पूर्ण ट्रैक्टरों तथा ट्रैक्टर द्वारा खींचे जाने वाले औजारों के मूल्य विदेशों से आयात किये हुए ट्रैक्टरों से कम होंगे ?

श्री कानूनगो : मुझे कोई सूचना नहीं है, परन्तु पूर्वसूचना मिलने पर मैं इसे बता सकता हूं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या ट्रैक्टरों द्वारा खींचे जाने वाले कृषि औजारों के मूल्य, देश में इस समय कृषकों द्वारा प्रयोग में लाये जा रहे औजारों के मूल्य से कम हैं ?

श्री कानूनगो : अवश्य । अन्यथा उन की बिक्री नहीं होगी ।

उच्च शक्ति वाले विसंवाहक

*१०३७. **श्री टी० बी० विट्ठल राव :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस अमरीकी विशेषज्ञ ने, जिस की सेवायें, संयुक्त राष्ट्र टैक्नीकल सहायता योजा के अन्तर्गत देश की उच्च शक्ति वाले विसंवाहकों की आवश्यकता का अनुमान लगाने तथा अन्य विभिन्न विकास योजना की जांच के लिये प्राप्त की गई थीं, अपना कार्य समाप्त कर लिया है तथा अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उस की एक प्रतिलिपि सभा पटल पर रखी जायेगी ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं । संयुक्त राष्ट्र के अन्तगत प्राप्त हुए इस प्रकार के सभी प्रतिवेदन "निर्बन्धित प्राप्तिकायें" हैं इसलिये उन को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या इस विशेषज्ञ का व्यय भारत सरकार द्वारा वहन किया जायेगा अथवा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा ?

श्री कानूनगो : मुख्यतः संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा ।

आकाशवाणी

*१०३९. **श्री राम शंकर लाल :** क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के कार्यक्रमों का पुनर्गठन करने का कोई विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) ये किस प्रकार लागू की जाने को हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) जी नहीं । इस कार्य के लिये कोई नई प्रस्थापना नहीं है । दिन प्रति दिन के कार्य के अनुसार कार्यक्रम सुधार का कार्य लगातार हो रहा है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं ।

सामुदायिक रेडियो

*१०४२. **श्री भागवत झा आज़ाद :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री २२ फरवरी, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ५० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वर्ष में केन्द्रीय पूल में से बिहार को कितने सामुदायिक रेडियो दिये जाने वाले हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : विभिन्न राज्य सरकारों को सामुदायिक रेडियो देने के लिये कोई केन्द्रीय पूल नहीं हैं । राज्यों के सूचना मंत्रियों का जो सम्मेलन हुआ था उस में यह योजना स्वीकृत हुई थी कि राज्य द्वारा खरीदे गये प्रत्येक रेडियो के लिये उस की कीमत के ५० प्रति शत के बराबर अनुदान दिया जायेगा, किन्तु यह शर्त रखी गयी थी कि जो रेडियो खरीदे जायें वह स्टेंडर्ड स्पेसिफिकेशन जो केन्द्रीय रिसर्च डिपार्टमेंट बनावे उसी के अनुसार खरीदे जायें । इस योजना के अन्तर्गत चालू वर्ष में बिहार राज्य की आवश्यकताओं की सूचना मिल चुकी है और अन्य राज्यों की आवश्यकताओं के साथ. उस पर भी विचार किया जायेगा ।

श्री भागवत झा आज़ाद : क्या मैं जान सकता हूं कि बिहार सरकार ने अपनी आवश्यकता की जो सूचना आप के पास भेजी है वह क्या है ?

डा० केसकर : करीब १४०० ।

श्री भागवत झा आजाद : क्या मैं जान सकता हूं कि जो योजना केन्द्रीय सरकार ने बिहार सरकार को सहायता देने के लिय बनायी है उसमें कुछ आवश्यक शर्तें रखी है कि जिसके अनुसार देहातों में वह सेट बांटे जायेंगे ?

डा० केसकर : केन्द्रीय सरकार ने केवल दो शर्तें लगायी हैं । एक शर्त तो यह है कि जो सेट खरीदे जायें वह जो स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन बनाया गया है वैसे ही होने चाहियें, ताकि वह मजबूत हों और आसानी से खराब न हो जायें, और दूसरी शर्त जो लगाई है वह यह है कि प्रान्तीय सरकार मेनटिनेंस के लिये कोई ऐसा इंतिजाम करे कि यह देखा जाये कि सेट ठीक से चल रहे हैं, और उनकी बैटरीज ठीक से चल रही हैं या नहीं यह देखा जाये ।

श्री भागवत झा आजाद : इस योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार समूचे देश में अनुमानतः कितने सेटों के लिये अनुदान देगी ?

डा० केसकर : प्लानिंग कमीशन के साथ बातचीत करने के बाद जो हमने निश्चय किया है वह यह है कि हम करीब २,८०० कम्युनिटी रिसिविंग सेट खरीद कर देश भर में वितरित करना चाहते हैं।

तम्बाकू

*१०४३. **श्री अमजद अली** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्टूबर, १९५४ से दिसम्बर, १९५४ की अवधि में, जापान, ब्रिटेन तथा चीन को निर्यात किये गये तम्बाकू की किस्म तथा मूल्य क्या था ;

(ख) जुलाई से सितम्बर, १९५४ की अवधि के आंकड़ों की तुलना में क्या निर्यात में वृद्धि हुई है; और

(ग) निर्यात बढ़ाने के लिये क्या कोई कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) से (ग). अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३५]**

श्री अमजद अली : कुछ दिन पूर्व कृषि मंत्री ने बताया था कि भारत में तम्बाकू की कृषि में निरन्तर कमी होती जा रही है इस के आधार पर मैं जानना चाहता हूं कि ये प्रचार कार्य किस प्रकार से निर्यात व्यापार में लाभदायक होंगे ?

श्री करमरकर : तम्बाकू की कृषि के सम्बन्ध में, मैं माननीय सदस्य के प्रश्न को कृषि मंत्री को निर्दिष्ट कर देता हूं । यदि इस तम्बाकू सम्बन्धी प्रश्न से कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो मैं उत्तर देने को तत्पर हूं ।

श्री अमजद अली : क्या माननीय कृषि मंत्री इस विषय पर हमें कुछ बता सकेंगे ?

श्री करमरकर : तम्बाकू की कृषि के सम्बन्ध में बताने के लिये मैं ने माननीय सदस्य के प्रश्न को कृषि मंत्री को दे दिया है ।

श्री अमजद अली : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इसका निर्यात व्यापार पर कोई प्रभाव पड़ा है ?

श्री करमरकर : तर्कानुसार, जी नहीं क्योंकि जब तक किसी वस्तु का उत्पादन नहीं होगा उसका निर्यात किस प्रकार होगा ।

श्री के० के० बसु : क्या तम्बाकू की कृषि में कमी होने के कारण तम्बाकू के निर्यात व्यापार पर बुरा प्रभाव पड़ेगा ?

श्री करमरकर : अवश्य, यदि उत्पादन नहीं होता है तो निर्यात भी नहीं होता है । यदि थोड़ा उत्पादन होता है तो निर्यात भी थोड़ा होता है ।

दक्षिणी अफ्रीका में मारे गये भारतीय

*१०४७. **डा० सत्यवादी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिणी अफ्रीका में फरवरी १९५५ में किसी समय दो भारतीयों पर आक्रमण किया गया और मार दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां) : (क) और (ख) हाल में कोई भी ऐसी सूचना दक्षिणी अफ्रीका के सम्बन्ध में समाचार पत्रों में नहीं मिली ।

श्री जोकीम आल्वा : दक्षिणी अफ्रीका के भारतीय राष्ट्रजनों के हितों की देख-रेख कौन कर रहा है ? क्या इस कार्य को किसी मित्र सरकार का प्रतिनिधि करता है अथवा पुराने उच्चायुक्त के कार्यालय का कामचलाऊ कर्मचारीवर्ग इस काम को करता है ?

श्री सादत अली खां : मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

भूमि को खेती योग्य बनाना

*१०४८. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित कृषकों में वितरण करने के लिये भूमि को खेती योग्य बनाने वाली कितनी योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ;

(ख) कितनी योजनायों पर कार्य प्रारम्भ किये जाने को है ;

(ग) क्या उनके ब्यौरे सभा पटल पर रखे जायेंगे ; और

(घ) यह भूमि किस तिथि तक प्राप्त हो जायेगी ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

श्री के० के० बसु : यह सूचना कब तक दी जा सकती है ? क्या कोई समय सीमा है ?

श्री जे० के० भोंसले : यह सूचना प्रायः पूर्वी क्षेत्रों के सभी राज्यों से इकट्ठी की जाती है तथा यह काम इतना आसान नहीं है । मैं एक अथवा दो सप्ताह में इसे दे देने की आशा करता हूं, हम इस में अवश्य ही शीघ्रता करेंगे ।

गवेषणा केन्द्र, पूना

*१०४९. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय जल तथा विद्युत् गवेषणा केन्द्र, पूना में इस समय कितने नमूने के प्रयोग किये जा रहे हैं ;

(ख) वहां हुगली नदी में सम्बन्धी नमूने के प्रयोग कब से किये जा रहे हैं ;

(ग) आज तक किये गये प्रयोगों के परिणाम क्या हैं ; और

(घ) और कब यह प्रयोग चालू रखे जायेंगे ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) से (घ). अपेक्षित सूचना

देन वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३६**]

श्री एस० सी० सामन्त : विवरण में बताया गया है कि १९५४ में आकरा में एक ठोकर बनाई गई है और वह ठीक तरह काम दे रही है । क्या मैं जान सकता हूं कि आयोग द्वारा फल्टा जेम्स और मेरी रीच के सम्बन्ध में की गई सिफारिश में केवल बाढ़ को रोकने वाली ठोकर ही सम्मिलित होगी या किसी और चीज़ को भी सम्मिलित किया गया है ।

श्री हाथी : मेरी रीच के विषय में अभी अनुसन्धान किया जा रहा है ।

श्री एस० सी० सामन्त: क्या मैं जान सकता हूं कि क्या ये प्रयोग केवल बाढ़ को रोकने के ही सम्बन्ध में किये जा रहे हैं ?

श्री हाथी : केवल इसी काम के लिये ही नहीं किये जा रहे हैं ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि नदी की नौगम्यता के बारे में उस की क्या राय है ?

श्री हाथी : अभी प्रयोग किये जा रहे हैं ।

प्रविधिक समिति

*१०५१. **श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या **योजना** मंत्री एक विवरण सभा के टेबल पर रखने की कृपा करेंगे जिस में निम्नलिखित बातें दिखायी गई हों :

(क) द्वितीय पंच वर्षीय योजना में नई परियोजनाओं को सम्मिलित करने के सम्बन्ध में जांच करके सिफारिश करने के बारे में जो प्रविधिक समिति बनाई गई है उसके कौन कौन सदस्य हैं ;

(ख) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ने कितनी तथा किस प्रकार की परियोजनायें जांच तथा सिफारिश करने के लिये अब तक इस समिति को सौंपी हैं; और

(ग) प्रत्येक राज्य में कितनी कितनी परियोजनाओं के बारे में इस समिति ने अब तक अन्तिम निश्चय किया है ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग). अपेक्षित विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३७**]

श्री भागवत झा आज़ाद : यह जो विवरण आपने सभा पटल पर रखा है, इस में बहुत सी स्कीमों की संख्या दी हुई है, क्या मैं जान सकता हूं कि इन स्कीमों में से किस किस पर आप ने अब तक विचार किया है ?

श्री हाथी : जी हां, २५ स्कीमों पर विचार किया है ।

श्री भागवत झा आज़ाद : मेरा प्रश्न पूछने का मतलब यह है कि किन किन स्कीमों पर विचार हुआ है और उन पर कितने रुपये खर्च होंगे ?

श्री हाथी : नहीं, अभी तक उनका कोई निश्चय नहीं किया गया है ।

श्री भागवत झा आज़ाद : मैं जानना चाहता हूं कि विचार और निश्चय में फर्क क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : वह तो साफ़ बात है कि दोनों में फर्क होता है ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या मैं जान सकता हूं कि इस प्रविधिक समिति द्वारा इन योजनाओं के प्रतिवेदनों की जांच किये जाने के उपरान्त उनको वह अन्य समिति को सौंपा जायेगा जिस के सभापति माननीय उपमंत्री होंगे ?

श्री हाथी : वास्तव में इन योजनाओं की उसी समिति द्वारा जांच की जा रही है जिस का सभापति मैं हूं ।

भारतीय नौवहन

*१०५२. **श्री बंसल :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २३ फरवरी, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ८७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इस देश में कार्य कर रही विदेशी जहाज़ी कम्पनियों को नैशनल चैम्बर्स आफ कामर्स द्वारा दिये गये नौवहन प्रमाणपत्रों को मान्यता दिये जाने के विषय में स्थिति क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : यह ज्ञात हुआ है कि इस देश में कार्य कर रही कुछ विदेशी जहाजी कम्पनियां इंडियन चैम्बर्स आफ कामर्स द्वारा दिये गये माप तोल सम्बन्धी प्रमाण पत्रों को स्वीकार कर रही हैं और हमें आशा है कि इस के कारण अगले तीन चार वर्षों में व्यापार में पर्याप्त उन्नति होगी । सरकार इस विषय के अग्रेतर विकास को ध्यानपूर्वक देख रही है ।

श्री बंसल : क्या यह सरकार के ध्यान में लाया गया है कि अनेक विदेशी जहाजी कम्पनियों द्वारा नौवहन प्रमाण पत्रों का स्वीकार न किया जाना इंडियन चैम्बर्स ऑफ कामर्स के पक्ष में बड़ा भेदजनक है क्योंकि वह यह अनुज्ञप्तियां भी जारी कर रहा है ?

श्री करमरकर : हां, यह एक समस्या है ।

अध्यक्ष महोदय : वह यह जानना चाहते हैं कि यह भेदजनक है या नहीं ?

श्री करमरकर : यह भेदजनक है और यही एक समस्या है ।

श्री बंसल : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार इस समस्या को हल करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ? वह तो केवल यह कहते हैं कि वह स्थिति को ध्यानपूर्वक देख रहे हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि वह स्वयं हमारे देश से इस भेद भाव को समाप्त कर देने के लिये क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री करमरकर : मार्च, १९५४ में फैडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री ने, जिस से मेरे माननीय मित्र संयुक्त हैं, एक संकल्प पारित किया था । इस के परिणामस्वरूप वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ने एसोसियेटेड चैम्बर्स ऑफ कामर्स के सभापति तथा बंगाल, बम्बई, मद्रास और कानपुर की चैम्बर्स ऑफ कामर्स के सभापतियों से इस विषय पर बातचीत की थी । इस समय की स्थिति के बारे में मेरी अपेक्षा माननीय सदस्य अधिक सूचना दे सकते हैं ।

श्री के० के० बसु : मार्च, १९५४ से, जब से माननीय मंत्री द्वारा निर्दिष्ट यह संकल्प पारित किया गया था, क्या सरकार ने भारतीय नौवहन के विरुद्ध इस भेदजनक नीति को जारी रहने से रोकने के लिये कोई निश्चित कार्यवाही की है ?

श्री करमरकर : जो कार्यवाही की गई थी वह अभी बताई गई है ।

अभ्रक उद्योग

***१०५३. श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अभ्रक उद्योग की बढ़ती हुई मन्दी को रोकने के लिये सरकार ने किस प्रकार की कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : अभ्रक व्यापार में मन्दी के कोई वास्तविक

चिन्ह दिखाई नहीं देते हैं फिर भी सरकार ने निर्यात बढ़ाने के लिये यह कार्यवाहियां की हैं :—

(१) अभ्रक के लिये एक निर्यात प्रोत्साहन परिषद बनाई जा रही है ।

(२) केन्द्रीय कांच तथा कुंमकारी गवेषणा संस्था, कलकत्ता में अभ्रक के अधिक उपयोग विषयक गवेषणा कार्य किया जा रहा है ?

(३) विदेश स्थित वाणिज्य दूतों से इस विषय का अध्ययन करने तथा अभ्रक के निर्यात के बढ़ाये जाने की संभावनाओं का पता लगाने का प्रयत्न करने को कहा गया है ।

अधिकांश विदेशों से किये गये व्यापार-समझौतों में अभ्रक को भी स्थान दिया गया है और उन से यहां से अपनी अभ्रक की खरीद को बढ़ाने के लिये कहा जा रहा है ।

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने बिना किसी विशेष आर्डर के केवल प्रेषित वस्तु के आधार अभ्रक के निर्यात को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की है जिस के कारण विदेशों के गोदामों में अभ्रक की बृहत् राशि जमा हो गई है और दूसरे ब्रिटिश सरकार द्वारा हाल ही में मुक्त किये गये अभ्रक के टूटे टुकड़ों के अतिरिक्त भंडार को खरीदने के लिये क्या कार्यवाही की गई है, क्योंकि इन ही दोनों कारणों से मन्दी आई थी ?

श्री करमरकर : मुझे इन दोनों बातों के बारे में जानकारी नहीं है और इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है ।

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा : क्या मैं जान सकता हूं कि जहां तक इस निर्यात-परिषद् को बनाने का प्रश्न है, क्या राज्य सरकारों तथा उद्योग से परामर्श किया गया था ?

श्री करमरकर : इस विषय में हम प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय के सुसंगत संगठन से परामर्श कर रहे हैं । मुझे पता नहीं कि हम ने समस्त राज्य सरकारों से परामर्श लिया है या नहीं किन्तु में समझता हूं कि बिहार आदि अभ्रक उत्पादन करने वाले राज्यों से परामर्श किया गया है ।

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा : क्या यह परिषद् बना दी गई है या नहीं ?

श्री करमरकर : मैंने उत्तर में कहा था कि एक निर्यात प्रोत्साहन परिषद् बनाई जा रही है । हम ने योजना को अंतिम रूप दे दिया है इस में अभी थोड़ा समय और लगेगा ।

श्री भागवत झा आज़ाद : माननीय मंत्री ने बताया कि कोई मन्दी नहीं आई है । हम जो उस क्षेत्र में रहते हैं यह जानते हैं कि अभ्रक उद्योग में मन्दी आ गई है । मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री की यह सूचना का आधार क्या है । इस बात का पता लगाने के लिये कि इस उद्योग में मन्दी है या नहीं ; क्या कोई विशेषज्ञ समिति बनाई गई थी ?

श्री करमरकर : जहां तक मन्दी का प्रश्न है, यह स्पष्ट है कि हम ने आंकड़ों पर विश्वास किया है और उन आंकड़ों को मैं सभा पटल पर रख दूंगा ।

खादी

*१०५४. **श्री राम दास :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५२–५३, १९५३–५४ और १९५४–५५ (३१ दिसम्बर १९५४ तक) कितने परिमाण में खादी निर्यात की गई ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : ठीक ठीक सूचना प्राप्त नहीं है। ज्ञात हुआ है कि कथित अवधि में अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा खादी का कोई निर्यात नहीं किया गया ।

श्री राम दास : क्या मैं जान सकता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंटों ने कितनी खादी अपने इस्तेमाल के लिये ली है ?

श्री कानूनगो : आप का प्रश्न तो खादी के एक्सपोर्ट के सम्बन्ध में था। आप के इस पूरक प्रश्न के लिये नोटिस चाहिये ।

यंत्रचालित करघों को सूत का संभरण

*१०५५. **श्री जी० एच० देशपांडे :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई राज्य में मालेगांव धूलिया आदि स्थानों पर स्थित अनेक यंत्रचालित करघों को सूत का उपयोग करने से रोक दिया गया है;

(ख) क्या इस विषय में मालिकों तथा अन्य सार्वजनिक कार्यकर्ताओं की ओर से सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ग) यदि हां, तो सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही करना चाहती है ; और

(घ) इन यंत्रचालित करघों को सूत का उपयोग न करने देने की अवस्था में कितने लोगों के बेरोजगार हो जाने की संभावना है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) हां, श्रीमान्; बम्बई सरकार ने अनधिकृत यंत्रचालित करघों के बन्द कर दिये जाने का आदेश दिया है ।

(ख) हां, श्रीमान् ।

(ग) इस विषय पर बम्बई सरकार के साथ पत्र-व्यवहार किया जा रहा है ।

(घ) ठीक ठीक सूचना प्राप्त नहीं है ।

वंशधरा परियोजना

*१०५६. **डा० रामा राव :** क्या **योजना** मंत्री २२ दिसम्बर, १९५४ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ९१४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वम्सधरा परियोजना के सम्बन्ध में आंध्र सरकार से अभी तक कोई योजना प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अनुसार कितने एकड़ भूमि की सिंचाई होगी और उस की अनुमानित लागत कितनी है ;

(ग) क्या योजना आयोग ने इस योजना की जांच कर ली है और क्या किन्हीं परिवर्तनों के सुझाव भी दिये हैं ; और

(घ) इस परियोजन के लिये सरकार उस राज्य को कितनी आर्थिक सहायता देने की प्रस्थापना करती है ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) अनुमानित लागत १२ करोड़ ५६ लाख रुपये ।

सिंचाई का क्षेत्र ३,१०,७५० एकड़ भूमि ।

(ग) इस प्रस्ताव को द्वितीय पंचवर्षीय योजना के सिलसिले में जांच की जा रही है । अभी तक किन्हीं परिवर्तनों का सुझाव नहीं दिया गया है ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ?

डा० रामा राव : क्या मैं जान सकता हूं कि आंध्र सरकार द्वारा सुझाव दिये गये परिवर्तनों के सम्बन्ध में इस परियोजना को जांच किये जाने के लिये केन्द्रीय सरकार ने कोई रकम दी है ?

श्री हाथी : नहीं । अनुसंधान कार्य पर व्यय करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने कोई रकम नहीं दी है ।

डा० रामा राव : क्या मैं जान सकता हूं कि यह प्रस्ताव इस समय किस समिति के विचाराधीन है ?

श्री हाथी : यह प्रस्ताव इस समय योजना-आयोग द्वारा नियुक्त की गई प्रविधिक परामर्शदात्री समिति के समक्ष है ।

डा० रामा राव : इस का निर्णय कब तक हो सकेगा ?

श्री हाथी : इस में कुछ महीने लगेंगे ।

श्री सारंगधर दास : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या उड़ीसा सरकार से ऐसी कोई योजना प्राप्त हुई है कि इस नदी पर ऊपर की ओर, जो क्षेत्र कि उड़ीसा में है, बांध बांधा जाये ?

श्री हाथी : मुझे ऐसी किसी योजना का स्मरण नहीं है ।

श्री सारंगधर दास : इस नदी पर उड़ीसा और आंध्र के सीमावर्ती क्षेत्र में बाध बांधने के लिये क्या उड़ीसा सरकार की सम्मति प्राप्त कर ली गई है ?

श्री हाथी : यदि यह निश्चय किया गया कि इस योजना को सम्मिलित किया जाना है, तो निश्चय ही उड़ीसा सरकार से परामर्श अवश्य करना होगा ।

औद्योगिक उत्पाद

***१०५७. श्री एस० एन० दास :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने श्री एम० एम० विश्वरैया के इन सुझावों पर विचार किया है कि प्रत्येक राज्य में निमित किये जाने वाले औद्योगिक उत्पादनों के मूल्य सम्बन्धी सूचना एकत्र करने के लिये एक संगठन की स्थापना की जाय ; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या निश्चय गिया गया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो): (क) और (ख). श्री एम० एम० विश्वरैया ने अनेक लाभप्रद सुझाव दिये थे और अनेक मामलों में सरकार को उनकी राय से लाभ हुआ है। किन्तु भारत जैसे संघीय देश का औद्योगिक विकास एक जटिल समस्या है और विकास योजनाओं को लाग करने के लिये श्री विश्वरैया द्वारा दिये गये अनेक सुझावों पर सरकार ध्यान दे रही है ।

श्री एस० एन० दास : क्या विभिन्न राज्यों और विभिन्न प्रदेशों से इन आंकड़ों को जमा करने के लिये भारत सरकार का कोई संगठन या कोई अन्य शासन-यंत्र है ?

श्री कानूनगो : कुछ आंकड़ों को जमा करने के लिये एक शासन यंत्र है, परन्तु जैसा

कि माननीय सदस्य आशा करते हैं सभी आंकड़ों के लिये नहीं है ।

श्री एस० एन० दास : क्या योजना के प्रारम्भ से सभी सूचना को जमा करने की दृष्टि से कोई प्रयत्न किये गये हैं, और यदि किये गये हैं, तो उन प्रयत्नों का क्या परिणाम निकला है ?

श्री कानूनगो : संविधि के अनुसार, सभी संगठित उद्योगों को उत्पादन के सावधिक विवरण देने होते हैं । इन विवरणों को सारणी-बद्ध कर के इन की व्याख्या की जाती है ।

श्री एस० एन० दास : क्या यह सच है कि कुछ राज्य इस सम्बन्ध में भारत सरकार से पूर्णरूप से सहयोग नहीं करते हैं, और यदि ऐसा है, तो उन के व्यवहार को ठीक करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री कानूनगो : यह कहना ठीक नहीं है कि राज्य सहयोग नहीं करते हैं ।

श्री डाभी : प्रश्न संख्या १०५८ ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : प्रश्न संख्या १०७८ को भी इसी के साथ ले लिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : क्या इन दोनों प्रश्नों का एक साथ लिया जाना सुविधाजनक होगा ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : उन को एक साथ से लिया जाये । परन्तु मेरे विचार में दोनों में कोई सम्बन्ध नहीं हैं क्योंकि एक प्रश्न एक राज्य विशेष में हाल में इस समस्या के विकट रूप धारण कर लेने के सम्बन्ध में है और दूसरा देश के कुछ नगरों में कुछ समय पूर्व किये गये सर्वेक्षण के बारे में है ।

अध्यक्ष महोदय : उन को पृथक पृथक लिया जायेगा ।

बेरोज़गारी

*१०५८. **श्री डाभी** : क्या **योजना** मंत्री २६ नवम्बर, १९५४ के तारांकित प्रश्न संख्या ४२९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तैंइस कस्बों में लिये गये नमूना सर्वेक्षण का प्रतिवेदन अब प्रकाशित हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इन कस्बों में बेरोजगारी की क्या स्थिति है ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : (क) जी नहीं ।

(ख) जांच के परिणाम अभी मिलने हैं ।

श्री डाभी : उन्हें ये प्रतिवेदन और जांच के परिणाम देने में कितना समय लगेगा ?

श्री एस० एन० मिश्र : इस जांच का प्रतिवेदन देने में कुछ विलम्ब हो गया है । परन्तु मेरा विचार है कि इस बात की सराहना की जायेगी कि राष्ट्रीय विकास परिषद् के निर्णय और राज्य तथा केन्द्रीय सांख्यकीय पदाधिकारियों के सम्मेलन के निर्णय को ध्यान में रखते हुए अब कुछ एक रूप प्रमाप और धारणा चलाने का विचार किया गया है । यद्यपि एक प्रारम्भिक प्रतिवेदन का प्रारूप तैयार किया जा चुका है तथापि संभवतः इसे पुनः सारणीबद्ध करने और कतिपय सीमा तक अभिनवीकृत करने की आवश्यकता होगी । इस कारण विलम्ब हुआ है ।

श्री वेलायुधन : क्या इस प्रतिवेदन के मिलने के पश्चात् इन श्रेत्रों में बेरोजगारी का पूर्ण हल हो जायेगा ? क्या

आंकड़े प्राप्त न होने के कारण ही बोरोजगारी थी ?

श्री आर० एस० दीवान : हमें सभा में सर्वेक्षण प्रतिवेदन के सम्बन्ध में बताया गया है कि यह बहुत बड़ा कार्य है और इस में बहुत समय लगता है । क्या सरकार यह आशा करती है कि १९५१ या १९५२ के प्रतिवेदन के आधार पर जो हमें १९५५ में मिलेगा कोई योजना तैयार की जायेगी ?

श्री एस० एन० मिश्र : मैं प्रश्न का ठीक अभिप्राय नहीं समझ सका । क्या माननीय सदस्य प्रश्न से सम्बन्धित जांच की ओर निर्देश कर रहे हैं ? मेरा विचार है कि हम बहुत से सर्वेक्षण कर रहे हैं और उन से हमें अपनी योजनायें बनाने में बहुत सहायता मिलेगी ।

श्री भागवत झा आजाद : क्या सरकार ने जांच दल को यह सुझाव दिया है कि वे इस बात का पता लगायें कि बेरोजगारी से छुटकारा पाने के लिये पंच वर्षीय योजना के अधीन व्यय का क्या प्रभाव पड़ेगा, जिस की ओर माननीय मंत्री ने निर्देश किया था ।

श्री एस० एन० सिंह : मैंने आज एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा था कि किये गये काम के ठीक प्रभाव का निर्धारण करना कुछ कठिन है । इस में कुछ समय लगेगा परन्तु हमें आशा है कि योजना के समायोजन से काफी अच्छा प्रभाव पड़ेगा ।

श्री बंसल : क्या मैं जान सकता हूं . . .

पैप्सू को अनुदान

*१०५९. **श्री चिनारिया** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पैप्सू सरकार ने कुछ बड़े पैमाने के और कुछ छोटे पैमाने के उद्योग आरम्भ करने के लिये भारत सरकार से अर्थ-सहायता या ऋण की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित उद्योगों के नाम क्या हैं और कितनी अर्थ-सहायता मांगी गई है और सरकार कितनी राशि देना चाहती है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) हां श्रीमान् ।

(ख) १९५४–५५ की जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३८**]

इपोह और पेनांग में पारपत्र कार्यालय

*१०६०. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पारपत्र कार्य के लिए इपोह और पीनांग में दो कार्यालय खोलने का विचार किया गया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां) : इन स्थानों पर पारपत्र कार्यालय खोलने की प्रस्थापना है ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या हाल के वर्षों में भारतीयों के उत्प्रवास में कोई वृद्धि हुई है ?

श्री सादत अली खां : विशेषत: युद्धोत्तर के वर्षों में मलाया को भारतीयों के उत्प्रवास में निरन्तर वृद्धि हुई है ?

श्री कृष्णाचार्य जोशी : वहां कुल भारतीय राष्ट्रजन कितने हैं ?

श्री सादत अली खां : इस के लिये मुझे पूर्व-सूचना चाहिये ।

प्रादेशिक मंत्रणा समितियों

*१०६१. **श्री मुरारका :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और अन्य ऐसे स्थानों पर जहां चलचित्र विभाग के अभिकर्ता हैं, समाचार चित्रों के लिये लोक प्रिय विषयों के चुनाव की सुविधा देने के हेतु प्रादेशिक मंत्रणा समितियां स्थापित करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी समितियों के सदस्य कौन होंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) और (ख). संभवत: प्राक्कलन समिति के ग्याहरवें प्रतिवेदन में प्रस्तावित प्रादेशिक मंत्रणा समितियों की ओर निर्देश किया गया है । समिति की सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है, अर्थात् इन समितियों की रचना के बारे में विचार किया जा रहा है ।

समाचार-चित्र

*१०६२. **सरदार हुक्म सिंह :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि एक समाचार चित्र के पहले पहल दिखाये जाने और देश में उस के परिचालन के पश्चात् अन्तिम रूप से वापस लेने के बीच का औसत काल कितना होता है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : भ्रमक सिनेमों के सिवाय अन्य समाचारचित्रों के परिचालन में, उस आठ सप्ताह की कालावधि सहित जो चित्र की प्रति एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में लगती है कुल २८ सप्ताह का समय लगता है ।

सरदार हुक्म सिंह : चित्र को पहले पहल चलाने के पश्चात क्या यह देखने के लिए कि उसे लपेटने और उठाने धरने में उसमें खरोंचे न आयें, कोई प्रबन्ध किया जाता है ?

डा० केसकर : यह २८ सप्ताह की कालावधि कुछ अनुभव के पश्चात् निर्धारित की गई है । मैं अनुभव करता हूं कि इस कालावधि में चित्र में कुछ खराबी आ जाती है । इस बीच में किसी प्रकार के निरीक्षण के रूप में कोई नियमित परिवीक्षण नहीं किया जाता । वह चित्र निरन्तर नहीं चलाया जाता । यह वितरण केन्द्र के पास वापस आ जाता है और वहां देखा जाता है कि इसकी दशा अच्छी है ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या चित्र जब खराब ही हो जाता है तब उसे वापस किया जाता है या कोई ऐसे उपाय किये जाते हैं कि वह चित्र युगयुगान्तर तक न चलते रहें ?

डा० केसकर : जो चित्र खराब हो जाता है उसे परिचालन से वापस ले लिया जाता है।

सरदार हुक्म सिंह : मेरा प्रश्न यह है । एक समाचार चित्र एक नगर में एक ही बार दिखाया जाता है । यह काफी समय के लिये दिखाया जाता है । फिर यह अन्य छोटे नगरों में दिखाया जाता है । लोग इसे बहुत बार देख चुके होते हैं । यह समाचार चित्र ऐतिहासिक चित्र बन जाता है । क्या किसी ऐसे प्रबन्ध की सावधानी बरती जाती है कि जब लोग इसे बहुत बार देख चुके हों तो इसे पुन: न दिखाया जाये और क्या इसके खराब होने के पूर्व इसे वापस ले लेने के उपाय किये जाते हैं ।

डा० केसकर : जहां तक संभव हो, मुझे यही पता है, कि एक ही नगर में एक समाचार चित्र को दो बार नहीं दिखाया

जाता है । यदि माननीय सदस्य के पास इसके प्रतिकूल सूचना है तो मैं उस की जांच करूंगा ।

पटसन

*१०६३. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को प्रत्येक राज्य के पटसन उत्पादन क्षेत्रों के , महत्त्वपूर्ण केन्द्रों में नियमित बाज़ार खोलने की कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, कितने समय में ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) भारत सरकार के वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के संकल्प संख्या १४(३) पटसन ५४ दिनांक ४ दिसम्बर, १९५४ की कंडिका ४ में पटसन जांच आयोग की सिफारिशों पर सरकार के विचारों के सम्बन्ध में, 'अन्य सिफारिशों' के अधीन मद (४) की ओर ध्यान दिलाया जाता है । इस प्रतिवेदन की प्रति और सरकार के संकल्प की प्रति सभा पटल पर रखी गई थी । उस से पता चलेगा कि पटसन उत्पादक क्षेत्रों के महत्त्वपूर्ण स्थानों पर नियमित बाजार खोलने के सम्बन्ध में आयोग की सिफारिशों की ओर सम्बन्धित राज्य सरकारों का ध्यान दिलाया गया था ।

(ख) राज्य सरकारों के अन्तिम प्रतिवेदनों से पता चलता है कि वे इस विषय पर विचार कर रही हैं ।

श्री विभूति मिश्र : मैं यह जानना चाहता हूं कि किसान जिस एरिया में जूट पैदा करते हैं वहां कितने दिनों में रेगुलेटिंग मार्केट तैयार की जायेगी क्योंकि किसानों को घाटा होता है ?

श्री कानूनगो : मैं यह नहीं कह सकता क्योंकि प्रान्तों में जो सरकारें हैं वह विचार कर रही हैं कि उन के यहां इस सिलसिले में कोई कानून है या नहीं . . . ।

श्री विभूति मिश्र : मैं यह जानना चाहता हूं . . . . .

प्रश्नों के लिखित उत्तर

राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजनायें

*१०२२. **श्री आर० एस० तिवारी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजनाओं के अन्तर्गत अब तक कुल कितना व्यय किया है ;

(ख) आगामी दो वर्षों में कितना धन व्यय करने का विचार है ; और

(ग) क्या हरिजनों तथा अनुसूचित जातियों की सामाजिक शिक्षा के लिये कोई धन राशि अलग से रखी गई है ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : (क) १२४ लाख रुपये सितम्बर १९५४ तक ।

(ख) १७४३ लाख रुपये १९५३–५४ के बंटवारा-क्रम के अनुसार ।

(ग) सामाजिक शिक्षा के लिये प्रत्येक राष्ट्रीय-विस्तार-सेवा-खंड में २५ हजार की रकम रखी गई है । इसी रकम में से हरिजनों तथा अनुसूचित जातियों की सामाजिक शिक्षा के लिये भी खर्च किया जायेगा ।

भारत-रूस व्यापार समझौता

*१०२७. **श्री एल० एन० मिश्र** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत-रूस व्यापार समझौते

को लागू करने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : भारत और रूस के बीच व्यापार समझौते का प्राथमिक उद्देश्य यह है कि समय समय पर दोनों देशों में भारी अनुज्ञप्तियों और अन्य नीतियों की व्यवस्था के अन्तर्गत दोनों देशों में अधिकतम सीमा तक व्यापार का विकास किया जाये । व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर होने के पश्चात् दोनों देशों के बीच व्यापार में कुछ वृद्धि हुई है, भारत का निर्यात १९५३ में ३६ लाख रुपयें से १९५४ में २५२ लाख रुपये तक बढ़ गया और इन्हीं वर्षों में आयात ४४ लाख रुपये से ११३ लाख रुपये तक बढ़ गया ।

ग्लिसरीन

*१०२९. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शुद्ध की हुई ग्लिसरीन के निर्यात की अनुमति देने के लिये हाल ही में कोई निर्णय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ; और

(ग) कुल कितनी मात्रा निर्यात की जायेगी ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख). देश की आवश्यकता से अतिरिक्त शुद्ध की हुई ग्लिसरीन के निर्यात की अनुमति दे दी गई है ।

(ग) जनवरी-जून १९५५ में ५१५ टन ।

मद्यनिषेध जांच समिति

*१०३१. **श्री इब्राहीम :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मद्यनिषेध जांच समिति के काम पर कितना व्यय हो जाने की संभावना है ।

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : लगभग अस्सी हजार रुपये ।

पलेरू परियोजना

*१०३२. **श्री वी० मिश्र :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र राज्य में पलेरू मीडियम सिंचाई परियोजना का काम शुरु हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो अभी तक कितना काम हो चुका है ;

(ग) इस परियोजना की अनुमानित लागत क्या है और उस में संघ सरकार का क्या भाग है ; और

(घ) यह परियोजना कब पूरी हो जायेगी ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) योजना के प्राथमिक कार्य प्रारम्भ हो गये हैं ।

(ख) कुछ भी नहीं ।

(ग) निर्माण कार्यों पर ४९३,७४२ रुपये अथवा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रभारों को सम्मिलित करते हुए ५,६४,७०७ रुपये खर्च होने की आशा है । इस योजना की सम्पूर्ण लागत ऋण सहायता से, जिस का भारत सरकार ने वचन दिया है, पूरी होगी ।

(घ) प्रथम पंच वर्षीय योजना की अवधि में अर्थात् ३१-३-१९५६ से पूर्व ही परियोजना के पूरे हो जाने की आशा है ।

ग्राम महिला सेविकायें

*१०३३. **ठाकुर युगल किशोर सिंह :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्राम महिला सेविकाओं के प्रशिक्षण के लिये क्या कार्यक्रम तैयार किया गया है ;

(ख) सामुदायिक परियोजना के महिला कार्यक्रम के प्रभारी पदाधिकारी की सेवा की अवधि कब समाप्त हो जायेगी?

(ग) महिला विभाग के प्रभारी पदाधिकारी की सेवा की अवधि समाप्त हो जाने के बाद सामुदायिक परियोजना के महिला विभाग की क्या व्यवस्था होगी ; और

(घ) जब से एक विशेष पदाधिकारी की नियुक्ति हुई है और उस को वह काम सौंपा गया है, तबसे महिला विभाग के काम में कितनी प्रगति हुई हैं ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : (क) ग्राम महिला सेविकाओं को केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित किये जाने वाले विस्तार प्रशिक्षण केन्द्रों के गृह-अर्थ विभागों में प्रशिक्षण देने का विचार है। यह आशा की जाती है कि जून, १९५५ से उन केन्द्रों में काम शुरु हो जायेगा।

(ख) संभवतः, सामुदायिक परियोजना प्रशासन में विशेष पदाधिकारी, समाज शिक्षा (महिला) की नियुक्ति की अवधि के सम्बन्ध में पूछा गया है। यदि ऐसा है, तो उनकी सेवा की अवधि २८ फरवरी, १९५५ को समाप्त हो गई।

(ग) सामुदायिक परियोजना प्रशासन में महिलाओं का पृथक विभाग नहीं है।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

हैदराबाद राज्य में निष्क्रांत सम्पत्ति

*१०३६. **श्री माधव रेड्डी :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हैदराबाद राज्य में कतिपय निष्क्रांत सम्पत्तियों के अर्जन का निश्चय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस सम्पत्ति का किस रूप में उपयोग में लाने का विचार है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) जी हां, यह निर्णय केवल हैदराबाद राज्य की निष्क्रांत सम्पत्तियों के ही सम्बन्ध में नहीं हैं परन्तु सारे भारत की निष्क्रांत सम्पत्तियों के सम्बन्ध में हैं।

(ख) जैसा कि विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, १९५४ में उपबंधित ह, प्रतिकर के भुगतान के सहित इस अर्जित निष्क्रांत सम्पत्ति का उपयोग विस्थापित व्यक्तियों की सहायता तथा पुनर्वास के लिये किया जायेगा।

वस्त्र उद्योग

*१०३८. **श्री तुषार चटर्जी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार भारत में वस्त्र उद्योग के विभिन्न एककों को वित्तीय स्थिति का सर्वेक्षण करना चाहती है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सर्वेक्षण में इन मिलों की जांच भी सम्मिलित होगी, जो कि हाल ही में वित्त अभाव के कारण बन्द हो गई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) नहीं, श्रीमान् । सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य लगाई गई मशीनरी की दशा को जानना है । अन्य प्रासंगिक तथा सहायक जानकारी एकत्र की जायेगी ।

(ख) इन मिलों से पूछताछ की जायेगी ।

वर्षा मापक यंत्र

***१०४०. श्री आर० एन० सिंह :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार धनवातिकीय विभाग के पदाधिकारियों को भारत के हिमालयवर्ती सीमान्त प्रदेशों में वर्षामापक यंत्रों की स्थापना करने के लिये वहां भेजा है ;

(ख) क्या वर्षा मापक यंत्र के माप पढ़ कर उन का अभिलेख रखने के लिये स्थानीय कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के सम्बन्ध में भी कोई प्रस्थापना है ; और

(ग) यदि हां, तो अभी तक इस दिशा में कितना काम हो चुका है ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). हां, श्रीमान् ।

(ग) धनवातिकीय विभाग के दलों की प्रति नियुक्ति के लिये प्रारम्भिक तैयारियां हो गई हैं । ये दल स्थानीय कर्मचारियों को भी प्रशिक्षित करेंगे ।

साबुन के कारखाने

***१०४१. सेठ गोविन्द दास :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि साबुन की खपत में कमी होने के फलस्वरूप भारत के बड़े बड़े साबन के कारखानों को अभी हाल में कुछ दिनो के लिये अपना उत्पादन बन्द करना पड़ा था ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : सरकार को ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

सामुदायिक रेडियो सेट

***१०४४. श्री रनदमन सिंह :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे कि जिस में यह बताया गया हो :

(क) केन्द्रीय सरकार की वित्तीय सहायता से विभिन्न राज्यो में अभी तक कुल कितने सामुदायिक रेडियो सेट लगाये गये हैं ; और

(ख) दिसम्बर, १९५४ तक, केन्द्र ने उस सम्बन्ध में कितना व्यय किया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) और (ख). ५० प्रतिशत वार्षिक सहायता के आधार पर मार्च, १९५५ तक लगभग २,००० रेडियो का संभरण करने का प्रबन्ध किया जा चुका है, अभी तक १,००० रेडियो के लिये १,५०,००० रुपये की आर्थिक सहायता के भुगतान की स्वीकृति दी गई है ।

गंगा बांध परियोजना

***१०४५. श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :**
श्री रामा नन्द दास :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गंगा बांध परियोजना के सम्बन्ध में एक परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के लिये एक शिल्पिक मंत्रणा समिति नियुक्त की है ;

(ख) अभी तक इस बात का निश्चय हुआ है कि इस पर अनुमानतः कितना व्यय होगा ;

(ग) यदि हां, तो इस परियोजना की अनुमानित कुल लागत क्या होगी ; और

(घ) समिति अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत करेगी ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) और (घ). नहीं, श्रीमान् ।

(ख) हां, श्रीमान् ।

(ग) ३९.८७ करोड़ रुपये ।

अभ्रक

*१०४६. **श्री जे० आर० मेहता :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २६ नवम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३९८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय अभ्रक के सम्बन्ध में निर्यात संवर्द्धन परिषद् की स्थापना के लिये प्रस्थापनायें किस अवस्था में हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : अभ्रक के सम्बन्ध में एक निर्यात संवर्द्धन परिषद् की स्थापना से संबंधित योजना का ब्यौरा अभ्रक मंत्रणा समिति के समक्ष उसके विचार प्राप्त करने के लिये प्रस्तुत किये जा रहे हैं ।

त्रिपुरा में बाढ़ का नियंत्रण

*१०५०. **श्री बीरेन दत्त :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री २३ अगस्त, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि त्रिपुरा में बाढ़ रोकने के लिये किस प्रकार की प्रयोजनायें बनाई गई हैं ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : त्रिपुरा राज्य में बाढ़ रोकने के लिये बनाई गई योजनायें इस प्रकार हैं :--

(१) नदियों के किनारों को ऊंचा करना तथा मज़बूत बनाना ;

(२) भूक्षारण रोकने के लिए ठोकरें, दोहरी दीवालें तथा झाड़ियां लगाना ;

(३) पानी निकालने के फाटक बनाना ; ताकि--

(१) नदियों के बाढ़ के पानी को बीलों में जाने से रोकने के लिये, तथा

(२) नदियों की बीलों में पानी निकालने के लिए, जहां कि पानी का तल नीचा हो ।

भारतीय विस्फोटक, लिमिटेड

*१०६४. **श्री के० सी० सोधिया :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय विस्फोटक, लिमिटेड में उत्पादन का काम कब से शुरु हो जायेगा ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : यह आशा की जाती है कि लगभग तीन साल में कारखाने में प्रयोगात्मक रूप से उत्पादन होना शुरु हो जायेगा ।

हिन्दूस्तान शिपयार्ड कर्मचारी

*१०६५. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दूस्तान शिपयार्ड, विशाखपटनम् के कर्मचारियों के वेतन स्तर पर पुनर्विचार करने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ;

(ख) क्या सरकार ने इस विषय में कोई निर्णय किया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो अन्तिम निर्णय पर पहुंचने में कितना समय लगेगा ?

उत्पादन मंत्री के सभा सचिव (श्री आर० जी० दुबे) : (क) नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं ।

लाख

*१०६६. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९५३–५४ और १९५४–५५ में लाख के निर्यात में कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त दो वर्षों में निर्यात की गई लाख की मात्रा और मूल्य क्या थे ; और

(ग) कमी के कारण क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) १९५३–५४ और १९५४–५५ में निर्यात पिछले दो वर्षों की अपेक्षा कम हुआ है ; किन्तु कोरिया युद्ध द्वारा तेजी उत्पन्न हो जाने के परिणामस्वरूप १९५१–५२ और १९५२–५३ में निर्यात सामान्य नहीं था ।

(ख)—

	मात्रा	मूल्य
	हंडरवेट	रुपये
१९५३–५४ लगभग	५३६,०००	६७८ लाख
१९५४–५५ लगभग (अप्रैल, दिसम्बर)	४०४,०००	७५८ लाख

(ग) कोरिया युद्ध के तेजी के दौरान में निर्यात का जो उच्च स्तर हो गया था वह माल जमा करने के कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात् स्थिर नहीं रह सका । लाख की फसल बिगड़ जाने और उस की स्थानापन्न वस्तुओं के प्रयोग का भी हमारे कुल निर्यात पर प्रभाव पड़ा है ।

भारतीय चाय नीलाम समिति

*१०६७. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** :
श्री एम० आर० कृष्ण :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्रीमती इला पालचौधरी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत चाय नीलाम समिति ब्रिटेन में अपना कार्य समाप्त करने के पश्चात् भारत लौट आई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने सरकार के समक्ष कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उन की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख). जी हां, श्रीमान् ।

(ग) प्रतिवेदन विचाराधीन है ।

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९५१

*१०६८. **श्री इब्राहीम** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अधीन अनुज्ञप्ति समिति द्वारा अभी तक रद्द की गई प्रार्थनापत्रों की संख्या क्या है ;

(ख) क्या कच्चे लोहे के उत्पादन के लिये दुर्गापुर, योजना का प्रार्थनापत्र भी रद्द कर दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) ११८ ।

(ख) और (ग). दुर्गापुर में कच्चे लोहे के सम्बन्ध में एक प्रार्थनापत्र प्राप्त हुआ था । प्रार्थनापत्र स्वीकार होने के लिए जोर नहीं दिया गया था ।

विदेशों में भारतीय हित

*१०६९. **श्री गिडवानी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि कुछ विदेशों में ब्रिटिश दूतावास भारतीय हितों की देखभाल करते हैं ;

(ख) यदि हां, तो वे देश कौन-कौन से है ; और

(ग) इस कार्य के लिये ब्रिटेन को १९५३–५४ में कितनी रकम दी गई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां) : (क) और (ख). ब्रिटिश दूतावास द्वारा किसी भी देश में भारत का प्रतिनिधित्व नहीं होता है । फिर भी जिन देशों में हमारे प्रतिनिधि नहीं हैं वहां ब्रिटिश दूतावास मुख्यतः भारतीय राष्ट्रजनों को पारपत्र सुविधायें और दूतिक सहायता दे कर भारतीय हितों की सेवा करते हैं ।

(ग) इन सेवाओं के लिये ब्रिटेन को कुछ नहीं दिया जाता है ।

आर्थिक सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह-निर्माण योजना

*१०७०. **सेठ गोविन्द दास** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में आर्थिक सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह-निर्माण योजना के अन्तर्गत अब तक कितनी सहकारी संस्थाओं तथा औद्योगिक श्रमिकों के मालिकों को आवास गृह बनाने में सफलता मिली है ; और

(ख) इस प्रयोजन के लिये प्रत्येक को कितनी आर्थिक सहायता देने का विचार है ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) सभा की मेज पर दो विवरण रक्खे जा रहे हैं । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३९]**

(ख) राज्य सरकारों, सहकारी संस्थाओं तथा औद्योगिक श्रमिकों के मालिकों को सहायता देने के लिये अलग अलग रकमें निर्धारित नहीं की गई हैं । मकान बनाने की हर एक योजना पर उन की विशेषताओं के अनुसार विचार किया जाता है, और खर्च की रकम योजनाओं के आने तथा स्वीकृत होने पर निर्भर है ।

सीमा सम्बन्धी विवाद

*१०७१. **श्री सारंगधर दास** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब के गांवों का कुल कितना क्षेत्र ऐसा है जिस पर पाकिस्तान दावा करता है और जो वर्तमान में भारत के अधीन है ; और

(ख) परस्पर दावों का निर्णय किन आधारों पर किया जाता है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) और (ख). पाकिस्तान द्वारा दावा किया गया पंजाब के गांवों का क्षेत्र निश्चित तौर से बताना सम्भव नहीं है जो वर्तमान में भारत के अधीन हैं क्योंकि पंजाब क्षेत्र की सीमा निर्धारण का कार्य अभी पूरा हीं हुआ है । सीमा निर्धारण न होने के कारण अंतर्ग्रस्त क्षेत्र मालूम करना सम्भव नहीं है । भारत और पाकिस्तान सरकारों ने एक समझौते पर स्वीकृति दे दी है कि इस सीमा पर यथावत् स्थिति बनाये रखना है तथा इस व्यवस्था के परिणास्वरूप दूसरी ओर दावा किये गये क्षेत्रों के प्रत्यर्पण के लिये किसी भी पक्ष ने दावे प्रस्तुत नहीं किये हैं । सीमा सम्बन्धी कुछ महत्त्वपूर्ण विवाद पंजाब के वित्तीय आयुक्तों के पास निर्देश कर दिये गये हैं ताकि वे इन का परीक्षण कर दोनों केन्द्रीय सरकारों के समक्ष अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करें । वित्तीय आयुक्तों की चर्चा अभी जारी है ।

जब वित्तीय आयुक्तों के अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त हो जायेंगे और जब पंजाब में भारत-पाकिस्तान सीमा निश्चित हो जायेगी तब सीमा क अवस्था ठीक कर दी जायेगी ।

चमड़ा कमाने के करखाने

*१०७२. **श्री अमजद अली** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार को मालूम है कि प्रतिस्पर्द्धा का सामना करने की असमर्थता के कारण देश भर में चमड़ा कमाने के छोटे छोटे कारखाने बन्द हो रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो कारखानों को औद्योगिक एकक अथवा सहकारी संस्थाओं के रूप में संगठित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) सरकार को मालूम है कि चमड़ा कमाने के कुछ छोटे कारखाने बन्द हो गये हैं ।

(ख) सरकार ने इस सम्बन्ध में विशेष रूप से मद्रास सरकार से चर्चा की थी । अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं किये गये हैं ।

केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड

*१०७३. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड द्वारा सितम्बर १९५४ में बनाये गये कार्यक्रम में सम्मिलित विभिन्न स्थानो के धरातल की ऊंचाई निचाई सम्बन्धी सर्वेक्षण पर केन्द्र द्वारा कार्य आरम्भ किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में विभिन्न स्थानों पर किये जाने वाले कार्य पर अभी तक कितनी रकम खर्च की गई है ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) जानकारी संग्रहीत की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

त्रिपुरा में रुई की कीमत

*१०७४. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में १९५३–५४ और १९५४–५५ में रूई की क्या कीमतें थीं ;

(ख) इन कीमतों में और कलकत्ता में उक्त अवधि में व्यास कीमतों में क्या अन्तर था ; और

(ग) रूई के मूल उत्पादकों को अधिक कीमतों की आश्वस्ति के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) से (ग). जानकारी संगृहीत की जा रही है ।

लाख उद्योग

*१०७५. **श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री लाख उद्योग में बढ़ती हुई मन्दी का सामना करने के लिये सरकार द्वारा की गई कार्यवाहियों का स्वरूप बताने की कृपा करेंगे ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : सरकार की सम्मति में वर्तमान में लाख उद्योग में वास्तविक मन्दी का कोई प्रमाण नहीं है ।

कोयले का चूरा

*१०७६. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार और बंगाल की समस्त कोयला खदानों के द्वार पर न बिका हुआ रद्दी कोयला और कोयले का चूरा वृहद् मात्रा में पड़ा हुआ है ;

(ख) क्या इस ढेर से छुटकारा पाने और रुकी हुई पूंजी को युक्त करने के लिये कुछ कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ग) क्या कोयला खान के मालिकों ने इस सम्बन्ध में सरकार के समक्ष कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) फरवरी, १९५५ के प्रारम्भ में बंगाल-बिहार की कोयले की खानों में कोयले के चूरे का संग्रह १० लाख ८० हजार टन है ।

(ख) कोयले का चूरा अधिकांशतः इटें पकाने में काम आता है लेकिन कोयला लाने ले जाने के लिये अपर्याप्त डब्बों के कारण चूरे की पूर्ण मात्रा और विशेष रूप से मुगल सराय स्टेशन में सम्भरण करना, सम्भव नहीं है । कोयले की खानों में जहां अत्यधिक मात्रा में चूरा इकट्ठा हो गया है कोयला आयुक्त द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गई है :

(१) कच्चा कोक और ईंटें पकाने के कोयले से सम्बन्धित समिति को स्टाक उठाने की दृष्टि से सम्पूर्ण अभ्यंश का लगभग २० प्रतिशत निर्धारित करने के लिये परामर्श दिया गया है ।

(२) वृहद स्टाक वाली कोयला की खानों को राज्य कोयला नियंत्रक तथा सम्बन्धित रेलवे के परामर्श से चुने हुये स्थानों पर ढेर स्थापित करने की अनुमति दी गई है ताकि डब्बों के सम्भरण में सुधार होने पर चूरे की ऋतु में डब्बे आवंटित किये जाने पर उक्त ढेर में कोयला भेजा जा सके ।

(ग) समय समय पर अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

औद्योगिक श्रमिकों के लिये सहायता प्राप्त आवास योजना, हैदराबाद

*१०७७. **श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के अधीन, १ अप्रैल, १९५२ से ३१ दिसम्बर, १९५४ के बीच औद्योगिक श्रमिकों

के लिये गृह-निर्माण के सम्बन्ध में हैदराबाद सरकार को सहायता के रूप में कुल कितनी रकम दी गई है ; और

(ख) उक्त अवधि में हैदराबाद राज्य में भारतव में कितने मकान बनाये गये हैं और कितने मकानों का निर्माण अभी जारी है ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) ४.०६ लाख ।

(ख) ३१ दिसम्बर, १९५४ तक २,३९९ मकानों का निर्माण पूरा हो चुका था और ११३६ मकानों का निर्माण कार्य जारी था ।

पश्चिमी बंगाल में बेरोजगारी

*१०७८. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :**
श्री तुषार चटर्जी :
श्री एन० बी० चौधरी :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पश्चिमी बंगाल राज्य में बेरोजगारी की समस्या से उत्पन्न स्थिति से परिचित है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में शीघ्र सहायता देने के लिये केन्द्रीय सरकार से कुछ मांग की गई है ;

(ग) किन शीर्षकों के अन्तर्गत सहायता की मांग की गई है ;

(घ) श्रमिकों तथा कर्मचारियों की छंटनी से बचने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ङ) क्या सहायता दिये जाने के फलस्वरूप गांवों में बेरोजगार व्यक्तियों को काम मिलेगा ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र): (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

(घ) छंटनी के विरुद्ध सरकार द्वारा की गई कार्यवाही औद्योगिक विवाद संशोधन अधिनियम, १९५३ के अन्तर्गत सन्निहित है ।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कृत्रिम अभ्रक

*१०७९. **श्री जे० आर० मेहता :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका में कहीं कृत्रिम अभ्रक तैयार किये जाने के बारे में मिले प्रतिवेदनों को पक्का करने के लिये सरकार ने कोई कार्यवाही की है ; और

(ख) क्या सरकार ने इस बात का पता लगाया है कि कृत्रिम अभ्रक बनाने में भारत से निर्यात किया गया कितना अभ्रक का चूरा खर्च होता है अथवा होने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) हां, श्रीमान् । सरकार जानती है कि अमरीका में कुछ कृत्रिम अभ्रक का उत्पादन किया गया है ।

(ख) कृत्रिम अभ्रक के उत्पादन में भारत से निर्यात किया जाने वाला अभ्रक कितना खर्च होता है इस बारे में कुछ पता नहीं है ।

नन्दीकोंडा परियोजना

*१०८०. **डा० रामा राव :** क्या **योजना** मंत्री २२ दिसम्बर, १९५४ को दिये गय

तारांकित प्रश्न संख्या १४९० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को नन्दीकोंडा परियोजना में प्रस्तावित रूपभेदों के बारे में आंध्र सरकार से कोई उत्तर मिला है ;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) इस परियोजना पर कब कार्य आरम्भ होगा ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) जनवरी, १९५५ ।

(ग) परियोजना का प्रारम्भिक कार्य आरम्भ करने के लिये कार्यवाही की जा रही है ।

लालटेन उद्योग

*१०८१. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी जहाजी कम्पनियां भारत से दूसरे देशों को विदेशी लालटेनों को ले जाने पर भारतीय लालटेनों की अपेक्षा कम भाड़ा लेती हैं ; और

(ख) भारतीय लालटेन उद्योग का विकास करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) सरकार के ध्यान में ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है ।

(ख) यह उद्योग अब भली प्रकार स्थापित हो चुका है और सरकार से कोई विशेष सहायता पाये बिना अपने पैरों पर आप खड़ा रह सकता है ।

ट्राम्बे में तेल शोधक कारखाने की वस्तुएं

*१०८२. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय का पैट्रोल विभाग ट्राम्बे की तेल शोधनशालाओं की वस्तुओं के संभरण को विनियमित करता है ; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). तेल समवायों के साथ शोधनशालायें स्थापित करने के लिये किये गये करारों की शर्तों में समवाय को भारत में शोधन की गई वस्तुओं के वितरण का प्रबन्ध करने की स्वतन्त्रता दी गई है । अतः शोधनशालायें स्थापित करने से पेट्रोल विभाग के कृत्य नहीं बदले हैं । वे संभरण का विनियमन और शोधन की गई वस्तुओं का वितरण वैसे ही करेंगे जैसे उस समय करते थे जब कि देश की सब आवश्यकतायें आयात कर के पूरी की जाती थीं । पेट्रोल विभाग निजी और सार्वजनिक असैनिक और रक्षा उपभोक्ताओं की मांगों में सामंजस्य स्थापित करता है और उन विभिन्न वस्तुओं की मात्रा के बारे में मंत्रणा देता है जिस के आयात की स्वीकृति देनी चाहिये । यह तेल समवाय के साथ सम्पर्क रखता है ताकि वे देश के प्रमुख स्थानों पर आवश्यकता को पूरा करने के लिये काफी स्कंध प्राप्त कर सकें और समवाय द्वारा फुटकर मूल्य निश्चित करने में भी सहायता करता है ।

विदेशी पूंजी

*१०८३. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **योजना** मंत्री २२ दिसम्बर, १९५४ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या १५१२ के उत्तर

के सम्बन्धमें यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या योजना आयोग ने भारत में विदेशी पूंजी की शर्तों के बारे में कोई नीति बनाई है ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : भारत में विदेशी पूंजी की शर्तों के बारे में नीति की बड़ी बड़ी बातें प्रथम पंचवर्षीय योजना के पृष्ठ ४३७–४३८ पर दी गई हैं । इस रूपरेखा के अन्तर्गत प्रत्येक मामले का निर्णय उस के गुण अवगुण देख कर किया जाना है ।

महिला श्रमिकों के लिये मकान

*१०८४. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी)** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन उद्योग क्षेत्रों में जहां आवास सुविधायें सुगमता से उपलब्ध नहीं हैं महिला श्रमिकों के लिये मकान बनाने का कोई प्रस्ताव है ?

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई योजना तैयार की गई है ;

(ग) क्या सरकार का ध्यान इस विषय में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन द्वारा उन की पिछली बैठक में पारित किये गये संकल्प की ओर दिलाया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उपरोक्त संकल्प पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) से (घ). इस विषय में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का संकल्प मैंने देखा है । काम करने वाली लड़कियों के लिये किसी पृथक् आवास योजना का प्रस्ताव नहीं किया गया है । इस प्रयोजन के लिये सम्बन्धित अभिकरण उन सुविधाओं का प्रयोग कर सकता है जो चालू आवास योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्ध हैं ;

राष्ट्रीय विस्तार खंड

*१०८५. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५४ में हैदराबाद में सामुदायिक परियोजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार खंडों पर कुल कितनी राशि व्यय की गई है ; और

(ख) इस प्रयोजन के लिये कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई है ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : (क) ४८.३२ लाख रुपया ।

(ख) १९५२–५३ और १९५३–५४ के दौरान में आवंटित की गई परियोजनाओं और खंडों के तीन वर्ष के कार्यक्रम के लिये २६०.१२ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है । प्रत्येक वर्ष के लिये खर्च बांटने का काम राज्य सरकार करेगी ।

भाखड़ा बांध

*१०८६. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाखड़ा बांध के निर्माण का कार्य आरम्भ हो गया है ; और

(ख) कंकड़ कुटाई का काम आरम्भ करने की कब तक सम्भावना है ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां । उस स्थान पर, जहां बांध बनाया जाना है, नीवें खोदने क

कार्य इतनी गहराई तक किया जा चुका है कि नीचे चिट्टानें आ गई हैं।

(ख) नवम्बर १९५५ में।

त्रिपुरा में आकाशवाणी केन्द्र

*१०८७. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या इस समय आकाशवाणी के किसी केन्द्र से त्रिपुरा के आदिम जातियों के लोक गीत प्रसारित किये जातें हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का त्रिपुरा में एक आकाशवाणी केन्द्र खोलने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) और (ख). त्रिपुरा में आकाशवाणी केन्द्र खोलने का कोई विचार नहीं है। गौहाटी के आकाशवाणी केन्द्र में शीघ्र ही एक शक्तिशाली शार्टवेव ट्रांसमिटर लगा कर उस की क्षमता को बढ़ाया जा रहा है ताकि वहां से आसाम और त्रिपुरा के सब भागों के लिये कार्यक्रम प्रसारित किया जा सके। गौहाटी से नियमपूर्वक त्रिपुरा की आदिम जातियों के लोक गीत प्रसारित करने का विचार है।

स्वर्गीय श्री डब्ल्यू सी० बनर्जी की समाधि

*१०८८. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **प्रधान मंत्री** २१ सितम्बर, १९५४ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ११६८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस के पश्चात् ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त के प्रतिनिधि स्वर्गीय श्री डब्ल्यू० सी० बैनर्जी की समाधि पर गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो समाधि अब कैसी अवस्था में है ;

(ग) इस की मरम्मत पर कितने खर्च का अनुमान है ; और

(घ) इस कीं देख रेख पर कितने खर्च का अनुमान है और वह किस संस्था द्वारा किया जायेगा ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) जी हां।

(ख) समाधि अच्छी अवस्था में है परन्तु कुछ मरम्मत की आवश्यकता है ;

(ग) पत्थर के कार्य की मरम्मत के अतिरिक्त जिस का अनुमान अभी उपलब्ध नहीं है, मरम्मत के खर्च का अनुमान १८ पाऊंड १२ शिलिंग है।

(घ) समाधि के निकट घास की ठीक प्रकार कटाई और उस की साधारण देख भाल के लिये वार्षिक शुल्क एक पाऊंड है। यह सेवा कब्रिस्तान के प्राधिकारियों को एकबारगी ३३ पाऊंड की राशि देने से सदैव के लिये प्राप्त की जा सकती है।

कोयला

२९३. **श्री पी० सी० बोस** : क्या **उत्पादन** मंत्री १३ सितम्बर, १९५४ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ८३१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४ के दौरान में भारत से कितने कोयले का निर्यात किया गया ; और

(ख) कोयले का निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से ही सरकार द्वारा नियुक्त की गई समिति के अनुसन्धान के परिणामस्वरूप कोयले के निर्यात को बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) (क) २,०२७,९५६ टन ।

(ख) भारत से कोयले के निर्यात, को बढ़ाने के लिये समिति द्वारा की गई सिफारिशें लोक सभा पटल पर रखी गई हैं । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ४०]** अन्तिम दो सिफारिशें (एच) और (आई) सरकार द्वारा मान ली गई हैं और उन्हें कार्यान्वित किया जा चुका है । सिफारिश (ग) के सिद्धांत को भी स्वीकार कर लिया गया है । समिति की अन्य सिफारिशों पर विचार हो रहा है और सम्बन्धित मंत्रालयों का परामर्श प्राप्त किया जा रहा है ।

समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने कोयले के निर्यात को बढ़ाने के हेतु दो कार्यवाहियां की हैं । एक तो कोयले में राजकीय व्यापार समाप्त करना और दूसरे निर्यात पर श्रेणीवार प्रतिबन्ध हटाना ।

ट्रेड मार्क जांच समिति

२९४. **श्री पी० एन० राजभोज** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३ में नियुक्त की गयी ट्रेड मार्क जांच समिति ने क्या क्या बातें मालूम की हैं ; तथा

(ख) क्या यह सत्य है कि सरकार ने इस समस्या के परीक्षण के लिये एक बार फिर समिति नियुक्त की है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) ट्रेड मार्क जांच समिति की उपपत्तियां अभी सरकार के विचाराधीन हैं ।

(ख) नहीं, श्रीमान् ।

हिन्दूस्तान इस्पात संयंत्र

२९५. **श्री पी० एन० राजभोज** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हिन्दूस्तान इस्पात मर्यादित द्वारा, रुड़केला में प्रस्तावित बस्ती की प्रारम्भिक योजना पर, अभी तक कितना धन खर्च किया जा चुका है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : हिन्दूस्तान इस्पात मर्यादित द्वारा, रुड़केला में प्रस्तावित बस्ती की प्रारम्भिक योजना पर खर्च की गयी धन राशि के विषय में जानकारी अलग रूप से उपलब्ध नहीं है क्योंकि करार के अनुसार योजना के लिए शिल्पिक परामर्श-दाताओं को दिये जाने वाले शुल्कों का अलग अलग ब्यौरा नहीं दिया हुआ है ?

भारत-नेपाल प्रत्यावर्तन संधि

२९६. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३ तथा १९५४ में भारत से नैपाल में और नेपाल से भारत में भाग कर आये हुए कितने अपराधियों को एक देश ने दूसरे देश के हवाले कर दिया है ; और

(ख) क्या इन अपराधियों को एक दूसरे देश को सौंपने में दोनों देशों ने तत्परता दिखाई है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) तथा (ख). राज्य सरकारों से सूचना मांगी जा रही है और उसके मिलते ही सदन की मेज़ पर उपस्थित की जायगी ।

कच्ची फिल्मों की खपत

२९७. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले चार वर्षों में फिल्म विभाग में प्रतिवर्ष, ३५ मिलीमिटर की कितने

फुट, और कितने मूल्य की कच्ची फिल्मों की खपत हुई है ; तथा

(ख) किस किस प्रकार की फिल्मों की खपत हुई जैसे कि पिक्चर नैगेटिव, साऊंड नैगेटिव तथा पाजेटिव ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) तथा (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ४१]**

अपहृत स्त्रियों की पुनःप्राप्ति

२९८. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५४ में, भारत और पाकिस्तान द्वारा क्रमशः कितनी अपहृत नारियां खोज कर अपने अपने देश को भेजी गई थीं ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : पाकिस्तान द्वारा भारत और भारत द्वारा पाकिस्तान को भेजी गई अपहृत स्त्रियों की संख्या क्रमशः १६० तथा १,११४ है । इस में अपहरण के उपरान्त उत्पन्न होने वाले बच्चे सम्मिलित नहीं हैं । इन बच्चों को भी अपनी माताओं के साथ ही वापिस भेजा गया है, उन की संख्या क्रमशः २२ तथा १६३ है ।

प्रधान मंत्री की राष्ट्रीय सहायता-निधि

२९९. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५४ में प्रधान मंत्री को राष्ट्रीय सहायता निधि के अधीन कितनी धनराशि प्राप्त हुई है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : पहली जनवरी, १९५४ से ३१, दिसम्बर, १९५४ तक प्रधान मंत्री की राष्ट्रीय सहायता-निधि के अधीन प्राप्त होने वाली धन-राशि ५१,४०,८५१ रुपये ९ आने ३ पाई है ।

वैज्ञानिक तथा शिल्पिक सम्मेलन

३००. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि शान्तिपूर्ण कार्यों के लिये अणु-शक्ति के विकास के सम्बन्ध में विचार विमर्श करने के लिए अगस्त, १९५५ में एक अन्तर्राष्ट्रीय शिल्पिक सम्मेलन होगा ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए भारत को कोई निमंत्रण प्राप्त हुआ है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) तथा (ख). जी, हां । डा० एच० जे० भाभा को इस सम्मेलन के प्रधान पद के लिए नाम-निर्देशित किया गया है ।

काश्मीर

३०१. **चौधरी मुहम्मद शफी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के कूटनीतिज्ञ दल के कितने सदस्यों ने पहली अगस्त, १९५३ तथा पहली अगस्त, १९५४ के दौरान में जम्मू तथा काश्मीर का दौरा किया था ; तथा

(ख) क्या जब वे वहां ठहरे हुए थे तो उन में से किसी को उक्त राज्य से चले जाने के लिये कहा गया था ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) ६७ ।

(ख) नहीं, श्रीमान् ।

प्रथम पंच वर्षीय योजना

३०२. **चौधरी मुहम्मद शफी :** क्या **योजना** मंत्री निम्न लिखित बातें बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) प्रथम पंच वर्षीय योजना के अधीन जम्मू तथा काश्मीर राज्य में निम्न-लिखित प्रकार की कितनी परियोजनायें प्रारम्भ की गयी हैं : सिंचाई, सड़कें, विद्युत्, सामुदायिक परियोजनायें तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा ;

(ख) ये परियोजनायें किस किस स्थान पर चलाई गयी हैं तथा अभी तक इनमें कितनी प्रगति हुई है ; तथा

(ग) इन पर कुल कितनी धनराशि खर्च के लिए मंजूर की गयी थी और वास्तव में इन में से प्रत्येक पर कितना खर्च आया है ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : (क) से (ग). जम्मू तथा काश्मीर राज्य से प्राप्त होने पर यह जानकारी सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

विदेशों में भारतीय दूतावास

३०३. **श्री गिडवानी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका पाकिस्तान तथा चीन में हमारे दूतावासों में विभिन्न कोटियों के कितने गजेटिड कर्मचारी काम कर रहे हैं ; तथा

(ख) १९५३–५४ में प्रत्येक दूतावास की विभिन्न कोटियों पर पृथक पृथक कितना खर्च आया था ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) तथा (ख). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ४२**] क्योंकि समय समय पर कर्मचारियों का स्थानान्तरण होता रहता है, अतः हो सकता है कि ये आंकड़े वास्तविक संख्या से कुछ भिन्न हों ।

स्थानीय कार्य-शिविर

३०४. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :**
श्री के० के० बसु:

क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी बंगाल में कितने स्थानीय कार्य-शिविर इस समय कार्य कर रहे हैं ;

(ख) प्रत्येक कैम्प में कितने व्यक्ति रह रहे हैं ;

(ग) उन्हें किस प्रकार का कार्य दिया गया है ; तथा

(घ) उन्हें कितनी मजदूरी दी जाती है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) ६८ ।

(ख) एक विवरण लोक-सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ४३**]

(ग) भूमि खोदने का कार्य ।

(घ) कार्य के योग्य शरीर वाले व्यक्तियों को ही काम दिया जाता है । मजदूरी कार्य के परिमाण के अनुसार दी जाती है । तो भी, यदि कोई मजदूर १/८/- रुपये से कम कमा पाता है तो इस कमी को पूर्ण करने के लिए उसे अलग सहायता दी जाती है । यदि किसी मजदूर के परिवार में तीन से अधिक सस्दय हैं तो उसे २/८/- रुपये प्रति सप्ताह प्रति सदस्य के हिसाब से एक अतिरिक्त सहायता दी जाती है ।

जल तथा विद्युत् गवेषणा केन्द्र

३०५. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने [redacted] कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि कुछक राज्य सरकारों ने अपने ही जल तथा विद्युत् गवेषणा केन्द्र स्थापित कर लिए हैं ; तथा

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, हां ।

(ख) बम्बई, हैदराबाद, मद्रास, मैसूर, उत्तर प्रदेश, पंजाब, तथा पश्चिमी बंगाल ।

ग्रामों में बिजली लगाना

३०६. **श्री बी० एन० कुरील :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राय बरेली जिले में बिजली लगाने की योजनाओं के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को एक पृथक अनुदान दिया गया है ; तथा

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी धन राशि दी गयी है ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) तथा (ख). राय बरेली, प्रतापगढ़, बाराबंकी और सुलतानपुर के जिलों में ८ उपनगरों में बिजली लगान के हेतु उत्तर प्रदेश की सरकार को वित्तीय सहायता, अनुदान के रूप में नहीं अपितु ७० लाख रुपयों तक ऋण के रूप में दी जा रही है ।

दामोदर घाटी निगम मुख्यालय

३०७. **डा० राम सुभाग सिंह :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दामोदर घाटी निगम ने अपने मुख्यालय के निर्माण के लिये रांची में लगभग ३०० एकड़ भूमि क्रय की है ;

(ख) यदि हां, तो इस समय इस भूमि का उपयोग कैसे किया जा रहा है ; तथा

(ग) कार्यालय का निर्माण कार्य कब प्रारम्भ होगा ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) वह भूमि पहले कृषि क्षेत्र के रूप में उपयुक्त की जा रही थी, अब उस में खेती कार्य बन्द कर दिया गया है । अब इस भूमि को कैसे उपयुक्त किया जाये अथवा क्या इसे बेच दिया जाये यह प्रश्न दामोदर घाटी निगम के विचाराधीन है ।

(ग) दामोदर घाटी निगम ने अपने मुख्यालय को अभी दो तीन वर्ष तक कलकत्ता में ही रखने का निर्णय किया है । अतः निगम ने, इस बात का निर्णय करना अभी स्थगित कर दिया है कि उस का मुख्यालय कहा पर निर्मित किया जाये और यह कार्य कब से प्रारम्भ किया जाये ।

पाकिस्तान से आई हुई निराश्रित स्त्रियों का पुनर्वास

३०८. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी पाकिस्तान से आई हुई निराश्रित स्त्रियों के सहकारी पुनर्वास के लिये बनाई गयी योजना कैसी चल रही है ;

(ख) इस कार्य के लिये स्वीकृत की गई ३,७१,९८० रुपये की धन राशि में से कितनी राशि अभी तक खर्च की जा चुकी है ;

(ग) कितने उत्पादन केन्द्र खोले गये हैं, और किन किन स्थानों पर ये केन्द्र खोले गये हैं ; तथा

(घ) अभी तक कितनी असहाय नारियों को पुनः बसाया जा चुका है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले): (क) पूर्वी पाकिस्तान से आई हुई निराश्रित स्त्रियों को पुनः बसाने के सम्बन्ध में सहकारी आधार पर केवल एक ही योजना इस समय चल रही है, और वह संतोषजनक कार्य कर रही है ।

(क) २,९८,८१७/-/- रुपये ।

(ग) दो उत्पादन केन्द्र, एक हाबरा और दूसरा मियरबार में मंजूर किये गये हैं । हाबरा केन्द्र में कार्य पहले ही प्रारम्भ हो चुका है । और मियरबार केन्द्र के लिये किये जाने वाले प्रबन्ध लगभग पूर्ण होने को हैं ।

(घ) पश्चिमी बंगाल में १,८९० पूर्वी भाग के अन्य राज्यों की सरकारों से आंकड़े एकत्रित किये जा रहे हैं ।

पश्चिमी ब्रामविच में हड़ताल

३०९. **श्री डी० सी० शर्मा :**
श्री एस० एन० दास :
डा० सत्यवादी :
डा० राम सुभग सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि पश्चिमी ब्रामविच परिवहन विभाग (बरमिंघम) के कर्मचारियों ने हाल ही में यह निर्णय किया है कि वे एक भारतीय के एक बस कंडक्टर के रूप में नियोजित किये जाने के विरुद्ध हर शनिवार को हड़ताल किया करेंगे ; तथा

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) जी हां । इस सम्बन्ध में सरकार ने कुछ प्रैस संवाद देखें हैं ।

(ख) सरकार स्थिति का निरीक्षण कर रही है । नवीनतम प्रेस संवादों से पता चलता है कि हड़ताल समाप्त कर दी गई है ।

लोक सभा

वाद-विवाद

(भाग २--प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

(खंड २, १९५५)

(१४ मार्च से ३१ मार्च १९५५)

1st Lok Sabha

नवम सत्र, १९५५

(खंड २ में अंक १६ से अंक ३० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली।

विषय-सूची

(खण्ड २, अंक १६ से ३०--१४ मार्च से ३१ मार्च, १९५५)

अंक १६--सोमवार, १४ मार्च, १९५५

	स्तम्भ
राजा त्रिभुवन का निधन	१४८१--८४
संविधान (चतुर्थ संशोधन) विधेयक--संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव असमाप्त . . .	१४८४--१५७८
श्री जवाहरलाल नेहरू	१४८४--९८
श्री एन० सी० चटर्जी	१४९९--१५०५
श्री एच० एन० मुकर्जी	१५०६--१२
श्री अशोक मेहता .	१५१२--१८
श्री पाटस्कर . .	१५१८--४७
श्री फ्रैंक एन्थनी	१५४७--५२
डा० कृष्णस्वामी . .	१५५२--५९
श्री सी० सी० शाह . . .	१५५९--६७
श्री वी० जी० देशपांडे . .	१५६७--७८

अंक १७--मंगलवार, १५ मार्च, १९५५

राज्य-सभा से संदेश . .	१५७९--८०
पटल पर रखा गया पत्र--	
लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन (डाक व तार), १९५५, भाग १ .	१५८०
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति--आठवां प्रतिवेदन----उपस्थापित	१५८०
संविधान (चतुर्थ संशोधन) विधेयक संयुक्त समिति को सौंप गया	१५८०--१६८२
श्री वी० जी० देशपांडे . .	१५८१--८४
श्री गाडगील .	१५८४--८९
श्री तुलसीदास	१५८९--९६
श्री यू० एम० त्रिवेदी	१५९६--९९
श्री वेंकटरामन	१५९९--१६०५
पण्डित ठाकुर दास भार्गव .	१६०५--१८
श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी	१६१८--२२
श्री पुन्नूस	१६२२--२६

स्तम्भ

श्री बी० एस० मूर्ति . . . . . १६२६—२८
श्री पी० एन० राजभोज . . . . . १६२८—३५
श्री टी० टी० कृष्णमाचारी . . . . . १६३५—५३
श्री बर्मन . . . . . १६५३—५५
श्री एस० एन० दास . . . . . १६५५—६१
श्री राघवाचारी . . . . . १६६१—६३
श्री जवाहरलाल नेहरू . . . . . १६६३—७९

अत्यावश्यक पण्य विधेयक—

प्रवर समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित . . १६८२

अंक १८—बुधवार, १६ मार्च, १९५५

स्थगन प्रस्ताव—

कलकत्ता बन्दरगाह में काम बन्द हो जाना १६८३

पटल पर रखे गये पत्र—

जापान के रेशम उद्योग के बारे में समाचार पत्रिका . . १६८४

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और नमक अधिनियम के अधीन अधिसूचना १६८४

राज्य सभा से सन्देश . . १६८४-८५

हिन्दू अवयस्कता तथा संरक्षता विधेयक—

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन पटल पर रखा गया . . . १६८५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—तेईसवां प्रतिवेदन

—उपस्थापित १६८५

गेहूं के लाने ले जाने पर से प्रतिबन्धों को हटाने के बारे में वक्तव्य . . १६८५—८७

१९५५-५६ का सधारण आय-व्ययक—

सामान्य चर्चा—असमाप्त . . . . १६८७—१७७०

अंक १९—गुरुवार, १७ मार्च, १९५५

राज्य सभा से सन्देश . १७७१—७२

अनुपस्थिति की अनुमति . . १७७२—७३

१९५५-५६ का साधारण आय-व्ययक—

सामान्य चर्चा—असमाप्त १७७३—१८५६

अंक २०—शुक्रवार, १८ मार्च, १९५५ । स्तम्भ

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
पांडिचेरी में हड़ताल . . . . . १८५७—६३
१९५५-५६ का साधारण आय-व्ययक—
सामान्य चर्चा—असमाप्त . . . . १८६३—१९०१
गैर-सरकारी विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
तेईसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत . . . . . १९०१—०२
भारतीय कार्मिक संघ (संशोधन) विधेयक—
(नई धारा १५क का रखा जाना)—विचार करने का प्रस्ताव—अस्वीकृत १९०२—३३
श्री टी० बी० विट्ठल राव . . . १९०२—०५
श्री डी० सी० शर्मा . . . . १९०५—०९
श्री केशवैयंगार . . . . १९०९—१२
श्री साधन गुप्त . . . . १९१२—१५
श्री आर० आर० शास्त्री . . १९१५—२४
डा० सत्यवादी . १९२५—२७
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती . . १९२७—२८
श्री खंडूभाई देसाई . . . १९२८—३२
भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक (धारा ५ का संशोधन)—
परिचालित करने का प्रस्ताव—असमाप्त १९३३—४६
श्री यू० सी० पटनायक . . . १९३३—३९
श्री बोगावत . . . . . १९३९—४१
श्री शिवमूर्ति स्वामी . . . . १९४१—४६
श्री भागवत झा आज़ाद . १९४६

अंक २१—शनिवार, १९ मार्च, १९५५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
कलकत्ता पत्तन में हड़ताल . . १९४७—४९
पटल पर रखे गये पत्र—
खनिज संरक्षण तथा विकास नियम, १९५५ . . . १९४९
१९५५-५६ का साधारण आय-व्ययक—
सामान्य चर्चा—असमाप्त . . १९५०—२०७५
राज्य सभा से सन्देश . २०७५—७८

अंक २२—सोमवार, २१ मार्च, १९५५ स्तम्भ

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति २०७७

१९५५-५६ के लिये साधारण आय-व्ययक—

सामान्य चर्चा—समाप्त . . . . . २०७७—२१२९

अत्यावश्यक पण्य विधेयक, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—

विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . २१२९—२१७५

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी . . २१२९—३४, ३५

श्री अमजद अली . . २१३४—३५

श्री यू० एम० त्रिवेदी . . २१३५—३९

श्री वेंकटरामन् २१३९—४३

कुमारी एनी मैस्करीन . . . . २१४३—४५

पंडित ठाकुर दास भार्गव . . . २१४५—६२

श्री तुषार चटर्जी . . . . . २१६२—६४

डा० सुरेश चन्द्र . . . . . २१६४—६८

श्री राघवाचारी . . . . . २१६८—७०

श्री नन्द लाल शर्मा . . . . . २१७०—७२

श्री कानूनगो . . . . . २१७३—७५

खण्ड २ से ७क . . . . . २१७५—९०

अंक २३—मंगलवार, २२ मार्च, १९५५

राज्य सभा से सन्देश . . . . . २१९१—९३

फ्रन्टियर मेल की दुर्घटना के बारे में वक्तव्य . . . . २१९३—९४

अत्यावश्यक पण्य विधेयक—संशोधित रूप में पारित . . . २१९४—२२०२

खण्ड १ और ८ से १५ . . . . . २१९४—२२०२

पारित करने का प्रस्ताव २२०२

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी २२०२

१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें—

मांग संख्या ९९—निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय . . २२०३—८८

मांग संख्या १००—संभरण . . . २२०३—४६

मांग संख्या १०१—अन्य असैनिक निर्माण-कार्य . . २२०३—४६

मांग संख्या १०२—लेखन-सामग्री तथा मुद्रण . . . २२०३—४६

मांग संख्या १०३—निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय २२०३—४६

	स्तम्भ
मांग संख्या १३६—नई दिल्ली पर पूंजी व्यय .	२२०३—४६
मांग संख्या १३७—भवनों पर पूंजी व्यय . . .	२२०३—४६
मांग संख्या १३८—निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	२२०३—४६
मांग संख्या ६४—श्रम मंत्रालय .	२२४५—८८
मांग संख्या ७०—मुख्य खान निरीक्षक . .	२२४५—८८
मांग संख्या ७१—श्रम मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय .	२२४५—८८
मांग संख्या ७२—काम दिलाऊ दफतर तथा पुनस्संस्थापन .	२२४५—८८
मांग संख्या ७३—अर्सैनिक रक्षा .	२२४५—८८
मांग संख्या १२९—श्रम मंत्रालय का पूंजी व्यय .	२२४५—८८
कोयला खानों में दुर्घटनायें . .	२२८७—९८

अंक २४—बुधवार, २३ मार्च, १९५५

पटल पर रखे गय पत्र—

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के ३७वें अधिवेशन में गये हुए भारत सरकार के प्रतिनिधि मण्डल का प्रतिवेदन . . .	२२९९
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
चौबीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित . . .	२२९९
संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	२३००
सभा का कार्य . . .	२३००—०२
१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें—	२३०२—२४२०
मांग संख्या ६९—श्रम मंत्रालय . .	२३०२—३६
मांग संख्या ७०—मुख्य खान निरीक्षक . .	२३०२—३६
मांग संख्या ७१—श्रम मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय .	२३०२—३६
मांग संख्या ७२—काम दिलाऊ दफ्तर तथा पुनस्संथापन.	२३०२—३६
मांग संख्या ७३—अर्सैनिक रक्षा . .	२३०२—३६
मांग संख्या १२९—श्रम मंत्रालय का पूंजी व्यय .	२३०२—३६
मांग संख्या ९०—पुनर्वास मंत्रालय . .	२३०२—३६
मांग संख्या ९१—विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय	२३३६—२४२०
मांग संख्या ९२—पुनर्वास मंत्रालय के अधीन विविध व्यय .	२३३६—२४२०
मांग संख्या १३२—पुनर्वास मंत्रालय का पूंजी व्यय	२३३६—२४२०

अंक २५—गुरुवार, २४ मार्च, १९५५ ।

स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या २३३ के उत्तर की शुद्धि २४२१

मद्यसारिक उत्पाद (अन्तर्राज्यिक व्यापार तथा वाणिज्य) नियंत्रण विधेयक—

पुरःस्थापित . . २४२१—२२

१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें— २४२२—२५५४

मांग संख्या ९०—पुनर्वास मंत्रालय . २४२२—४०

मांग संख्या ९१—विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय . . २४२२—४०

मांग संख्या ९२—पुनर्वास मंत्रालय के अधीन विविध व्यय २४२२—४०

मांग संख्या १३२—पुनर्वास मंत्रालय का पूंजी व्यय २४२२—४०

मांग संख्या ४१—खाद्य तथा कृषि मंत्रालय २४३९—२५५४

मांग संख्या ४२—वन २४३९—२५५४

मांग संख्या ४३—कृषि . . . २४३९—२५५४

मांग संख्या ४४—असैनिक पशु-चिकित्सा सेवायें . . . २४३९—२५५४

मांग संख्या ४५—खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा अन्य व्यय . . . . २४३९—२५५४

मांग संख्या १२१—वनों पर पूंजी व्यय . . २४३९—२५५४

मांग संख्या १२२—खाद्यान्नों का क्रय . . . २४३९—२५५४

मांग संख्या १२३—खाद्य तथा कृषि मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय २४३९—२५५४

अंक २६—शुक्रवार, २५ मार्च, १९५५ ।

१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें— . २५५६—९६,२६१०-११,२६५९—६४

मांग संख्या ४१—खाद्य तथा कृषि मंत्रालय . २५५६—६८

मांग संख्या ४२—वन . . . २५५६—६८

मांग संख्या ४३—कृषि . . . . . २५५६—६८

मांग संख्या ४४—असैनिक पशु-चिकित्सा सेवायें . . . २५५६—६८

मांग संख्या ४५—खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा अन्य व्यय . २५५६—६८

मांग संख्या १२१—वनों पर पूंजी व्यय . . २५५६—६८

मांग संख्या १२२—खाद्यान्नों का क्रय . . . . २५५६—६८

मांग संख्या १२३—खाद्य तथा कृषि मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय . २५५६—६८

मांग संख्या ११—रक्षा मंत्रालय . २५६९—९६,२६१०—११,२६५९—६४

मांग संख्या १२—रक्षा सेवायें, क्रियाकारी सेना . २५६९—९६,२६१०—११,२६५९—६४

मांग संख्या १३—रक्षा सेवायें, क्रियाकारी-नौ सेना २५६९—९६,२६१०—११,२६५९—६४
मांग संख्या १४—रक्षा सेवायें, क्रियाकारी—वायु बल २५६९—९६,२६१०—११,२६५९—६४
मांग संख्या १५—रक्षा सेवायें, अक्रियाकारी व्यय २५६९—९६,२६१०—११,२६५९—६४
मांग संख्या १११—रक्षा पूंजी व्यय . २५६९—९६,२६१०—११,२६५९—६४
संसद्-सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक—पारित २५९७—२६१,०२६११—१६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—चौबीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत २६१६

श्रमिकों द्वारा सामूहिक संपणन के बारे में संकल्प—अवरुद्ध . . २६१६—१९
मूल्यों के असंतुलन के बारे में संकल्प—अवरुद्ध . . २६१९—२५
नदी घाटी योजनाओं के बारे में संकल्प—
वापिस लिया गया . . . २६२५—६०

अंक २७—सोमवार, २८ मार्च, १९५५ ।

पटल पर रखे गये पत्र—
भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् का १९५२-५३ के लिये वार्षिक प्रतिवेदन २६६५
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . . . २६६५—६६
राज्य सभा से सन्देश . . . २६६६—६७
१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें— . . . २६६८—२७७६
मांग संख्या ११—रक्षा मंत्रालय . . २६६८—२७७६
मांग संख्या १२—रक्षा सेवायें, क्रियाकारी-सेना . . २६६८—२७७६
मांग संख्या १३—रक्षा सेवायें, क्रियाकारी नौ सेना . २६६८—२७७६
मांग संख्या १४—रक्षा सेवायें, क्रियाकारी वायुबल . २६६८—२७७६
मांग संख्या १५—रक्षा सेवायें, अक्रियाकारी व्यय २६६८—२७७६
मांग संख्या १११—रक्षा पूंजी व्यय . . २६६८—२७७६

अंक २८—मंगलवार, २९ मार्च, १९५५ ।

पटल पर रखे गये पत्र—
आश्वासनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण . २७७७-७८
आंध्र के बारे में राष्ट्रपति की उद्घोषणा . . २७७८
राज्य सभा से सन्देश . . . २७७८-७९
वित्त विधेयक—याचिका उपस्थापित . २७७९

	स्तम्भ
१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें—	२७७९—२८९४
मांग संख्या ११—रक्षा मंत्रालय . . .	२७८१—२८००
मांग संख्या १२—रक्षा सेवायें क्रियाकारी सेना . . .	२७८१—२८००
मांग संख्या १३—रक्षा सेवायें, क्रियाकारी नौसेना	२७८१—२८००
मांग संख्या १४—रक्षा सेवायें क्रियाकारी—वायु बल	२७८१—२८००
मांग संख्या १५—रक्षा सेवायें अक्रियाकारी व्यय	२७८१—२८००
मांग संख्या १११—रक्षा पूंजी व्यय	२७८१—२८००
मांग संख्या ५—संचार मंत्रालय	२७९९—२८९४
मांग संख्या ६—भारतीय डाक तथा तार विभाग (कार्यवहन व्यय सहित) . .	२७९९—२८९४
मांग संख्या ७—अन्तरिक्ष विज्ञान .	२७९९—२८९४
मांग संख्या ८—समुद्र पार संचार सेवा	२७९९—२८९४
मांग संख्या ९—उड्डयन	२७९९—२८९४
मांग संख्या १०—संचार मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	२७९९—२८९४
मांग संख्या १०८—भारतीय डाक तथा तार घर पूंजी व्यय (राजस्व से न देय) . . .	२७९९—२८९४
मांग संख्या १०९—असैनिक उड्डयन पर पूंजी व्यय	२७९९—२८९४
मांग संख्या ११०—संचार मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	२७९९—२८९४

अंक २९—बुधवार, ३० मार्च, १९५५ ।

राज्य सभा से सन्देश	२८९५
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
पच्चीसवां प्रतिवेदन —उपस्थापित	२८९५
१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें—	२८९५—२९१८
मांग संख्या ५—संचार मंत्रालय	२८९५—२९१४
मांग संख्या ६—भारतीय डाक तथा तार विभाग (कार्यवहन व्यय सहित) .	२८९५—२९१४
मांग संख्या ७—अन्तरिक्ष विज्ञान .	२८९५—२९१४
मांग संख्या ८—समुद्र पार संचार सेवा	२८९५—२९१४
मांग संख्या ९—उड्डयन	२८९५—२९१४
मांग संख्या १०—संचार मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	२८९५—२९१४
मांग संख्या १०८—भारतीय डाक तथा तार पर पूंजी व्यय (राजस्व से न देय) . .	२८९५—२९१४
मांग संख्या १०९—असैनिक उड्डयन पर पूंजी व्यय	२८९५—२९१४
मांग संख्या ११०—संचार मंत्रालय पर अन्य पूंजी व्यय .	२८९५—२९१४

	स्तम्भ
मांग संख्या ४६—स्वास्थ्य मंत्रालय	२९१४—४७
मांग संख्या ४७—चिकित्सा सेवायें	२९१४—४७
मांग संख्या ४८—लोक स्वास्थ्य	२९१४—४७
मांग संख्या —स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन विविध व्यय .	२९१४—४७
मांग संख्या १२४—स्वास्थ्य मंत्रालय का पूंजी व्यय . .	२९१४—४७
मांग संख्या ७६—प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय .	२९४७—९८
मांग संख्या ७७—भारतीय भू-परिमाप . . .	२९४७—९८
मांग संख्या ७८—वानस्पतिक सर्वेक्षण . .	२९४७—९८
मांग संख्या ७९—प्राणकीय सर्वेक्षण .	२९४७—९८
मांग संख्या ८०—भूतत्वीय सर्वेक्षण .	२९४७—९८
मांग संख्या ८१—खानें . . .	२९४७—९८
मांग संख्या ८२—वैज्ञानिक गवेषण	२९४७—९८
मांग संख्या ८३—प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय . .	२९४७—९८
मांग संख्या १३०—प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय का पूंजी व्यय	२९४७—९८

अंक ३०—गुरुवार, ३१ मार्च, १९५५ ।

पटल पर रखे गये पत्र—	
समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें . .	२९९९
राज्य सभा से सन्देश	२९९९—३०००
वित्त आयोग (विविध उपबन्ध) संशोधन विधेयक—राज्य सभा द्वारा पारित रूप में पटल पर रखा गया	३०००
हैदराबाद निर्यात शुल्क (मान्यीकरण) विधेयक—पुरःस्थापित . .	३०००-०१
रेलवे सामान (अवैध कब्जा) विधेयक—	
प्रवर समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित . . .	३००१
सरकारी भूगृहादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक—प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय में वृद्धि . .	३००१-०२
१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें—	
मांग संख्या २१—आदिम जाति क्षेत्र .	३००१—८२,३०८२—३१००
मांग संख्या २२—वैदेशिक कार्य . .	३००१—८२,३०८२—३१००
मांग संख्या २३—पांडिचेरी राज्य . .	३००१—८२,३०८२—३१००
मांग संख्या २४—वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के अधीन विविध व्यय	३००१—८२,३०८२—३१००
मांग संख्या ११३—वैदेशिक-कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय	३००१—८२,३०८२—३१००
संविधान (चतुर्थ संशोधन) विधेयक—	
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित . . .	३०८२

GIPD—HS—41 LSL—13-8-55—240

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग २--प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

लोक-सभा

बुधवार, १६ मार्च, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

---

१२ बजे मध्यान्ह

स्थगन प्रस्ताव

कलकत्ता बन्दरगाह में काम बन्द हो जाना

अध्यक्ष महोदय : मुझे श्री टी० के० चौधरी से कलकत्ता में जहाजी एजेंटों और जहाजों पर माल चढ़ाने उतारने वालों के काम बन्द कर देने पर उन के विरुद्ध कार्यवाही करने में सरकार की कथित असफलता के बारे में एक स्थगन, प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है । मुझे पहले ही सदन के दो सदस्यों से इस विषय की ओर ध्यान आकर्षित करने और वक्तव्य देने के लिये सूचनायें प्राप्त हो चुकी हैं । इन परिस्थितियों में यह स्थगन प्रस्ताव आवश्यक नहीं है । और इस की मंजूरी नहीं दी जा सकती । हमें माननीय मंत्री के वक्तव्य की प्रतीक्षा करनी चाहिये । मेरे विचार में इस में दो या तीन दिन से अधिक समय नहीं लगेगा ।

पटल पर रखे गये पत्र

जापान के रेशम उद्योग के बारे में समाचार पत्रिका

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) केन्द्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) विधेयक, १९५२ पर चर्चा के दौरान में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री द्वारा २९ जुलाई, १९५२ को दिये गये आश्वासन के अनुसरण में, मैं समाचार पत्रिका संख्या २१ की एक प्रति जिस में जापान के रेशम उद्योग के बारे में रिपोर्ट दी गई है, पटल पर रखता हूं [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एस०—८३/५५**]

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और नमक अधिनियम के अधीन अधिसूचना

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और नमक अधिनियम १९४४ की धारा ३८ के अधीन मैं वित्त मंत्रालय की अधिसूचना संख्या ३, तिथि १ मार्च, १९५५ की एक प्रति पटल पर रखता हूं । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखियें संख्या एस०—८४/५५**]

राज्य सभा से सन्देश

सचिव : मुझे राज्य सभा से निम्न दो संदेश मिले हैं :

(१) कि सभा द्वारा १० मार्च, १९५५ को पारित किये गये विनियोग (रेलवे) विधेयक, १९५५ के बारे में राज्य सभा को इस सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है : और

[सचिव]

(२) कि सभा द्वारा ११ मार्च, १९५५ को पारित किये गये विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक के बारे में राज्य सभा को इस सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

हिन्दू अवयस्कता तथा संरक्षकता विधेयक

विधि मंत्रालय में मंत्री (श्री पाटस्कर) : हिन्दुओं में अवयस्कता और संरक्षता सम्बन्धी विधि के कुछ भागों को संशोधित और संहिताबद्ध करने वाले विधेयक के बारे में में संयुक्त समिति की रिपोर्ट की एक प्रति पटल पर रखता हूं ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति

तेईसवां प्रतिवेदन

श्री कासलीवाल (कोटा झालवाड़ा) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति की इसवीं रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूं ।

गेहूं के लाने ले जाने पर से प्रतिबन्धों को हटाना

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : जैसा कि सदन को विदित है, गेहूं की नई फसल निकट है । राज्य सरकारों और व्यापारियों की राय है कि देश में कुछ भागों में संभवतः बड़ी मात्रा में फालतू गेहूं होगा । राजस्थान, पंजाब पटियाला-संघ और उत्तर प्रदेश में फसलें अच्छी हैं और अतिरिक्त गेहूं होने की आशा है । किसानों के हितों की रक्षा के लिये यह आवश्यक है कि फसल आने से पूर्व ऐसे कदम उठायें जायें जिन से फसल आते ही भाव बहुत अधिक न गिर जायें ।

ऐसा एक कदम गेहूं के लाने ले जाने पर लगी हुई क्षेत्रीय रोक को हटाना है । केवल गेहूं ही ऐसा खाद्यान्न है जिस के लाने या ले जाने पर प्रतिबन्ध है । अब विचार यह है कि सरकार की विनियंत्रण की नीति पूर्णता को पहुंचा दी जाये ।

अब देश गेहूं के तीन क्षेत्रों में बंटा है उत्तरी, पश्चिमी और पूर्वी । प्रत्येक एकक में ६ राज्य हैं । इस विभाजन का उद्देश्य यह था कि गेहूं की कमी को देखते हुए अत्यन्त कमी वाले क्षेत्र जैसे बम्बई और कलकत्ता घेर दिये जायें और उन की आवश्यकता बाहर से मंगाये हुए गेहूं से पूरी की जाये, जिस से उन की मांग से देश के भीतरी बाजारों में भाव ऊंचे न चले जायें । साथ ही इन नगरों के बाजार आयातित गेहूं के लिये खुले रखे जायें, मुख्यतः उस अवस्था में जब हमें अपना अन्तर्राष्ट्रीय समझौते के अधीन रक्षित भाग लेने के लिये कहा जाये ।

भय है कि देश के कुछ भागों में गेहूं के भाव बहुत नीचे न चले जायें । यह संभावना नहीं दिखाई देती कि हमें अपना अन्तर्राष्ट्रीय समझौते के अन्तर्गत निर्धारित गेहूं लेने के लिये बाध्य किया जायेगा । यदि यह हो भी तो वह आयात प्रस्तारित रक्षित भंडार के लिये काम में लाया जायेगा । फसल अच्छी है और गेहूं अतिरिक्त है, इस लिए उपलब्धि में कमी पड़ने का कोई भय नहीं है । किन्तु फिर भी कलकत्ता और बम्बई को आयातित गेहूं सावधानी के रूप में दिया जाता रहेगा । उस का भाव साढ़े तेरह रुपये ही होगा उस से आन्तरिक बाजारों पर इन अत्यन्त कमी वाले क्षेत्रों की मांग का दबाव नहीं पड़ेगा ।

किन्तु सरकार जानती है कि कुछ समय तक स्थिति को सतर्कता पूर्वक देखते रहना आवश्यक है । इस लिये सरकार का विचार है कि क्षेत्रीय प्रतिबन्ध को तुरन्त हटा दिया जाये और बम्बई और कलकत्ता की आटे की मिलों को खुले बाजारों में अपनी तीन मास की आवश्यकता की पूर्ति के लायक गेहूं खरीदने की छूट दे दी जाये । इस के लिये आवश्यक आदेश जारी किया जायेगा । इस से आन्तरिक बाजारों में गेहूं की सामयिक मांग पैदा हो जायेगी और गेहूं के भावों का स्तर गिरने की प्रवृत्ति रुक जायेगी । साथ ही मिलों की मांग को भी सीमित रखा जा सकेगा ।

इन मिलों को देशी गेहूं आगे खरीदने दिया जाये या उन्हें आयातित गेहूं ही दिया जाये । यह निर्णय पीछे किया जायेगा । साथ ही सरकार का विचार कुछ चुने हुए केन्द्रों में जहां भाव कम होंगे, विशेष कालावधि के लिये, १० रुपये प्रति मन की दर पर गेहूं खरीद करने का विचार है ।

१९५५-५६ का साधारण आय-व्ययक

सामान्य चर्चा

अध्यक्ष महोदय : अब सदन सामान्य आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा आरम्भ करेगा । जैसा कि सदस्यों को विदित है, यह सामान्य चर्चा २१ मार्च, १९५५ तक जारी रहेगी ।

मैं माननीय सदस्यों को याद दिलाना चाहूंगा कि शिकायतों की ओर वित्त विधेयक की चर्चा के दौरान में ध्यान दिलाया जा सकता है । इस के लिये उचित अवसर वही है । जहां तक आय-व्ययक पर चर्चा का सम्बन्ध है, सदन को समूचे आय-व्ययक पर या इस के किसी सिद्धान्त पर चर्चा करने का अधिकार होगा ।

डा० लंका सुन्दरम् (विशाखपटनम) : मैं एक औचित्य प्रश्न उठाना चाहता हूं । सदन बहुत शीघ्र आय-व्ययक पर चर्चा आरम्भ करेगा और अन्त में वित्त विधेयक पर भी जैसा कि यह २८ फरवरी को पुरः स्थापित किया गया था । अनुदानों की मांगों को निपटाने के बाद वित्त विधेयक पर खंडशः विचार होगा ।

किन्तु राज्य सभा में आय-व्ययक और वित्त विधेयक पर ११ तारीख को चर्चा समाप्त कर दी गई थी । मेरा प्रश्न यह है कि राज्य सभा में करों के बारे में छूट देने की कुछ घोषणा की गई थी । इस की भाषा यह थी :

"छूट देने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं और एक प्रैस विज्ञप्ति आज शाम को लग भग २० मिनट के अन्दर जारी होने की संभावना है । यह वित्त विधेयक के खंड २५ की मद संख्या २१ के बारे में है और यह प्रैस नोट ११ को जारी किया गया था ।

१४ तारीख को एक और प्रैस नोट जारी किया गया था और यह वित्त विधेयक के खंड २५ की मद २२ के बारे में था इस के द्वारा भी कर में छूट दी गई थी ।

मद संख्या २१ के मामले में ११ दिन तक कर इकट्ठे किये गये और मद संख्या २२ के मामले में १४ दिन तक और उस के बाद छूट दे दी गई ।

जहां तक इस सदन का सम्बन्ध है, संविधान के अनुच्छेद ११० की भाषा बिल्कुल स्पष्ट है :

"(किसी कर का) आरोपण उत्पादन, परिहार, बदलना या विनियमन, ..."

आप देखेंगे कि वित्त मंत्री ने यह घोषणा करने के लिये राज्य सभा को चुना । इस का वित्त विधेयक में प्रस्तावित करों की कुल राशि पर, जिस के आधार पर इस सदन के सामने

[डा० लंका सुन्दरम्]

आय-व्ययक प्राक्कलन पारित करने के लिये रखे गये थे, निश्चित प्रभाव पड़ेगा । वित्त मंत्री ने यह उचित नहीं समझा कि वह अपने अभिप्रायों की घोषणा इस सदन के सामने करे । प्रश्न यह है कि वित्त विधेयक और आय-व्ययक सदन के सामने हैं और केवल यही सदन इन्हें पारित कर सकता है । जब करों में कमी कर के आय-व्ययक में और वित्त विधेयक में परिवर्तन कर दिया गया है, तो आय-व्ययक प्राक्कलन और अनुदानों की मांगें जो कि गत मास की २८ फरवरी को सदन के सामने रखी गई थीं, वहीं नहीं रहीं । वित्त विधेयक भी जो कि २८ फरवरी को पुरःस्थापित किया गया था, अब वित्त विधेयक नहीं होगा, जब कि अगले मास की १३ को सदन के सामने चर्चा के लिये आयेगा ।

अध्यक्ष महोदय : वित्त मंत्री इस विषय में क्या कहना चाहते हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : माननीय सदस्य ने जो तथ्य बताये हैं, वह ठीक हैं । कुछ सामान्य विधियों के अन्तर्गत सरकार को लगाये हुए करों को कम करने या छूट देने का अधिकार है । यद्यपि वित्त विधेयक सदन के सामने है, अधिनियम के अन्तर्गत ये कर लागू हो जाते हैं ।

कुटीर उद्योगों पर वित्त विधेयक और इस अधिनियम का जो प्रभाव पड़ता है, उस की ओर हमारा ध्यान दिलाया गया था । यदि वित्त विधेयक पारित भी हो गया होता तो भी हमें छूट देने या करों में कमी कर के परिवर्तन करने का अधिकार है ।

दूसरा प्रश्न यह उठाया गया है कि वित्त मंत्री के लिये अधिसूचना की घोषणा राज्य सभा में करना आवश्यक नहीं था । हम अधिसूचना पहिले जारी कर के बाद में इस के बारे में घोषणा कर सकते थे । यह एक अवसर की बात है । वास्तव में राज्य सभा में मेरे उत्तर देने की तिथि १० से बदल कर ११ दी गई थी । ११ को जब मैं वहां बोल रहा था, मुझे केन्द्रीय राजस्व बोर्ड से एक पत्र प्राप्त हुआ कि अपने निर्णय के अनुसार यह अधिसूचना जारी की जाने वाली है । मेरा ख्याल था कि इस से बहुत से माननीय सदस्यों को जिन्हों ने कुटीर उद्योगों की कठिनाइयों की ओर ध्यान दिलाया था संतोष होगा इसलिये मैं ने इस पत्र का विषय अपने उत्तर में सम्मिलित कर लिया था । अतः इस सदन के प्रति अनादर की कोई भावना नहीं थी । जैसा कि मैं ने पहले कहा है, मैं अधिसूचना पहले जारी कर के बाद में यह घोषणा कर सकता था कि कर कम कर दिया गया है ।

सरदार हुक्म सिंह (कपूरथला—भटिंडा) : प्रश्न यह नहीं है कि कार्यपालिका को कर कम करने का अधिकार था या नहीं । यह बात तो माननीय सदस्य ने भी स्वीकार की है कि इसे अधिकार है । पर विचार करने की बात यह है कि जब वित्त विधेयक इस सभा में पेश कर दिया गया है और आय-व्ययक भी हमारे सम्मुख है तो क्या यह संभव था कि इस की घोषणा उसी समय की जा सकती थी या आवश्यकता पड़ने पर दोनों सभाओं के सामने एक साथ की जा सकती थी । मैं समझता हूं कि इस सभा को दूसरी सभा से छोटा समझा जाता है और हम इस का घोर विरोध करते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : उन को सब से बड़ी आपत्ति यह है कि वित्त विधेयक संशोधित रूप में हमारे सामने पेश किया जा रहा है । पर, मैं इसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं समझता ।

डा० लंका सुन्दरम् : की गई घोषणा के अनुसार कम किये गये करों के कारण

आय-व्ययक के प्राक्कलन में अन्तर पड़ेगा और परिणामस्वरूप वित्त विधेयक की दशा वैसी नहीं रहेगी जैसी तब थी, जब गत मास की २८ तारीख को इसे हमारे सम्मुख पेश किया गया था ।

अध्यक्ष महोदय : पर सरकार का इस सभा के सदस्यों के अतिरिक्त मांग को बढ़ाने या किसी प्रकार का कर लगाने का किसी को हक नहीं है । अतः इस में कोई औचित्य मुझे दिखलाई नहीं पड़ता है । हमें इस विषय पर चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री सी० डी० देशमुख: मैं एक बात कहना चाहता हूं । इस चर्चा के उपसंहार में उत्तर देने के लिये मैं कुछ मार्ग दर्शन चाहता हूं । क्या माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि माननीय सदस्यों के अभ्यावेदनों और विचारों को सुन कर मेरे मन में जो प्रतिक्रिया हुई है, मैं उस के सम्बन्ध में कुछ न कहूं । जब तक हम वित्त विधेयक पर नहीं आ जाते मैं इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कह सकता कि कर सम्बन्धी प्रस्थापनाओं में कोई परिवर्तन किया जायेगा या नहीं, या मैं यह कहने की अनुमति मांगूंगा कि "मैं इस पर विचार करूंगा ।" माननीय सदस्य इस बात की शिकायत करेंगे कि मैं ने वित्त विधेयक में कुछ भी कमी कर दी है ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री के स्पष्ट वक्तव्य के बाद अब इस विषय में चर्चा करना व्यर्थ है । अतः कोई औचित्य प्रश्न नहीं है । अब हम चर्चा प्रारम्भ करेंगे ।

आचार्य कृपालानी (भागलपुर व पूर्निया) : मैं माननीय वित्त मंत्री को बधाई देता हूं । उन का आय-व्ययक कल्याणकारी राज्य के लिये है । पर पूंजीवादी, आतंकवादी और कम्युनिस्ट राज्य भी तो कल्याणकारी राज्य हो सकते हैं । पर उनका आय-व्ययक समाजवादी आधार पर नहीं है :

वर्तमान आय-व्ययक गत वर्ष के आय-व्ययक की अपेक्षा अधिक पेचीदा है ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

हम इन के कुछ उपबन्धों पर विचार करेंगे । जहां तक आय कर का सम्बन्ध है अविवाहितों और विवाहितों के बीच अन्तर रखा गया है । यह ठीक है पर वित्तों में इसकी व्यवस्था करना उचित नहीं । फिर अविवाहितों का कर कम कर देने और विवाहितों पर अधिक कर लगाने से न कोई लाभ है और न हानि ।

७,५०० रुपये से १०,००० रुपये तक की आय वालों पर आय कर लगभग २८ प्रतिशत बढ़ा दिया गया है जब कि १०,००० रुपये से १५,००० रुपये की आय वालों पर केवल ८०३ प्रतिशत आय कर बढ़ाया गया है । उच्च और उच्च मध्यमवर्ग के लोगों के आयकरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है । पूंजीपतियों को २५ प्रतिशत विकास छूट देने की व्यवस्था की गई है । औद्योगिक ऋणों के भुगतान का समय ६ वर्षों के बजाय अनिश्चित काल तक रखा गया है । यह सब अनुचित है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य ने अध्यक्ष महोदय की चर्चा के सम्बन्ध में घोषणा सुनी होगी अतः आय-व्ययक की चर्चा की उस स्थिति पर चर्चा केवल इसी विषय पर होनी चाहिये कि क्या व्यय का वितरण ठीक प्रकार किया गया है; यदि नहीं तो उसे कैसे किया जाये । वित्त विधेयक सम्बन्धी बातों की चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री अशोक मेहता (भंडारा) : अध्यक्ष महोदय ने आय-व्ययक के सामान्य स्वरूप और करारोपण सम्बन्धी विषयों पर भी चर्चा करने की बात कही थी ।

उपाध्यक्ष महोदय : आय-व्ययक और वित्त विधेयक में अन्तर हैं । अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि वित्त विधेयक की चर्चा करते हुए सारी शिकायतें सुनी जा सकेंगी । आय-व्ययक के सम्बन्ध में नियम २२६(१) के अधीन सभी बातों की ओर सभी सिद्धान्तों की चर्चा की जायेंगी । पर करारोपण का सिद्धान्त आय-व्ययक की चर्चा की व्याप्ति में नहीं है । अतः मैं चाहता हूं कि केवल व्यय के ठीक वितरण के बारे में ही चर्चा की जानी चाहिये ।

श्री गाडगील (पूना मध्य) : इस सम्बन्ध में, आप उस विनियम से भी आप ने ही दिया है, दूर जा रहे हैं । गत २५ वर्षों से यही प्रथा रही है कि आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा होते समय उन सिद्धान्तों की भी चर्चा होती है जिन के आधार पर करों का रोपण किया जाता है ।

श्री सी० डी० देशमुख : श्रीमान्, जहां तक मैं समझता हूं आय-व्ययक में सामान्यतः राजस्व, अतिरिक्त या घाटे का, राजस्व और व्यय लेखा तथा सम्पूर्ण घाटा आदि सम्मिलित हैं । जहां तक राजस्व लेखे का संबंध है प्रत्येक व्यक्ति को प्राक्कलन की प्रणाली पर विचार करना चाहिये कि राजस्व का प्राक्कलन कुछ अधिक बनाया गया है या कम किया गया है, क्या व्यय बहुत अधिक बढ़ा दिया गया है और इसी कारण अतिरिक्त या घाटे की स्थिति पैदा हो गई है; अतः माननीय सदस्य आय-व्ययक के स्वरूप की चर्चा कर सकते हैं । वह इस सम्बन्ध में भी अपने विचार प्रकट कर सकते हैं कि कैसे यह घाटा हुआ, क्या वास्तव में कोई घाटा है, और किस प्रकार इस घाटे को पूरा किया जा सकता है और किस योजना से साधारण तथा इस की पूर्ति भी की जाती है । माननीय सदस्य यह भी ध्यान रखें कि प्रत्येक घाटे को पूरा करना जरूरी नहीं होता । वह करारोपण के विभाजन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के सम्बन्ध में भी अपने विचार प्रकट कर सकते हैं । पर मैं आपसे सहमत हूं कि माननीय सदस्यों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नये करों, नये शुल्कों, पुराने शुल्कों आदि को छोड़ कर करारोपण योजना के विशेष ब्यौरे में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है । उन के लिये आय के अमुक खण्ड या उत्पादन शुल्क की अमुक दर की ओर निदेश करना ठीक नहीं होगा यद्यपि वित्त विधेयक पर चर्चा करते हुए इस विषय को भी किया जा सकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : निःसन्देह प्रत्येक माननीय सदस्य को अपने अनुभव से बात कहने का अधिकार है । गत विधान मंडल में हम आय-व्ययक के साथ साथ चीन से पेरु तक की सभी प्रकार की बातों के संबंध में करते रहे हैं परन्तु माननीय अध्यक्ष ने यह कहना उचित समझा था कि इस स्थिति में आय-व्ययक और मांगों और व्यय के नियत करने के बारे में ही अधिक कहना चाहिये । इस सभा में पहले व्यय पर विचार किया जाता है और फिर वित्त विधेयक में व्यय को पूरा करने के प्रयत्नों पर विचार किया जाता है । मेरा सभा से अनुरोध है कि वह विभिन्न मदों के व्यय के ढंग पर अधिक कहें अन्यथा आय-व्ययक पर इस समय की चर्चा का कोई उपयोग नहीं होगा । सामान्य उपायों और साधनों की ओर उतना ही निर्देश करना चाहिये जितना प्रासंगिक हो परन्तु अधिक आग्रह व्यय की मात्रा और व्यय की विभिन्न मदों पर रहना चाहिये ।

श्री नटेशन (तिरुवल्लूर) : जानकारी के लिये मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र की शिकायतों को सभा के समक्ष रखना चाहे

उसे ऐसा कब करना चाहिये । क्या अब ही अथवा वित्त विधेयक पर चर्चा के समय ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं किसी काल्पनिक प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता ।

आचार्य कृपालानी : अब हम कर जांच आयोग की टिप्पणियों की जांच करेंगे और देखेंगे कि वर्तमान आय-व्ययक में उन्हें कितना महत्व दिया गया है । कर जांच आयोग में बताया गया है कि कर द्वारा जो अतिरिक्त लोक विनियोजन प्राप्त होता है वह गैर-सरकारी विनियोजन नहीं है वरन् वस्तुओं का उपयोग कम हो जाता है । इस का अभिप्राय यह हुआ कि कर से उपयोग में और विशेषतया विदेश से आने वाली प्रसाधन वस्तुओं के उपयोग में कमी हो जाती है ।

खण्ड १ पृष्ठ १२७ में कर जांच आयोग ने कहा है कि प्रबन्ध अभिकर्ताओं को जो पारिश्रमिक दिया गया वह १९४६–५१ की सारी कालावधि के लिये लाभों का लगभग १४ प्रतिशत था । अंशधारियों को अभ्यंश के रूप में जो कुछ मिला उस का लगभग आधा प्रबन्ध अभिकर्ताओं को मिल गया । ऐसे पारिश्रमिक का प्रभाव दोनों बांटे गये और न बांटे गये लाभों पर पड़ता है और न बांटे गये लाभों पर और अधिक । इस से पता चलता है कि प्रबन्ध अभिकर्ताओं की आय से पूंजी निर्माण में बाधा पैदा होती है । आयोग ने यह भी कहा है कि युद्धोत्तर काल में उद्योग विस्तार की वित्त व्यवस्था में नये चन्दों की अपेक्षा संयुक्त बचत द्वारा अधिक वित्त प्राप्त हुआ है । इस का अभिप्राय यह है कि निजी आय पर कर से इतना अधिक पूंजी निर्माण नहीं होता ।

आयोग ने यह भी कहा है कि आय कर देने वाले वर्ग में आय करारोपण के विनियमन के अतिरिक्त कर में वृद्धि से आयकर देने वालों और सामान्य जनता के बीच की विषमता में बहुत हद तक कमी हो जाती है । सरकार यदि कर की गतिशील नीति चाहती तो उसे इस बात पर ध्यान देना चाहिये था ।

निःसन्देह वित्त मंत्री ने कहा है कि इस वर्ष के आय-व्ययक में कर जांच आयोग की सभी सिफारिशों को पूरा नहीं किया जा सका है, पर वह सिफारिशें तो एकीकृत हैं । उन में से कुछ को लेना और बाकी को छोड़ देना उचित नहीं है ।

सरकारी कुशलता और व्यय के सम्बन्ध में आयोग ने कहा है कि यद्यपि सरकारी व्यय लाभ के कार्यों के लिये हो रहा है, फिर भी व्यय की व्यवस्था में बचत और कुशलता नहीं है । अतः आयोग ने सिफारिश की है कि राज्यों और केन्द्र में व्यय की जांच के लिये उच्च अधिकारों से युक्त निकाय स्थापित करने चाहियें ।

आयोग ने सिफारिश की है कि कर को विस्तृत और गहरा बनाना चाहिये पर मुझे खेद है कि कर को विस्तार तो दिया गया है पर उसे गहरा नहीं बताया गया है । उदाहरणार्थ महीन कपड़े की तुलना में मोटे कपड़े के उत्पादन शुल्क की इस वृद्धि से लोगों को बहुत हानि होगी । सीने की मशीनों और उन के पुर्जों पर उत्पादन शुल्क की वृद्धि से छोटे पैमाने के उद्योगों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा ।

इस आय-व्ययक में कुछ कम रूढ़िवादी उपबन्ध हैं । निस्सन्देह जब तक देश की शासन व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन न हो तब तक आय-व्ययक में कैसे परिवर्तन किया जा सकता है ।

अर्थ शास्त्रियों ने भी यह स्वीकार किया है कि हमारी अर्थ-व्यवस्था वैसी ही है जैसी अंग्रेजों के राज्यशाही तंत्र में थी ।

[आचार्य कृपालानी]

गांधी जी हमारी अर्थ व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहते थे, और उन का उद्देश्य था कि भारत के ७ लाख गांवों में रहने वाले लोगों के जीवन में परिवर्तन हो। ऐसा परिवर्तन केवल कृषि के आधार पर ही संभव नहीं है। यही कारण है कि कांग्रेस जिस जमींदारी उन्मूलन का श्रेय ले रही है, उस से भी भारत के गांवों में नये जीवन का संचार नहीं हो सका है। भूमि के पुनः वितरण से, वह चाहे विधान द्वारा हो या भूदान द्वारा, भारतीय ग्रामों का पुन त्थान नहीं होगा। इस का कारण यह है कि संसार में कोई भी सभ्यता कभी केवल कृषि पर ही आधारित नहीं रही। यहां तक कि उन्नत कृषि में उद्योग की पर्याप्त आवश्यकता होती है। अतः जब गांधी जी गांवों के पुनरुत्थान की बात करते थे, तब वह कृषि तथा उद्योग दोनों के बारे में बात करते थे। परन्तु आधुनिक शिक्षित व्यक्ति औद्योगिक आन्दोलन के बारे में केवल उसी रूप में विचार कर सकता है जिस रूप में १८वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध और १९वीं शताब्दी के पश्चिम में हुआ था। विकेन्द्रित उद्योग के आधार पर भी औद्योगिक आन्दोलन हो सकता है, जिस से गांवों का पुनरुत्थान होगा, यह उन के लिये क्रान्तिकारी विचार है। गांधी जी जिस प्रकार का औद्योगिक आन्दोलन चाहते थे वह था कि प्रत्येक गांव उत्पादन-केन्द्र हो और वहां पर तथा गांव की मूल आवश्यकताओं की वस्तुओं का उत्पादन हो। भारत जैसे घने बसे देश के लिये ऐसा ही औद्योगिक आन्दोलन उपयुक्त है। पश्चिमी ढंग का औद्योगीकरण भारत में सम्भव नहीं है क्योंकि जिन परिस्थितियों में इसे वहां सफलता मिली थी, उन का यहां पूर्णतया अभाव है। और न ही हमारे लिये यह सम्भव है कि अभीष्ट होने पर भी सभी बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये। इस का कारण यह है कि सरकारी उद्योग गैर-सरकारी उद्योग की अपेक्षा १०० से ३०० प्रतिशत तक अधिक महंगा पड़ता है। फिर इनका संचालन भी महंगा ही होता है। इस में किसी का दोष नहीं है क्योंकि राष्ट्रीय-कृत उद्योग का प्रबन्ध ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया जाता है जिन्हें वाणिज्य और उद्योग का तनिक भी अनुभव नहीं होता। अतः जनसाधारण जहां पूंजीवादी उद्योग पर अविश्वास करते हैं, वहां के राष्ट्रीयकृत उद्योग पर भी संदेह करते हैं। पूंजीवादी कहते हैं कि उन पर अत्याधिक कराधान हो रहा है और सरकार पर दोष लगाते हैं, और सरकार को इस कारग प्रसन्नता होती है कि पूंजीवादियों के दोषारोपण से असावधान जनता को यह प्रतीत होगा कि हमारी सरकार पूंजीवादियों के हाथ में नहीं है।

हमारे देश का औद्योगिक विकास चाहे जितना हो जाये, परन्तु हमारी अधिक और बढ़ती हुई जन संख्या को व्यवसाय के लिये नगरों या कारखानों में ले जाना असम्भव होगा। भारत के उद्योगीकरण और गांवों में रहने वाले करोड़ों व्यक्तियों को व्यवसाय देने तथा उन के जीवनस्तर को उच्च बनाने का एकमात्र एवं उत्तम उपाय यह है कि विकेन्द्रित उद्योग को ६,००,००० गांवों में फैलाया जाये। परन्तु विद्यमान परिस्थितियों की दृष्टि से किसी प्रकार के बने उद्योग का होना आवश्यक है। अतः गांधी जी ने कहा था, कि ग्रामवासी की समस्त औद्योगिक आव-श्यकताओं की पूर्ति विकेन्द्रित उद्योग से होनी चाहिये। केवल इस प्रकार से ही हम भारतीय गांवों को पुनः जन्म दे सकते हैं और उसी समृद्ध व उन्नत स्थिति में पहुंच सकते हैं जो उन की अंग्रेजों के आने के पूर्व थी। जब तक इस दिशा में कार्य न होगा

तब तक बेकारी में कमी न होगी और जनता का जीवन-स्तर ऊंचा नहीं हो सकेगा ।

यह पूछा जाता है कि गांवों तथा कुटीर उद्योगों को जो सहायता दी जा रही है, उस के बारे में क्या बात है । जो भी सहायता दी जाती है उस से गांवों का पुनरुत्थान नहीं हो सकता, क्योंकि यह बेकारी-भत्ता के समान है और यह उस समय तक दिया जा रहा है जब तक कि बड़े उद्योगों द्वारा व्यवसाय में वृद्धि होती है । ग्राम उद्योग वर्तमान परिस्थितियों में तभी फलीभूत हो सकता है जब कि बड़े और छोटे उद्योगों को अलग अलग कर दिया जाय और किसी प्रकार का हस्तक्षेप न होने दिया जाय । परन्तु हमारे वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ने बताया है कि ऐसा विभाजन नहीं हो सकता । उन्हों ने एक और प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जो अद्भुत है । उन का कहना है : हम शोषण की बात क्यों करें ? शोषण कहीं नहीं है, या प्रत्येक स्थान पर शोषण है । हमें सह-अस्तित्व की बात करनी चाहिये । बड़े और छोटे उद्योगों का सह-अस्तित्व, अच्छाई और बुराई का सह-अस्तित्व; मेमने और सिंह का सह-अस्तित्व । मेरा कथन यह है कि वर्तमान परिस्थितियों में मेमना केवल सिंह के पेट में सह-अस्तित्व रख सकता है । पूंजीपतियों के उद्योग का सिंह ऐसे सह-अस्तित्व के प्रस्ताव का स्वागत करेगा ।

श्री बंसल (झज्जर–रेवाड़ी) : प्रत्येक बजट उद्देश्यपूर्ण होता है । हम पंचवर्षीय योजना के चौथे वर्ष में हैं, इसलिये मैं बजट को इस कसौटी पर कसूंगा कि यह योजना किस प्रकार क्रियान्वित की गई है तथा कितना कार्य अवशेष है और अभी हमारी महत्वकांक्षायें क्या हैं ?

मैं देखता हूं कि कुल २,३०० करोड़ रुपये की राशि में से प्रथम तीन वर्षों में ८०० करोड़ रुपये व्यय हुए हैं । चौथे वर्ष के लिये ५५० करोड़ रुपये की राशि निश्चित की गई है । जिस से मैं इस परिणाम पर पहुंचता हूं कि हम लक्ष्य से ३०० से ३५० करोड़ रुपये पीछे रह जायेंगे । मेरे विचार से यह प्रगति असन्तोष जनक नहीं है । इस के लिये वित्त मंत्री तथा सभी सम्बन्धित व्यक्ति बधाई के पात्र हैं ।

चार वर्षों में कुल १,००० करोड़ रुपये की विशुद्ध पूंजी का विनियोग हुआ है निस्संन्देह सरकारी क्षेत्रों में उक्त पूंजी उपयुक्त रीति से लगाई गई है, किन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस पूंजी का कुछ प्रतिफल भी प्राप्त होने लगा है ? इसलिये मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इस प्रकार का एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें जिस में नई परियोजनायें, उन में लगाई गई पूंजी, तथा उस से होने वाली आय दिखाई गई हो । यह केवल अधिकाधिक जानकारी प्राप्त करने के अभिप्राय से नहीं कहा गया है तथापि सर्व साधारण यह जानना चाहते हैं कि इस महान् पूंजी से देश को क्या लाभ हुआ है ?

यद्यपि, जैसा कि मैं कह चुका हूं, मुझे योजना की प्रगति से सन्तोष है तथापि बेकारी पर इसका कोई वांछनीय परिणाम दृष्टिगत न ही होता है । नवम्बर १९४५ में राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक के विवरण से यह प्रगट हुआ है कि भाग 'क' राज्यों में बेकारी की स्थिति वास्तव में बिगड़ी ही है, भाग 'ख' राज्यों में भी स्थिति पूर्ववत् है अथवा कुछ बिगड़ी ही है । इस प्रकार सरकारी क्षेत्र में १,००० करोड़ रुपये की, तथा यदि ग़ैर सरकारी क्षेत्र को भी जोड़ें तो २,००० करोड़ रुपये की पूंजी लगा कर भी बेकारी की समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है । अतः मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन

[श्री बंसल]

करूंगा कि वह व्यय की विभिन्न मदों का इस दृष्टि से अध्ययन करें कि उन्हें उन क्षेत्रों का पता लग सके जहां पूंजी लगाने से तुलनात्मक रूप में अधिक व्यक्तियों को काम मिल सकता है।

निःसंदेह जैसा कि मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र की सामुदायिक परियोजना के क्षेत्र में देखा है, वहां आधी बेकारी तथा अस्थायी बेकारी कम हो गई है तथापि जैसा कि उक्त प्रतिवेदन से प्रगट है बेकार व्यक्तियों की संख्या पूर्ववत ही है इसलिये यह बात नितांत आवश्यक है कि हम ऐसे क्षेत्रों का पता लगायें जहां पूंजी लगाने से व्यक्तियों को अधिक संख्या में काम मिलेगा।

जैसा कि माननीय वित्त मंत्री ने कहा है, अगले दस वर्षों में हमने २ करोड़ ४० लाख व्यक्तियों के लिये काम खोजना है। इस बड़ी समस्या के हल के लिये हमें निःसंदेह गवेषणा करनी पड़ेगी।

कुछ प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों का यह मत है कि इस से भी बड़े पैमाने पर विकास व्यय करना होगा किन्तु यह भी सम्भव है कि पूंजी विनियोग के क्षेत्रों में परिवर्तन कर के भी हम यह समस्या सुलझा सकें। जब मैं इस पहलू पर विचार करता हूं तो मुझे निराशा होती है क्योंकि सरकार ने उन्हीं क्षेत्रों की अपेक्षा की है जहां से अधिक से अधिक व्यक्तियों को काम दिला सकते थे उदाहर्णार्थ मशीनों के औजारों के कारखाने में जिस पर १·९ करोड़ रुपये व्यय होने थे, १९५३-५४ तक कुल व्यय, लक्ष्य से १ करोड़ कम रहा। ठीक यही अवस्था लोहे तथा इस्पात के कारखाने की भी है। जिसम १·७ करोड़ रुपये व्यय होने वाले थे उसमें अब तक केवल दस लाख रुपये ही व्यय हो पाये हैं।

मेरे विचार से काम दिलाने वाली अन्य मदें इस प्रकार हैं। सामुदायिक योजना औद्योगिक गृह योजना, विस्थापित व्यक्तियों के लिये ऋण तथा पुनर्वास इत्यादि। सामुदायिक योजना में वर्ष ११५४-५५ में १२ करोड़ रुपयों में से केवल ८ करोड़ रुपये व्यय हुए हैं। औद्योगिक गृह योजना में भी १९५३-५४ में ५ करोड़ रुपयों में से केवल २.५ करोड़ रुपये व्यय हुए हैं। विस्थापित व्यक्तियों के मामलों में भी स्थिति किञ्चित् मात्र ही अच्छी है।

तब भला रुकावटें कहां पर हैं, स्वीकृत राशि का उपयोग क्यों नहीं हो पाता है क्या कुशल प्रशासन की कमी अथवा टेकनिकल या वित्तीय नियंत्रण की कमी के कारण यह बाधा प्रस्तुत हो रही है? मैं इसका कारण नहीं जानता। इस सम्बन्ध में मैंने चन्दा रिपोर्ट के सम्बन्ध में सुना है। मेरे विचार से ऐसी कई रिपोर्टें होंगी। वित्त मंत्री को यहां यह बताना चाहिये कि इन पर क्या कार्यवाही की जा रही है।

अब मैं राजस्व बजट पर आता हूं। यहां भी वित्त मंत्री के आय का कम तथा व्यय का अधिक अनुमान लगाने का रवैया परिलक्षित होता है। सदैव से ऐसा हुआ है कि आय अनुमानित आय से कहीं अधिक हुई है और परिणामस्वरूप घाटे का बजट भी अधिक बजट बन गया है। पिछले वर्ष १९५४–५५ में १५ करोड़ रुपये का घाटा था। संशोधित प्राक्कलन के अनुसार ५ करोड़ का घाटा था। यदि हम इस में से पाकिस्तान से जो राशि प्राप्त नहीं हुई है, उसे निकाल दें तो संशोधित प्राक्कलनों के अनुसार यह बजट संतुलित बजट है। इसी प्रकार मुझे विश्वास है कि वास्तविक लेखा आने पर वर्तमान बजट भी अधिक बजट हो जायेगा। इस बजट में ३० करोड़ रुपये के घाटे का अनुमान लगाया

गया है। व्यय की कुछ मदों का अनुमान आवश्यकता से अधिक लगाया गया है साथ ही राजस्व की भी कुछ मदें निश्चित रूप में कम आंकी गई हैं यथा कपड़े पर नया उत्पादन-कर।

मैं वित्त मंत्री की इस नीति का समर्थन करता हूं कि चालू व्यय के यथासम्भव भाग की पूर्ति चालू करारोपण से की जाय, किन्तु मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने चालू व्यय के सम्बन्ध में अन्तिम निश्चय कर लिया है। मेरे विचार से औद्योगिक आवास, स्थानीय कार्य, गाडगिल समिति का प्रतिवेदन तथा विस्थापित व्यक्तियों को प्रतिकर इत्यादि मदें, पूंजी बजट में रखी जा सकती हैं। इसी प्रकार अन्य मदें भी हैं जो इस समय राजस्व बजट से ली जाती हैं यथा विकास की योजनायें, समुद्र पार की संचार सेवायें १६·३ लाख रुपये, विमान सेवा ४९·५ लाख रुपये, इस के अलावा भी कई मदें पूंजी व्यय के अन्तर्गत रखी जा सकती हैं। परिणाम यह होगा कि राजस्व बजट का आकार घट जायेगा। घाटा भी अधिक नहीं रहेगा।

इस कारण मैं वित्त मंत्री को यह सुझाव दूंगा कि वह चालू व्यय को तथा पूंजी बजट की मदों की परीक्षा करने के लिये इस सभा के सदस्यों की एक समिति नियुक्त करें।

इस सुझाव का महत्व इस से और भी अधिक बढ़ जाता है कि कर जांच समिति इस परिणाम पर पहुंची है कि हम इस स्थिति पर पहुंचे हैं जहां जीवन के लिये अत्यावश्यक वस्तुओं पर भी कर लगाना आवश्यक हो गया है। ऐसा करना विकास व्यय के हित में ही न्याययुक्त होगा। उन्हों ने चालू व्यय की पूर्ति करने के लिये कर लगाने की सिफारिश नहीं की है जैसा कि वित्त मंत्री जी ने किया है।

कर जांच आयोग ने यह भी सुझाव दिया है कि विकास के अलावा अन्य व्यय पर सरकार को संयंत्र रखना आवश्यक है। इसलिये इस विषय पर विचार करने के लिये एक उच्च अधिकार सम्पन्न समिति को, नियुक्त करने की आवश्यकता है।

वित्त मंत्री ने यह कहा है कि वर्तमान आर्थिक विकास की अवस्था में छंटनी नहीं होगी। मैं उन से सहमत होते हुए भी यह निवेदन करूंगा कि सरकारी पदाधिकारियों तथा उन के सहायकों की संख्या इन वर्षों में बहुत तेजी से बढ़ी है। इन्हें वहां से स्थानान्तरित कर के विकास कार्यों में लगाने से मित्तव्ययता हो सकती है।

अब मैं करारोपण के प्रस्ताव लेता हूं। कपड़े पर उत्पादन शुल्क में कुछ हेर फेर हुई है। इस से गरीब जनता पर कठोर आघात होगा। बजट प्रस्तुत होने के पन्द्रह दिन के उपरान्त ही उस में परिवर्तन की घोषणा कर देनी पड़ी है, जिस से सरकार की, देश तथा उस के उद्योगों के सम्बन्ध में अज्ञता प्रगट होती है। ऐसी योजना के सम्बन्ध में जितना भी कहा जाये कम है। सरकार को उत्पादन शुल्क लगाने से पूर्व ही इस प्रकार की जानकारी होनी चाहिये। कम से कम वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय से संलग्न विकास शाखा को इस का पता होना चाहिये। इन बातों से भारत सरकार के सम्मान को धक्का लगता है।

मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि इन शुल्कों से गरीब जनता ही अधिक भार-ग्रस्त होगी, विशेषतः मोटे कपड़े पर लगे तथा मशीनों पर लगे शुल्क से। इस से देश का निर्यात व्यापार भी प्रभावित होगा और यदि इस प्रकार की बाधायें आती रहीं तो हम निर्यात व्यापार में पिछड़ जायेंगे।

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह): उत्पादन शुल्क निर्यात पर नहीं लगाया जाता ।

श्री बंसल : यह मैं जानता हूं तथापि इस शुल्क का प्रभाव जब आन्तरिक उत्पादन पर पड़ेगा तो इस के निर्यात पर पड़ने वाले प्रभाव को भी आप नहीं रोक सकते हैं ।

डा० एन० बी० खरे (ग्वालियर) : आज मैं हिन्दी में भाषण करना चाहता हूं । मेरी तबियत आज हिन्दी पर आ गई है और इसी से मैं शुरूआत करूंगा । अब यह अर्थ संकल्प है या अर्थ संकट है, मैं नहीं जानता । मेरी राय में यह अर्थ संकल्प नहीं है, बल्कि अर्थ संकट है ।

श्री अलगू राय शास्त्री (जिला आजमगढ़ पूर्व व जिला बलिया पश्चिम) : ऐसा नहीं है ।

डा० एन० बी० खरे : इसलिये मैं भी इस संकल्प पर या संकट के ऊपर अपने तुच्छ विचार थोड़े बहुत व्यक्त करना चाहता हूं । मैं संकुलरवादी नहीं हूं, पुरोगामी नहीं हूं, मुझे समझा जाता है कि मैं प्रतिक्रियावादी हूं, धर्मवादी हूं, प्रगति परान्मुख हूं और जाने क्या क्या हूं ।

श्री रघुनाथ सिंह (जिला बनारस मध्य) : इस में भी क्या सन्देह है ?

डा० एन० बी० खरे : हिन्दू भी हूं और ब्राह्मण भी हूं । "हिन्दू" के लिये मेरे दिल में हमदर्दी है, किसी के लिये घृणा या द्वेष नहीं है, लेकिन "हिन्दू" के लिये हमदर्दी है, इस को अगर बुरा माना जाता है तो भले ही बुरा माना जाये, मुझे इस की पर्वाह नहीं और मैं तो यही कहूंगा :

"अगर हमदर्दिए हिन्दू निशानी कुफ्र की ठहरी,
मझे बो कुफ्र देता जा, मेरा ईमान लेता जा ।"

मुझे इस बात की पर्वाह नहीं । इसलिये मैं अपना भाषण शुरू करने से पहले हिन्दू हूं, ब्राह्मण हूं, और दुर्गा देवी की प्रार्थना करना चाहता हूं और वह प्रार्थना मैं अपनी भाषा में इन दो फिकरों में करूंगा :—

"दुर्गे दुर्घट भारी तुजविण संसारी
अनाथ नाथे अंबे करुणा विस्तारी ।"

हे, दुर्गा देवी, तेरी मदद के बिना इस संसार में काम करना बड़ा कठिन है, इसलिये तू अपनी करुणा का हस्त मेरी तरफ बढ़ा, ऐसी मेरी प्रार्थना है । मैं समझता हूं कि जैसी प्रार्थना मैं ने की, वैसी ही प्रार्थना हमारे चित्तचोर वित्त मंत्री ने भी दुर्गा देवी से की होगी । क्योंकि जो कर जांच समिति नियुक्त हुई है और उस ने जो सिफारिश की है वह दुर्गा देवी है । दुर्गा देवी की आप हम सब जानते हैं कि दस भुजायें होती हैं और जैसे दुर्गा देवी के दसों हाथों में दस शस्त्र होते हैं जिन के द्वारा वह दुष्टों का संहार करती है और निर्बलों की रक्षा करती है उसी प्रकार वह सब सोलह भुजा उस कर जांच समिति की दुर्गा देवी ने हमारे वित्त मंत्री को सौंप दी .....

श्री बोगावात (अहमदनगर दक्षिण) : क्या वे आय-व्ययक पर बोल रहे हैं या किसी अन्य विषय पर ?

डा० एन० बी० खरे : हां, श्रीमान् मैं आय-व्ययक पर ही बोल रहा हूं ।

वैसे ही हमारे वित्त मंत्री ने किया कि सब तरह से अपनी दसों भुजायें बढ़ा कर और हाथ में कैंची ले कर खींसे उतारना शुरू कर दिया है । अब तो आप समझे कि मैं क्या कह रहा हूं । अब वित्त मंत्री बेचारे बड़ी आफत में हैं, मुझे उन पर करुणा आती है कि वह ऐसे हैं कि जैसे एक पति की दो पत्नी होती हैं और दोनों को उस को संतुष्ट रखना

पड़ता है । श्री देशमुख की भी ठीक उसी प्रकार दो पत्नी हैं, एक पत्नी तो प्राइवेट सैक्टर है और दूसरी पत्नी पबलिक सैक्टर है जो जरा थोड़ी जवान है जब कि पहली पत्नी अधेड़ उम्र की है । होता यह है कि जो जवान पत्नी है वह उन के भूरे बालों से खेलती है . . .

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री आय-व्ययक के विषय तक पहुंचेंगे तब तक तो समय भी समाप्त हो जायेगा ।

डा० एन० बी० खेर : जो अधेड़ उम्र की है वह दुर्बल है और अपनी ओर पति की उदासीनता देख कर कुठित हो जाती है और गुस्से में आ कर अपने बच्चों की खाल भी छील डालती है, ऐसा ही इस बजट में माना गया है, ऐसा मेरा कहना है ।

श्री अलगू राय शास्त्री : ठीक बात है ।

डा० एन० बी० खेर : फिर यह करने का वैसा बहाना भी होना ही चाहिये, तो हम को जिस को कि पंचवर्षीय योजना कहते हैं उस की भंग पिला दी गई है और आप सब जानते हैं कि भंग पीने से क्या होता है । सब मैल मिटे, तन तेज बढ़े, दे रंग भंग का लोटा ना हाथ बढ़े, जी छोटा ।।

उधर तो उन को पंच वर्षीय प्लान रूपी भंग पिला दी है और इधर उन्होंने लूट मार शुरू कर दी है । वह फाइव इयर प्लान जो बना है वह कब सक्सैसफुल होगा और कब हम वह सब्ज़ बाग देखेंगे, कोई नहीं कह सकता और वह सब बहुत दूर है लेकिन प्लान तो उस का है, तो आज दुनिया में जो आर्थिक संकट छाया हुआ है, और बेकारी फैली हुई है उस को नष्ट करना चाहिये, उस दिशा में कुछ काम तो करना चाहिये लेकिन हम देखते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है । प्लान दिन प्रति दिन बढ़ते जाते हैं और उन के साथ ही बेकारी भी बढ़ती जाती है, यह बात सरकारी आंकड़ों से स्वयं सिद्ध है और इसलिये मैं ने शुरू में ही कहा है कि यह जो अर्थ संकल्प है यह बहुत निराशाजनक है और यह तो एक गड्ढे में जाने की तरकीब है, यह मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं ।

दूसरी बात यह है कि अनाज की जो स्थिति जरा सुधर गयी, तो उस का बड़ा ढ़ोल पीटा जाता है कि यह हम ने किया है । खैर, यह किस ने किया, प्रकृति ने किया है, ईश्वर ने किया है या आप ने किया है, मुझे इस में जाने की जरूरत नहीं है लेकिन इस के साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि गेहूं विदेशों से मंगाया जायेगा, मेरी समझ में नहीं आता कि जब हमारी अन्न की स्थिति अच्छी हो गई है तो गेहूं बाहर से क्यों मंगाया जायेगा ? शक्कर भी विदेश से मंगाई जाती है, मैं पूछूं ऐसा क्यों ।

श्री अलगू राय शास्त्री : घी भी बाहर से आ रहा है ।

डा० एन० बी० खेर : जी हां हमारे उद्योग और कारखाने हालांकि पूरा काम नहीं करते हैं, तब भी कपास, सूत, सीमेंट और जूट आदि का उत्पाद बढ़ गया है । ९० कारखानों के वास्ते परमिट ऐप्लाई किया गया है और २२६ कारखानों ने अपनी पूंजी की वृद्धि करने के लिये दरख्वास्तें दी हैं, यह सब अच्छा है और स्वागत योग्य है लेकिन इतना होने पर भी हम देखते हैं कि देश में बेकारी निरन्तर बढ़ती जाती है, यह बात मेरी समझ में नहीं आती, अर्थ मंत्री इस को समझा देंगे, ऐसा मेरा उन से निवेदन है । इसलिये मैं कहता हूं कि इस उत्पादन वृद्धि का कोई महत्व नहीं है, उस का महत्व तो तभी होगा जब हमारी जनता की क्रय शक्ति परचेजिंग पावर बढ़ेगी, वह बढ़ी नहीं है, चीजें पैदा होती हैं लेकिन लोगों के पास आज खरीदने के लिये पैसा नहीं है, सलिये यह सब मामला

[डा० एन० बी० खरे]

बेकार है और मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं ।

दूसरी बात यह है कि हमारा जो स्टर्लिंग रिजर्व है, उस में तीन, चार साल में १५३ करोड़ का घाटा आ गया है, वैसे आप कहते हो कि आयात हमारा बढ़ रहा है। यह लक्षण आर्थिक प्रगति का नहीं है, अगर हो तो मुझे समझा दिया जाये । आंकड़ों से मालूम होता है कि पिछले साल के खर्च में ११ करोड़ की बचत हुई है, लेकिन यह बचत जो हुई है वह कुछ खर्चे में कमी हुई है इसलिये बचत नहीं हुई है बल्कि जो डेवलेपमेंट प्रोजैक्टस थे विकास के काम थे वे पूरे पूरे हाथ में नहीं लिये गये, बल्कि अधूरे छोड़ दिये गये हैं, इस लिये यह बचत मालूम होती है । यह बचत झूठी है ।

इस वर्ष मेरा विचार है कि २० करोड़ रुपया के घाटे का अन्दाज है । इसलिये हमारे वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स को बढ़ा दिया । इस इनकम टैक्स को बढ़ाने से मेरा अन्दाज है कि इनकम ५ करोड़ ७५ लाख बढ़ेगी । लेकिन अगर इस के अनुसार आपत्ति केवल बड़े लोगों पर आती अर्थात् सुपर टैक्स पर इस का असर पड़ता तो मुझे कोई परवाह नहीं थी, लेकिन इस से जो आपत्ति मध्यम श्रेणी के लोगों पर आती है उस से मुझे दुःख है ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि कुछ ऐसे उद्योग हैं, जिन को आप परदेशों से मुकाबला करने के लिये सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन जिन को आप सब्सिडी दे रहे हैं उन्हीं पर आप एक्साइज डयूटी लगा रहे हैं, वह कहां तक न्यायसंगत है ?

श्री डी० डी० पन्त : एक हाथ से देते हैं, दूसरे हाथ से लेते हैं ।

डा० एन० बी० खरे : फिर मैं देख रहा हूं कि बजट भर में व्यापारियों की परवाह है मिल मालिकों की परवाह है, लेकिन आम जनता पर क्या गुजर रही है इस की कोई सुनवाई ही नहीं होती । मैं पूछता हूं उस के वास्ते क्या हो रहा है ? जो जरूरी चीजें हैं जैसे ऊनी कपड़े, सिलाई की मशीनें, बिजली के पंखे, बिजली के रोशनी वाले वल्ब, बैटरियां, सब तरह का कागज, न्यूजप्रिंट को छोड़ कर, वार्निश पेंट, इन सब पर १० परसेन्ट एक्साइज बढ़ा दिया गया है । इस से तो मध्यम श्रेणी के लोगों का जीवन भी दुर्लभ हो जायेगा ।

शकर के ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी ३ रु० १२ आ० प्रति हंडरवेट थी उस को अब बढ़ा कर ५ रु० १० आ० कर दिया गया है । इस का कारण क्या बताते हैं । शकर की खपत इस से कम होगी इसलिये बढ़ाते हैं । मतलब यह है कि गरीब लोग शकर न खा सकें । अगर यही आप का सोशलिस्ट पैटर्न है तो आप को ऐसा कहने में शर्म आनी चाहिये । इस को ही समाजवाद कहना आप को शोभा नहीं देता ।

इस के बाद आप देखिये कि गरीब लोग जो कपड़ा पहिनते हैं उस पर भी एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई है । इस सब को करने से यह होगा कि आप का ३० करोड़ का घाटा जो है उस में से २१ करोड़ की पूर्ति हो जायेगी लेकिन फिर भी ९ करोड़ का घाटा तो बना ही रहेगा । यह सब जो किया गया है उस से जनता को बहुत नुकसान होगा ।

हमारे मुल्क में जो फाइव इयर प्लेन चल रहा है वह सिर्फ अमरीका के लोगों को धोखा देने के लिये है ताकि उन की मदद मिलती रहे । और इसी लिये अर्थ मंत्री के भाषण के दिन अमरीका के बहुत से प्रतिनिधि

आ कर गैलरी में बैठे हुए थे। मैं कहना चाहता हूं कि हम को किसी मुल्क के ऊपर नहीं निर्भर करना चाहिये। जब कोई देश किसी दूसरे देश पर निर्भर करता है तो उस से कोई लाभ नहीं होता है। मैं आप को बतलाता हूं कि शिवा जी के गुरू स्वामी रामदास ने इस बारे में क्या कहा है। यह मराठी में है :

"जो दुर्‌यावरी विश्वासला त्याचा कार्यभाग बुडाला, जो आपणची कष्टत गेला तोचि भला।"

अर्थात् जो दूसरों का विश्वास कर के उस पर निर्भर करता है उस का घर डूब जाता है और जो स्वयं कष्ट कर के कार्य करता है वही सफल होता है। इस से हमारी गवर्नमेंट को सबक लेना चाहिये।

परदेश से अनाज मंगाया जा रहा है, खास कर बरमा से मंहगा चावल मंगाया गया जिस के लिये मैं ने पिछले साल कहा था कि यह रफी, रौफ और रशीद की कान्स्पिरेसी है कि १३ रु० प्रति टन ज्यादा दे कर ९ लाख टन चावल वहां से मंगाया गया। इस के लिये श्री एस० एन० अग्रवाल ने मेरी खिल्ली उड़ाई थी पर कोई उत्तर नहीं दिया था। इस तरह हमारे मुल्क को घाटा हुआ करता है और उस घाटे को हमारे अर्थ मंत्री कहते हैं कि हम कैपिटल एक्स्पेन्डिचर में डाल देंगे। यह चीज सराहनीय नहीं है। इस को खत्म कर देना चाहिये।

फिर ९ करोड़ रुपया सालाना हमारे देश में कर्जे की भुगतान की रकम पाकिस्तान से आनी चाहिये लेकिन वह अब तक नहीं आई है, पता नहीं आयेगी भी या नहीं। उस पर भी हम करार करते जाते हैं उन से, गले मिलते हैं और मजे लेते हैं।

इस के बाद हमें बड़ा दुःख यह मालूम होता है कि हमारे इस देश में हालांकि वह गरीब है, लेकिन फिर भी उस के विस्तार के माफिक उस की सेना नहीं है, नेवी नहीं है और वायु सेना भी नहीं है। इस को बढ़ाना चाहिये। लेकिन बजट में इस के लिये कुछ नहीं है। कहा जाता है कि आज ऐटम बम और हाइड्रोजन बम बन गये हैं उस के सामने सेना क्या करेगी। लेकिन मैं इस में विश्वास नहीं करता। हम कोई संसार की रक्षा के टेकेदार नहीं हैं। आज अणु शक्ति है, हाइड्रोजन शक्ति है, लेकिन मुझे अपने धर्म से प्रेम है, और अपने धर्म में विश्वास भी है। इसलिये मुझे इन सब शक्तियों से भय नहीं लगता है यह मैं स्पष्ट कहता हूं। सरकार को अपने को बचाने का जिस तरह से भी हो पूरा प्रयत्न करना चाहिये। इस में कमी नहीं होनी चाहिये। अगर इस के लिये और भी कर लिया जाये तो मैं देने को तैयार हूं। आप देखिये कि पाकिस्तान से रोज रोज समझौते होते हैं, लेकिन अभी तक पाकिस्तान से हिन्दुओं की निकासी जारी है। अगर इस पर सरकार ध्यान नहीं देती तो मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यह चीज चलती ही जायेगी। जब सन् १९५० में मैं हिन्दू महा सभा का अध्यक्ष था तब मैं ने सरकार की तवज्जह दिलाई थी। मैं ने दिसम्बर, १९५० में कहा था कि आज पश्चिमी पाकिस्तान की जो हालत है वह पूर्वी पाकिस्तान की भी होने वाली है अगर इस की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन उस वक्त लोगों ने और हिन्दुस्तान के प्रेस ने मुझे कम्युनिस्ट कहा था। पर पाकिस्तान से निकासी तो रुकी नहीं, मुझे पहले भी खूब गाली मिली। मैं आज भी गाली सुनने के लिये मुस्तैद बैठा हूं और गाली देने के लिये भी। वह निकासी अभी तक बन्द नहीं हुई हुई है, पता नहीं सरकार इस के लिये क्या सोचती है। मालूम नहीं हमारी सरकार करार ही करती जायेगी, क्रिकेट ही खेलती जायेगी या कुछ और भी करेगी। लानत है उस पर।

श्री अलगू राय शास्त्री : किस पर ?

डा० एन० बी० खरे : ऐसा करने वालों पर ।

फिर कल बताया गया हमें कि सरकार के हाथ मजबूत करने के वास्ते सब प्रकार से कान्स्टिट्यूशन बदला जा सकता है । मैं जानता हूं कि मानव का जन्म पहले हुआ और मानव ने विधान का निर्माण किया, इसलिये मैं उस में तरमीम करने के विरुद्ध नहीं हूं, लेकिन तरमीम कैसी ? उचित अनुचित तो सोचना चाहिये, लेकिन यह नहीं देखा जाता । मैं कोई लम्बा भाषण नहीं देना चाहता लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आज हमारी सरकार जनता के वास्ते न्यायाधीश, पंच और जल्लाद तीनों साथ ही होना चाहती है । ईश्वर ऐसी सरकार से हमें बचावे । आज वह तानाशाह बन गई है, इस में कोई सन्देह नहीं है । अगर ऐसा हुआ तो फिर हमारे जान माल की खैर नहीं है इस दुनिया में । और अगर ऐसा हुआ तो क्या यह रामराज्य होगा ? यह रामराज्य हो जायेगा, इतना ध्यान रक्खो । कल हमसे कहा गया कि इसमें क्या है अगर हम तरमीम भी लायें तो :

"ईशा वास्य मिदं सर्वं"

ठीक है, लेकिन इस का मतलब क्या है ? कहते हैं कि भावना देने की है, हड़पने की नहीं है । मैं आप को दूसरा संस्कृत श्लोक सुना सकता हूं :

"अय निजः परो वेति गणना लघुचेतसां
उदार चरितानान्तु वसुधैव कुटुम्बकम् ।"

अगर आप के दिल में तंगदिली नहीं है आप का दिल वसीअ है तो आप सारी दुनिया को अपना कुटुम्ब मानेंगे । लेकिन क्या इस का यह अर्थ निकला कि दुनिया के सारे लोगों की चीज हमारी चीज हो गई ? ऐसा नहीं हो सकता ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि कम्युनिस्टों से कहा जाता है कि तुम हमेशा रशिया की तरफ देखते हो । हां, देखते हैं । मैं कम्युनिस्ट नहीं हूं, न मैं कम्युनिस्ट होना ही चाहता हूं, लेकिन यह कहना चाहता हूं कि आप भी तो रशिया की तरफ देखते हैं । आप ने आन्ध्र के एलेक्शन्स में प्रवदा का एक्स्ट्रैक्ट कोट किया । रशिया ने आप की तारीफ की थी इसलिये आप ने उस को कोट किया । तो जब आप रशिया की तरफ देखते हैं तो आप दूसरों का नाम इस के लिये नहीं ले सकते हैं । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि आज कम्युनिस्ट और कांग्रेस दोनों में होड़ लगी हुई है कि कौन रशिया की ओर ज्यादा देखे । बात क्या हो गई है, मैं ने कल देखा कि कांग्रेस, कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट दूसरों को कम्युनल कह रहे थे । लेकिन तीनों ही हमारी जनता पर आघात करते हैं । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि वक्त आयेगा जब न समाजवाद चलेगा, न कांग्रेसवाद चलेगा और न कम्युनिस्टवाद चलेगा, बल्कि अगर यही हालत रही तो मुल्क में विप्लववाद चलेगा ।

इस सरकार का ध्यान भ्रष्टाचार की तरफ बिल्कुल नहीं है । मैं इस का उदाहरण देता हूं । उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी कीमतों की मोटर कारें फार ए सांग बे वी गईं । पंजाब की पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी में गड़बड़ी हुई, सौराष्ट्र में भी इसी तरह से गड़बड़ी हुई । केन्द्र में भी ऐसा ही हुआ । आसाम में भी हुआ । मध्य प्रदेश में तो चीफ मिनिस्टर पर चारों तरफ से बौछारें पड़ रही हैं । परसों नेहरूजी की मीटिंग में एक लाख हैंडबिल बांटे गये और हमारे प्रैजीडेंट साहब जब कंट्रोलर और आडिटर जनरल के दफ्तर की बिल्डिंग का उद्घाटन करने गये तो उन्हों ने कहा था :

"यह परमावश्यक है कि हम जो भी व्यय करें उस के रुपये पये का उपयुक्त हिसाब रखा जाये ।"

और हमारे वाइस प्रेजीडेंट जो हैं वह बोलते हैं :

"उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों को आघात पहुंचेगा इस डर से सत्य को नहीं छिपाना चाहिये ।"

"लेकिन इस का परिणाम क्या हुआ ? कुछ भी नहीं । करप्शन पूरी तरह चल रहा है और जो ऐसे बड़े बड़े आदमियों के उदँगार हैं उन की कीमत इतनी ही मानी जाती है जैसे कि अजागलास्तन। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह की गड़बड़ चलेगी नहीं, ऐसी तानाशाही चलेगी नहीं । मैं इसी तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिये यहां बोला हूं और आप ने मुझे समय दिया है इसलिये आप का शुक्रगुजार हूं ।

श्री हेडा (निज़ामाबाद) : सभापति महोदय , आय-व्यय का ब्यौरा हमारे सामने है । हर साल की भांति इस साल भी हम देखते हैं कि उस के अन्दर घाटा बताया गया है । मेरे मित्र श्री बंसल ने तफ़सील के साथ आंकड़े दिये हैं और इसलिये मैं अब उन्हें दोहराना नहीं चाहता । लेकिन एक बात जो मैं नहीं समझ सका हूं वह यह है कि गुजशता कई सालों से यानी १९४८ से हमारा यह अनुभव रहा है कि बजट घाटे का बताया जाता है और आखिर में घाटा नहीं निकलता है, बल्कि नफा निकलता है, और नफा भी काफी बड़ा होता है । दूसरे सदन में जब इस के ऊपर बहस हो रही थी तो वहां यह प्रश्न उठाया गया था और जो जवाब फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने दिया वह कोई कन्विंसिंग जवाब नहीं था । उन्होंने वहां कहा कि अगर इस साल भी नफा होगा तो फाइनेन्स मिनिस्टर से ज्यादा और कोई खुश नहीं होगा ।

मुझे इस बात की खुशी है कि डिफिसिट फाइनैंसिंग का सिद्धान्त जब हम ने स्वीकार किया था और काफी वाद-विवाद के बाद स्वीकार किया था न सिर्फ इस सदन में बल्कि और दूसरे विचारकों ने भी इस पर अपनी राय जाहिर की थीं उस वक्त बहुत लोगों ने यह राय जाहिर की थी कि अगर हम डिफिसिट फाइनैंसिंग करेंगे तो उस के फलस्वरूप बड़े भारी खतरे हमारे सामने आ सकते हैं । लेकिन बहुत हद तक डिफिसिट फाइनैंसिंग को स्वीकार करने के बावजूद उस प्रकार की कोई चीज नहीं हुई है और जिस सावधानी के साथ और जिस होशियारी के साथ एक एक कदम ले कर हमारे फाइनैन्स मिनिस्टर साहब चल रहे हैं और जिस प्रकार अर्थ मंत्रालय काम कर रहा है उस के वास्ते मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूं ।

इस के बाद मैं इनकम टैक्स स्ट्रक्चर पर आना चाहता हूं । इनकम टैक्स के अन्दर इस साल वृद्धि हुई है जो कुछ स्वाभाविक सी है क्योंकि दूसरे सदन में अर्थ मंत्री महोदय ने बताया कि उन्हों ने इस बजट को सोशलिस्टिक बजट बनाने की कोशिश की है और उन का यह कहना है कि उस लिहाज से जो इनकम टैक्स हैं उन को भी बढ़ाया है । लेकिन मैं एक चीज जो देखता हूं वह यह है कि सब से ज्यादा टैक्स २१ पाई से २७ पाई का जो बढ़ा है वह उन लोगों के लिये बढ़ा है जिन की आमदनी ७,५०० प्रतिवर्ष से ज्यादा है । लेकिन सब से ज्यादा यह टैक्स जहां बढ़ाया गया है वह ऐसे लोगों के लिये बढ़ाया गया है जिन के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि वे बहुत अमीर हैं और ये वे लोग हैं जिन की आमदनी ७,५०० प्रतिवर्ष है । आजकल के जमाने में ६५० रु० प्रतिमास की आमदनी कोई

[श्री हेडा]

ऐसी आमदनी नहीं है जिस को कि आप बहुत समझें। उसके बाद आखिर में ४८ पाई की जो लिमिट रखी गई है वह वैसे ही कायम है। और बाद को ५०० स्लैब के ऊपर ३ पाई बढ़ाई गई है। उस के सम्बन्ध में मुझे कुछ नहीं कहना है। इसी प्रकार सुपर टैक्स आप देखिये २५,००० से २०,००० की लिमिट कर दी गई है। यह काफी उचित है लेकिन वहां भी जहां एक दम बीच में बढ़ाया गया है वह ४०,००० के बाद से ५०,००० के बीच के स्लैब के अन्दर एक दम वृद्धि की गई है। दूसरे सदन में फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने यह समझाने की कोशिश की कि जिस की जितनी ज्यादा आमदनी है उस को उसी लिहाज से ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। यह सही है। इस के बावजूद भी मैं समझता हूं कि अगर स्लैब ऊपर से शुरू होता तो कोई विशेष नुकसान न होता और ६०० या ७०० प्रतिमास जिन की आमदनी है वह कोई ज्यादा आमदनी नहीं है और उन पर इस का बोझा नहीं डाला जाना चाहिये था।

जहां तक एक्साइज ड्यूटीज लगाने का सम्बन्ध है, इस के बारे में काफी लोगों ने काफी कुछ कहा है। इस विषय में मैं इतना ही कहूंगा कि मोटे कपड़े पर और उस कागज के ऊपर जिस का कि इस्तेमाल किताबें छपवाने के लिये या उस कागज पर जो विद्यार्थियों के लिखने वगैरह के काम में आता है और जिसे प्रिंटिंग पेपर कहा जाता है उस कागज पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ानी उचित नहीं है। इस में शक नहीं कि दूसरे जो कागज हैं जैसे क्राफ्ट पेपर या कोई और दूसरे पेपर उस के ऊपर भी ड्यूटी बढ़ने की वजह से बाहर का कागज यहां ज्यादा आने की .....

श्री एम० सी० शाह : अखबारी कागज पर कोई उत्पादन शुल्क नहीं है।

श्री हेडा : मैं उस कागज के बारे में कह रहा हूं जो कि किताबें छपवाने के काम में आता है और जिस को प्रिंटिंग पेपर कहा जाता है। दूसरे कागज के बारे में जो यह ड्यूटी बढ़ाई गई है उस सम्बन्ध में मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन वह कागज जो कि किताबें छपवाने के काम में आता है और जिस की एक्सरसाइज बुक बनती हैं उस कागज के ऊपर यह कर नहीं लगना चाहिये था, यह मेरा ख्याल है।

अब मैं उस विषय पर आता हूं जिस पर कि मैं बोलना चाहता हूं और वह विषय है ग्रामोद्योग और छोटे छोटे उद्योगों का। आचार्य कृपालानी जो कि गांधीवाद के एक बहुत बड़े आचार्य माने जाते हैं, मुझे खुशी है, उन्हों ने अपने भाषण का बहुत बड़ा हिस्सा उस विषय के ऊपर सर्फ किया और अपने भाषण के अन्दर उन्होंने काफी तफसील के साथ इस चीज को सुलझाया। उन्होंने जो विचार प्रकट किये प्रायः उन सारे विचारों से मैं सहमत हूं। मैं देख रहा हूं कि खादी और विल्लेज इंडस्ट्रीज बोर्ड ने काफी अच्छा काम किया है। इसी प्रकार जो दूसरे बोर्ड बनाये गए हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। इन बोर्डों को जो हम ने पूर्णतः एक इस तरह की आजादी दी है, उनके ऊपर जो किसी प्रकार का नियंत्रण फाइनेंस मिनिस्ट्री का या कामर्स मिनिस्ट्री का जो बिल्कुल नहीं के बराबर है, उस के बारे में एक चीज देखने में आई है। जहां उन को आजादी देना आवश्यक था वहां पर उन पर किसी प्रकार का थोड़ा बहुत नियंत्रण रखना भी आवश्यक था। जहां यह आवश्यक था कि उन लोगों को जिन के ऊपर सारे राष्ट्र का भरोसा है, जिन के कारेक्टर के सम्बन्ध में, कार्य करने की शक्ति के सम्बन्ध में और

जिन को इन कामों का अनुभव रहा है उन्हें आजादी मिलनी चाहिये कि वे जैसे चाहें काम करें ताकि फाइनेंस मिनिस्ट्री जो बजट के बहाने कुछ न कुछ रोड़ा अटकाती है या उन के रास्ते में जो दूसरी रुकावटें पैदा होती हैं वे न रहें, वहां एक दूसरी चीज जो पैदा हुई वह यह है कि इस हाउस में जिस प्रकार वाद विवाद के जरिये विचार होना चाहिये वह विचार नहीं हो पाता और उन के काम काज की तफसील जिस प्रकार इस हाउस के सामने आनी चाहियें नहीं आतीं। मैं यह मानता हूं कि उन के बारे में इस सदन में सवालात हो सकते हैं और जो जानकारी हम चाहें हमें मिल सकती है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह से कुछ दिलचस्पी होने के कारण तफसीलात हासिल करना और बात होती है और अपने आप उन तफसीलात को सदस्यों तक पहुंचाना कुछ और बात होती है। इस कारण से यह बोर्ड्स जो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं उन के इन कार्यों को जिस प्रकार पब्लिसिटी मिलना चाहिये, उन के सम्बन्ध में दुनिया को जिस प्रकार की जानकारी प्राप्त होनी चाहिये वह जानकारी उन को प्राप्त नहीं होती है। साथ ही साथ एक बात का खतरा है जो कि मैं महसूस करता हूं इस वक्त तो कम है लेकिन आगे चल कर वह खतरा बहुत बड़ा भी बन सकता है और वह यह है कि चूंकि यह बोर्ड, यह आयोग यह महसूस करने लग गये हैं कि हम इंडिपेंडेंट हैं, हमारे ऊपर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है, हम किसी के प्रति जिम्मेदार नहीं हैं इस लिहाज से, इन कारणों से, जो दूसरी संस्थायें थीं और जो अब तक कार्य कर रही थीं उन की फिक्र न करते हुए यह बोर्ड एक प्रकार से सारे का सारा कार्य अपने ही जरिये से करना चाहते हैं और काम को विकेन्द्रीकरण करने की भावना उन में रहती है। उन के अन्दर सारा काम केन्द्रित करने की भावना आती है और वह चाहते हैं कि उन बोर्डों के इलावा और किसी प्रकार की कोई संस्था फील्ड में न रहें। इस वास्ते मैं चाहता हूं कि इस सदन को ऐसे मौके मिलने चाहियें ऐसे अवसर प्राप्त होने चाहियें जिस से कि उन की विभिन्न योजनाओं पर हम यहां विचार कर सकें और उन के बारे में कुछ सुझाव इत्यादि दे सकें।

एक छोटी सी संस्था जिस का कि एक खास विल्लेज इंडस्ट्री से सम्बन्ध है और उस से मेरा सम्बन्ध होने के कारण मैं अपना अनुभव यहां पर जाहिर करना चाहता हूं और वह संस्था है आल इंडिया बी कीपर्ज़ एसोसियेशन : यह संस्था तकरीबन बीस पच्चीस वर्षों से काम कर रही है और यह उस जमाने में काम करती थी जबकि इसको और किसी का ध्यान भी नहीं था। इस ऐसोसियेशन की यह सदा से इच्छा रही है कि जहां तक योजनाओं का काम है जो कि उसने बनाई हैं उस में सरकार उस की कुछ मदद करे। इन योजनाओं के बारे में विचार करने के लिये उन को कोई मौका मिलना चाहिये और ऐसे अवसर आने चाहियें जिन में देश के अन्दर इन का विचार हो सके और विचार होने के बाद उन चीजों पर निर्णय हो सके।

लेकिन इस प्रकार के अवसर बहुत कम आते हैं। मुझे खुशी है कि खादी एंड विल्लेज इंडस्ट्रीज बोर्ड के जो चेयरमैन श्री बैकुंठ लाल मेहता हैं वे बड़े ऊंचे पाये के आदमी हैं। कल ही मैं उन से मिला था और मैं ने उन से अपनी कठिनाई जाहिर की और उन्हों ने मुझे इनफारमल प्रकार से विचार विनिमय का मौका दिया। तो यह कठिनाई तो मेरी व्यक्तिगत रूप से हल हो गई। लेकिन मैं चाहता हूं कि इन बोर्डस् में इस किस्म की प्रणाली होनी चाहिये कि जो लोग इस काम में दिलचस्पी लेते हैं और इस में वालंटरी तरीके से काम करना चाहते हैं उन को इस प्रकार अपनी कठिनाइयों को दूर करने का मौका

[श्री हेडा]

दिया जाये । इस से अगर एक तरफ कुछ काम बढ़ जायेगा तो दूसरी तरफ इस से काम को ज्यादा फैलने में मदद मिलेगी और इसकी ज्यादा पबलिसिटी होगी और लोगों को बहुत सहूलियत होगी ।

मुझे इस बात का खेद है कि जहां तक छोटे छोटे उद्योगों का सम्बन्ध है उन की तरफ जिस तरह से ध्यान देना चाहिये था वह नहीं दिया गया । श्री बंसल ने एक सवाल किया था कि यह जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज सरकार के हाथों में हैं और जिन पर करीब एक हजार करोड़ रुपया लगा हुआ है उनसे कितना उत्पादन हो रहा है और उन से सरकार को कितना फायदा हो रहा है । उन्हों ने इसकी तफसीलात जाननी चाही थी । वास्तव में हमें न सिर्फ इन उद्योगों की इस प्रकार की तफसीलात लेनी चाहिये बल्कि जो उद्योग प्राइवेट सेक्टर में हैं उस की भी ऐसी ही तफसीलात लेनी चाहिये । कि उसमें कितना रुपया लगा है, उस से कितना उत्पादन हो रहा है, और उस से देश को, राष्ट्र को, क्या फायदा हो रहा है । और साथ ही यह भी देखना चाहिये कि छोटे छोटे उद्योगों में तिकतना रुपया लगा है और उन से कितना उत्पादन हो रहा है । अगर आप यह सब देखें तो आप को सारा भेद मालूम हो जायेगा । सही बात तो यह है कि छोटे छोटे उद्योगों में जो पूंजी लगती है उस के अनुपात से उन का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है और रोजगार देने की क्षमता से तो उन में और बड़े उद्योगों में जमीन आस-मान का अन्तर होता है । जब हमारे पास जन-संख्या ज्यादा है, हमारे यहां बेरोजगारी ज्यादा है और जो निम्न श्रेणी में हैं उन को ऊंचा उठाने का आदर्श हमने ने अपने सामने प्रमुख रूप से रखा है । ऐसी अवस्था में जो हमारा ध्यान इन छोटे उद्योगों की ओर जाना चाहिये वह नहीं जाता है । अभी तो ऐसा मालूम होता है कि हम वैस्टर्न यूरोप, अमरीका रशिया या चाइना के बड़े बड़े कारखानों की नकल करने में हम अपना ज्यादा ध्यान और रुपया लगा रहे हैं लेकिन हम जापान जैसे राष्ट्र की प्रणाली की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं जो कि छोटे छोटे उद्योगों से अपना काम चला रहा है । आप साइकिल इंडस्ट्री के उदाहरण को ही लीजिये । अगर उस में एक हजार से ज्यादा छोटे छोटे पुर्जे हैं तो वे अलग अलग जगह तैयार होते हैं । एक एक आदमी के पास एक छोटी छोटी मशीन है और वह और उस के खानदान वाले उस पर काम करते हैं । अगर किसी जरूरी आर्डर को पूरा करना होता है तो वह एक दो और आदमी को अपने साथ लगा लेता है और इस तरह से जापान में तीन चार आदमियों की यूनिट से वह काम होता है । हजारों पुर्जे सब एक से बनते हैं, वह एकत्र किये जाते हैं । और इस प्रकार वहां बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री को भी छोटे छोटे उद्योगों की मदद से चलाया जाता है जिस के परिणामस्वरूप वहां रोजगार काफी परिमाण में दिखाई देता है । इस प्रकार यदि हम यहां करने लगें तो मैं समझता हूं कि यहां काफी अच्छा होगा । मैं एक छोटा उदाहरण दे दूं । यह जो नट्स हैं, बोल्ट्स हैं, या नैल्स या स्क्रूज़ हैं अगर इन को बड़ी मशीनों से बनाने के बजाय छोटी मशीनों से बनाया जाये तो इन के गुण में कोई फर्क नहीं पड़ेगा । तकरीबन वह वैसे ही रहेंगे जैसे कि बड़ी मशीनों के होते हैं । ऐसा होने के बावजूद यह इसरार करना कहां तक ठीक है कि यह काम बड़े उद्योगों के ही जरिये हो छोटे उद्योगों के जरिये न हो । अगर बड़े बड़े कारखानों की आप तफसीलात देखें तो आप को मालूम होगा कि किन किन पुर्जों को छोटे कारखानों में बनाया जा सकता है । अगर उन पुर्जों को आप लामुहाला तौर पर छोटे कारखानों से तैयार करवाया करें तो बड़े

कारखाने भी चल सकते हैं और उन के साथ साथ छोटे उद्योग भी चल सकते हैं। ये छोटे उद्योग देहातों में फैल सकते हैं। और जिस तरह से कि ट्रांस्पोर्ट की सुविधायें बढ़ रही हैं उन को देखते हुए मैं समझता हूं कि उन को देहातों में फैलने में कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। अगर ऐसा किया जाये तो मैं समझता हूं कि यह जो आज हम देहातों में, कैजुअल कहिये या सीजनल कहिये, बेरोजगारी देखते हैं उस को दूर करने में मदद मिलेगी। मेरा दावा है कि अगर यह पता लगाया जाये कि बड़े उद्योगों में कितनी पूंजी लगती है और कितना उत्पादन होता है और साथ ही छोटे उद्योगों में कितनी पूंजी लगती है और कितना उत्पादन होता है तो मालूम होगा कि छोटे कारखानों के जरिये पूंजी के अनुपात से तीन चार गुना ज्यादा उत्पादन होगा और अगर रोजगार देने की क्षमता देखी जाय तो वह तो छोटे उद्योगों में बड़े उद्योगों से १५ या २० गुनी ज्यादा होगी। और इसलिये आज कल की परिस्थिति को देखते हुए मैं समझता हूं कि हम को इस पर सब से ज्यादा ध्यान देना चाहिये और मुझे आशा है कि इस बजट को चलाते वक्त और सैकिंड फाइव इयर प्लान को सामने रखते वक्त रोजगार का मामला सामने रख कर छोटे उद्योगों की तरफ सब से ज्यादा ध्यान दिया जायेगा।

श्री सिंहासन सिंह (जिला गोरखपुर दक्षिण) : यह बजट स्वतंत्र भारत का छठवां बजट है। अब हम ने अपने देश के लिये सोशलिस्ट पैटर्न का ढ़ांचा रखा है। अभी तक यह साफ नहीं था कि हमारे देश का आर्थिक ढांचा कैसा होगा, लेकिन अब कुछ हद तक यह साफ हो गया है। फिर भी मैं समझता हूं कि इस की सफाई में अभी भी कुछ देरी है। यह कब साफ होगा इस के बारे में भी अभी हम साफ नहीं हैं। अभी हमारे माननीय लीडर ने चैम्बर्स आफ कामर्स के सामने बोलते हुए यह शब्द कहे थे :

"हम परमाणु युग में रहते हैं। इस युग में कल के साम्यवाद या समाजवाद या पूंजीवाद के नारे पुराने हो चुके हैं।"

यानी जो यह तीनों स्वरूप हैं ये तो आउट आफ डेट हो गये। तो हमारे देश का जो आर्थिक स्वरूप होगा वह एक चौथे प्रकार का होगा। वह चौथा स्वरूप गांधी जी का बताया हुआ स्वरूप ही हो सकता है। वही हमारे देश का वास्तविक स्वरूप है और उसी पर यदि देश चले तो शायद कल्याण हो सकता है। हर दृष्टिकोण से हम इस बजट को देखें तो हम को मालूम होता है कि हमारे वित्त मंत्री महोदय ने सामाजिक समता लाने की कोशिश की है। उन्होंने राज्य सभा में जवाब देते हुए इस समता की ओर ध्यान आकर्षित किया है कि डैथ ड्यूटी लगा कर और टैक्सों की शरह बढ़ा कर उन्हों ने समता को लाने की कोशिश की है। लेकिन जब यह सवाल आया कि धन की भी कोई परिधि बनाई जाये, उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है, तो इस पर कुछ सन्देह प्रकट करते हुए आप ने यह विचार प्रकट किया है :

"यह प्रस्ताव किया गया है कि हमें आय की अधिकतम सीमा निर्धारित करनी चाहिये और इस सम्बन्ध में करारोपण जांच समिति के प्रतिवेदन में एक सिफारिश भी है। मेरे विचार में रुपये पर सोलह आने कर लगाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि इस से लोगों का उत्साह बिल्कुल नष्ट हो जायेगा। सब से अच्छा तरीका यही है कि वर्तमान दर को बढ़ा दिया जाये। मैं ने किसी एक व्यक्ति की १,५०,००० रुपये से अधिक की आय पर वर्तमान १२ आने और ५ प्रतिशत की दर से १ आना और बढ़ा दिया है और अब इस पर कर की दर ८८·६ प्रतिशत हो गई है।"

[श्री सिंहासन सिंह]

तो हमारा इस तरह का प्रयत्न रहा कि जैसे जैसे आदमी की इनकम बढ़ती जाये उस पर टैक्स की दर बढ़ती जाये और साथ ही जो हमारे धनिक वर्ग हैं उन को पता था कि इस से ज्यादा उन पर टैक्सेशन नहीं होगा क्योंकि अगर एक रुपये में सोलह आने टैक्स हो तो फिर कोई इनिशियेटिव ही नहीं रहेगा उन को और हम और हमारी सरकार चाहती है कि उन में कमाने की भावना बनी रहे, टैक्स उन पर लगता रहे, लेकिन ऊपरी आमदनी कहां तक हो इस की रोक नहीं होगी, मेरे विचार में सरकार द्वारा इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिये और ऊपरी आमदनी पर भी कोई रोक नहीं होनी चाहिये अगर आप वाकई देश और समाज में समानता लाना चाहते हैं। आप के कांस्टीट्यूशन के प्रीएम्बिल में है कि आप सोशल जस्टिस करेंगे और सब को उन्नति करने का समान अवसर देंगे और समान अवसर और सोशल जस्टिस तब तक नहीं हो सकती है जब तक ऊपर और नीचे में कोई समता न हो और समता तभी होगी जब कोई परिधि निर्धारित होगी। जब तक परिधि का निर्धारण नहीं होगा तब तक समता नहीं हो सकती। अब इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम देखें तो सोशल जस्टिस काफी उत्साह वर्धक है। घाटा बजट में दिखलाया गया है, घाटा तो लगातार तीन वर्ष से दिखलाया जा रहा है लेकिन घाटा दिखलाने के बाद जब आखिर में बजट पर बहस होती है तो घाटा और मुनाफे में नहीं तो वह मुनाफे में पूरा हो जाता है, जैसे कि पार साल के बजट में १९५४–५५ के बजट में घाटा आंका गया था १५ करोड़, ३६ लाख का लेकिन रिवाइज करने पर ५ करोड़ का ही घाटा रह गया था और अब साल के खत्म होने पर शायद वह घाटा बराबर हो जाये। इसी तरह इस साल का ३० करोड़, १६ लाख का घाटा है, उस में से २१ करोड़ और ७० लाख तो टैक्सेज से पूरा किया जा रहा है और केवल ८ करोड़, ४६ लाख का घाटा रह जाता है। यह चीज राज्य सभा में भी कही गई और यहां भी लोगों ने कहा कि जो हम ने खर्च में बढ़ौतरी की है, खर्च का जो अन्दाजा लगाया है वह सही नहीं है, खर्चे सम्बन्धी आंकड़े कुछ बढ़ाये जा रहे हैं और मैं चाहता हूं कि हमारे वित्त मंत्री इस खर्च की तरफ ध्यान दें और इस को कम करना और काटना जरूरी है और मुझे दुःख है कि खर्चे को कम करने और कर्टेल करने का गम्भीरतापूर्वक प्रयत्न नहीं किया जा रहा है, खर्चे में कमी सम्भव है, ऐसा मैं मानता हूं। यह जो हमारे डेवलेपमेन्ट प्राजैक्ट्स हैं और दूसरी विकास की स्कीमें हैं इन के सम्बन्ध में जो खर्च के आंकड़े हैं, उन में कमी की गुंजाइश है। इस सम्बन्ध में मैं आप को बतलाऊं कि एक डिपार्टमेंट में मिट्टी काटने का जो ठेका दिया जाता है, बीस रुपये पर मिट्टी काटने का कंट्रैक्ट दिया गया, वह उस काम को दूसरे शख्स को पन्द्रह रुपये में सबलैट करता है और पन्द्रह रुपये वाला उसको दस रुपये में लैट कर देता है, इससे आप समझ सकते हैं कि जो काम दस रुपये में हो सकता था उस को करवाने के लिये आप के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने बीस रुपये पर ठेका दिया हुआ था और मुझे यकीन है कि अगर इस सम्बन्ध में ध्यान दिया जाये और पड़ताल की जाये तो खर्च में कमी हो सकेगी। इस तरह से मैं सरकारी अपव्यय की आप को दूसरी मिसाल दूं कि पार्लियामेंट के मैम्बरों को जो फरनीचर मिलता है, सन् १९५१ में वह फरनीचर जिस मूल्य पर दिया गया था वही फरनीचर सन् १९५३ में दो साल के बाद उसी ठेकेदार से चालीस फीसदी कम कर के सप्लाई किया हालांकि सन् १९५३ में चीजें सन् ५१ की बनिस्बत

अधिक मंहगी हो गयी थीं। गवर्नमेंट फरनीचर में इस तरह लापरवाही बर्ती जाती है और सतर्कता बरती जाती तो गवर्नमेंट का चालीस फीसदी अधिक न खर्च होता जो उस ने सन् ५१ में दिया। जब पी० डब्ल्यू० डी० के चीफ इंजीनियर से मुलाकात हुई तो उन्हों ने कहा कि अब तो आप को खुश होना चाहिये, आप के फरनीचर के दाम चालीस फी सदी कम हो गये हैं। तो हम ने कहा कि यह चालीस फीसदी की कमी कोई हमारे लिये तो नहीं हुई, बल्कि यह तो जो ४० फीसदी मुल्क का पब्लिक एक्सचेकर को जा रहा था, वह कम हुआ है। पहले जहां आप एक कुर्सी मंगा सकते थे वहां अब उसी लागत पर दो कुर्सी मंगा सकते हैं। इसलिये मैं फिर कहुंगा कि खर्च के जो आंकड़े कूते गये हैं, उन के सम्बन्ध में आप जांच करें और मुझे विश्वास है कि यह जो एस्टीमेट्स दिये गये हैं उन में कमी की जा सकती है, बचत की जा सकती है। आप के पबलिक वर्क्स डिपार्टमेंट में खास तौर पर और दूसरे डिपार्टमेंटों में इस तरह के ओवर एस्टीमेट करने की बुराई है और कोई कोई लोग कहते हैं कि पबलिक वर्क्स डिपार्टमेंट में काफी करप्शन है, आये दिन उन के विरुद्ध शिकायत और आलोचना होती है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। मैं चाहता हूं कि हमारे मंत्री महोदय इस दिशा में प्रयत्न करें।

अब मैं आप का ध्यान पंच वर्षीय योजना की तरफ दिलाना चाहता हूं। जैसा कि हमारे भाई हेडा साहब ने कहा कि पंचवर्षीय योजना की दिशा में जो अब तक प्रगति हुई है वह हमारे सामने है और वह योजना करीब करीब खत्म होने को है और दूसरी योजना आने वाली है। इन योजनाओं में हमारा दृष्टि-कोण था कि हम सब को काम दे सकें। देश में कोई आदमी ऐसा न रहे जिस को खाना न हो, कपड़ा न हो या जिसको रहने के वास्ते घर न हो। इन पिछले योजना के चार वर्षों में हम कितने आदमियों को काम दे पाये हैं। यह तो हमारे मंत्री महोदय बतलायेंगे लेकिन मेरा अनुभव तो यही है कि बावजूद इसके कि देश में काम धन्धे बढ़े हैं लेकिन बेकारों की संख्या दिन रात चौगुनी होती गयी और बेकारों की तादाद बढ़ती गई है और चारों तरफ हाहाकार की नौबत आ रही है। अभी हमने एक मिक्स्ड (मिली जुली) एकोनोमी का स्वरूप रखा है, कुछ गवर्नमेंट भी करे और कुछ लोग भी करें। जो प्राइवेट सेक्टर हैं इस के दो रूप हैं बड़े भी रहें, और छोटे भी रहें, दोनों का काम साथ साथ चले, कोई ऐंगिजस्टेंस हो, जैसा कि हमारे कृपलानी जी ने कहा कि शेर और बकरी एक साथ चलें, अब वह एक साथ चल सकेंगे और एक साथ रह सकेंगे या नहीं रह सकेंगे, मुझे भी उसमें संदेह है कि व एक साथ रह सकेंगे। यह ठीक है कि नान वायलेंट रहें, कहीं कहीं सम्भव हो सकता है लेकिन अन्त में शेर का स्वभाव तो जाता है नहीं और जो उसकी भक्षण करने की प्रवृत्ति है वह प्रबल हो उठती है और वह भक्षण कर जाता है।

अभी हमने अपने विधान में संशोधन करने का प्रयत्न किया है और उस संशोधन विधेयक को एक संयुक्त प्रवर समिति को रैफर किया है ओर उसमें सम्पत्ति की तरफ भी दृष्टिपात हुआ है और सब को काम देने की ओर भी ध्यान दिया गया है। भारत में जितने आदमी हैं उन में से करीब ८०, ८५ फीसदी लोग खेती पर लगे हुए हैं और बाकी लोग और रोजगारों पर लगे हुए हैं। लेकिन मैं आप को बतलाऊं कि वाकई में ८० फीसदी खेती पर लगे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। एक बीघे की खेती पर पांच आदमी लगे हुए हैं चाहे सब के लायक काम हो या न हो लेकिन सब के सब

[श्री सिंहासन सिंह]

उस में जुटे रहते हैं क्योंकि अगर न करें तो जायें कहां दूसरा काम उनके लिये कोई है नहीं अभी डाक्टर राव ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य में कहा था कि खेती पर लगे हुए गांव के मजदूरों का एक संगठन होना चाहिये ताकि वह खेतों से निकल कर और कामों मे लगाये जा सकें, सड़कों के बनाने आदि कामों में उन को खपाया जा सके । मैं जानता हूं कि खेतिहर मज़दूरों का एक संगठन होना कितना जरूरी है, आज उनकी हालत यह है कि एक दिन काम करने के बाद दूसरे दिन बेकार बैठे रहते हैं, वह काम नहीं करते और कहीं बाहर जाते भी नहीं हैं । संविधान के उस संशोधन में हमारा ध्यान खेती की परिधि बांधने की ओर गया है कि कोई शख्स इतने बीघे से ज्यादा खेती नहीं कर पाये बहुत ठीक है लेकिन साथ ही इसकी परिधि होनी चाहिये थी कि एक आदमी कितने कारखाने और मिलें चला सकता है, मसलन श्री तुलसीदास किलाचन्द एक मिल के बाद और कई मिलें चालू कर सकते हैं, इसके बारे में भी कोई परिधि रक़्खी जानी चाहिये थी । अलबत्ता इस में एक स्वागत योग्य चीज है कि हम मैनेजिंग ऐजेंसी सिस्टम को खत्म कर सकते हैं । कम्पनी बिल जब पहले हाऊस में आया तब सब ने उसका विरोध किया था । अब विधान में संशोधन हो जाने के बाद शीघ्र ही इस मैनेजिंग ऐजेंसी सिस्टम को खत्म किया जाये । हम चाहते हैं कि जैसी खेती में परिधि बांधने की ओर ध्यान दिया गया है वैसे ही इधर भी ध्यान दिया जाना चाहिए इंडस्ट्री के क्षेत्र में भी कोई परिधि निर्धारित की जानी चाहिये कि उस से ज्यादा आप नहीं चला सकेंगे क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो जनता में एक भावना आ जायगी कि आप पूंजीपतिवर्ग के प्रति पक्षपात दिखलाते हैं, वह चाहे हो या न हो लेकिन उस भावना को जनता के दिलों में पैदा होने से आप नहीं रोक सकते, इसलिए आप इस दिशा में भी कोई परिधि बांधने पर विचार करें । आप को यह भी ख्याल करना है कि खेती और रोजगार दो ही चीजें हैं, नौकरी के अलावा जो हम सब को काम दे सकते हैं भारत में सब से ज्यादा नौकरी देने वाली सरकार है जो रेलवे में ९ लाख आदमी रक्खे हैं और अन्य अपने दूसरे मुहकमों में १५ या १६ लाख आदमियों को लगाए हुए हैं, इस से ज्यादा आदमियों को भरना उस के लिए सम्भव नहीं है और इसलिये लोगों को काम पर लगाने के लिये हमारे पास दो ही चीजें रह जाती हैं और वह है खेती और रोजगार । और हमारी सरकार को इन की तरफ ध्यान देना चाहिये । अभी तक आप का ध्यान इस ओर नहीं गया है । में काटेज मैच मैंनुफैक्चर के सम्बन्ध में प्लानिंग कमीशन की जो सिफारिशें हैं उन को आप के सामने रखना चाहता हूं । उस में उन्होंने कहा है :

"दियासलाई बनाने के कुटीर उद्योग की सहायता के लिए योजना आयोग ने जो विधान बनाने की सिफारिश की थी वह अभी नहीं बना है ।"

कमीशन ने कहा कि मैच इंडस्ट्री की तरक्की के लिये कानून बनाया जाये । प्लानिंग कमीशन की शिफारिशें इस में प्रधान रहीं, हमारे वित्त मंत्री साहब की भी यही शिफारिश है लेकिन गवर्नमेंट वह रेकमेंडेशन इम्पलीमेंट क्यों नहीं करती, यह मेरी समझ में नहीं आता । आप ही रेकमेंड करने वाले हैं और आप ही इम्पलीमेंट करने वाले हैं । आप रिकमेंड करते हैं लेकिन इम्पलीमेंट नहीं करते

हैं । अच्छा तो यह होता कि आप रिकमेंड ही न करते । प्लानिंग कमीशन में आज हमारे प्रधान मंत्री साहब वित्त मंत्री साहब और नन्दा साहब तीनों ही हैं और तीनों ही कैबिनेट में भी हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इतना अन्तर्द्वन्द हो जाता है कि कोई चीज इम्पलीमेंट नहीं होती । मेम्बर लोग जाते हैं तो कहते हैं कि गवर्नमेंट प्लानिंग कमीशन की रिपोर्टको इम्पलीमेंट नहीं करती । मिसाल के तौर पर मैच इंडस्ट्री को ही लीजिये, आयल को लीजिये टैक्सेशन एन्क्वायरी कमीशन की सिफारिश हुई कि आयल पर एक्साइज ड्यूटी न लगाई जाये । साथ ही चूंकि गांव के लोगों को काम देने की जरूरत है इसलिये यह रिकमेंडेशन की गई कि तेल मिलों द्वारा पेरना बन्द कर दिया जाये और चावल जो मिलों में बनता है वह भी बन्द कर दिया जाये । प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट है कि यह डाक्टरों की रिपोर्ट है, लेकिन इतने पर भी चार वर्ष हो गये हैं इस पर गवर्नमेंट विचार ही कर रही है । मैं ने इस पर यहां पर सवाल भी किया था लेकिन मुझ को जवाब मिला कि विचार हो रहा है । इस के बाद जवाब मिला कि एक कमेटी बनाई गई है । इस प्रश्न पर विचार करने के लिये सरकार ने एक कमेटी बिठाई है कि तेल घानी से निकाला जाये या नहीं । कहा गया कि तेल और चावल यह कॉटेज इंडस्ट्री की चीजें हैं, इन की प्रगति में कुछ मिलें बाधक हो रही हैं, उन का क्या स्वरूप हो, इस के लिये एक कमीशन बैठा, उस ने रिपोर्ट दी कि यह स्वरूप हो, लेकिन उस को हमारी गवर्नमेंट मानती नहीं है । आपने एक कमेटी बिठला दी । दो वर्ष बाद वह रिपोर्ट करेगी, उस रिपोर्ट को मानेंगे या नहीं, पता नहीं । लेकिन जब तक आप इस के लिये कानून नहीं बनायेंगे और इस को आगे नहीं बढ़ायेंगे तब तक यह दिक्कत कैसे दूर होगी ?

इसी तरह से और भी छोटे और बड़े पैमाने के काम हैं । मैच इंडस्ट्री के बारे में उन का यह कहना है :

"भारत में हम छोटे छोटे कारखानों में दियासलाइयां बना सकते हैं । इन में बड़े कारखानों के एक व्यक्ति के स्थान पर ५ व्यक्ति नियुक्त किये जा सकते हैं । भारत की आर्थिक दशा के लिये यह लाभप्रद है ।"

अभी थोड़े दिन हुए मैच फैक्ट्रियां जो बड़ी बड़ी थीं वह छोटी फैक्ट्रियों को दबाये हुए थीं । उन पर थोड़ा सा टैक्स लगा और थोड़ा रिलीफ आप ने दिया है हाथ की बनी मैच को, लेकिन जो रिकमेन्डेशन है उस को क्या आप ने माना ? उस का भाव यह था कि यहां के लोग दियासलाई हाथ से बना कर सारे मुल्क को दे सकते हैं । और अगर इस प्रकार से ६ महीने या एक साल या दो साल लोगों को दिक्कत भी कुछ हो तो भी हम को दियासलाई के बड़े बड़े कारखानों को बन्द कर देना चाहिये । अगर ऐसा कर दिया जाय तो मुल्क का दिवाला नहीं निकलेगा । इस से मुल्क आगे बढ़ेगा और बहुतों को रोजगार मिलेगा और छोटे छोटे रोजगारों की भी प्रगति होगी । लेकिन पता नहीं क्यों प्लानिंग कमीशन की रिकमैन्डेशन के होते हुए भी लोगों के कहने और यहां विशेष रूप से सदस्यों के कहने पर भी कि काटेज इंडस्ट्रीज की तरफ ध्यान दिया जाये, गवर्नमेंट इस को नहीं करती है ।

विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज बोर्ड ने भी कहा कि मिलों से अगर सिर्फ सुपर फाइन कपड़ा तैयार कराया जाये और बाकी कपड़ा काटेज इंडस्ट्री के लिये रख दिया जाय तो भी काम चल सकता है । लेकिन कुछ नहीं हुआ । आज एक घंटे में एक हजार गज कपड़ा तैयार करने वाले तुलसीदास किलाचन्द जी से एक घंटे में एक या पांच गज कपड़ा पैदा करने वाला मजदूर कैसे मुकाबला कर सकता

[श्री सिंहासन सिंह]

है चाहे आप इस उद्योग को कितनी ही सब्सिडी दें ? आप को चाहिये तो यह था कि जो मिलें हमारे देश में कपड़ा बना सकती हैं वे बाहर के देशों के लिये कपड़ा बनावें और यहां के लिये कॉटेज इंडस्ट्री में कपड़ा बने । जब तक आप कोई स्फिअर नहीं तय कर देते तब तक काम नहीं चल सकता है । जैसा गांधी जी कहा करते थे कि अगर हमारे मिल वाले १५ काउन्ट तक का सूत न बनावें तो हमारे कर्घे और चरखे चल जायें । गांधी जी सिर्फ १५ काउन्ट तक की ही बात करते थे लेकिन उन्हों ने परेशान हो कर एक प्रवचन में इसी बारे में कहा कि मैं तो अरण्य रोदन करता हूं, मेरी कोई सुनने वाला नहीं है । आप जिस राष्ट्रपिता का नाम रोज लेते हैं और जिस के कारण हमें यह दिन देखने को मिला, वह रोता हुआ मरा कि मैं अरण्य रोदन करता हूं, मेरी कोई सुनता नहीं, और कोई १५ काउन्ट तक का सूत अलग नहीं करता । आखिर बात क्या है ? मिल वालों का कितना जोर है सरकार पर ? आप उन पर कितने ही टैक्स लगावें इस से क्या बनता है ? टैक्स लगाने के सम्बन्ध में भी आप ने एक एन्क्वायरी कमेटी बनाई ताकि वह उनके छिपे धन का पता लगाये जो कि उन्हों ने इल्लीगल तरीके से रख छोड़ा है । टैक्सेशन एन्क्वायरी कमेटी बैठी । उस ने कहा कि करोड़ों रुपये छिपा रक्खे गये हैं ।

श्रीमती रेणुचक्रवर्ती (बसीरहाट) : यह आय-व्ययक प्रथम पंचवर्षीय योजना का अन्तिम और आवड़ी कांग्रेस के उपरान्त प्रथम आय-व्ययक है । हम इस पर इस उद्देश्य से दृष्टिपात करते हैं कि यह आवड़ी कांग्रेस अधिवेशन में बताये गये उद्देश्यों के साथ कहां तक मेल खाता है । आजकल योजना और समाजवादी ढ़ंग समाज के सामने यह अत्याधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नतम वर्ग की आय में वृद्धि की जाये और कृषकों की क्रय-शक्ति का रक्षण किया जाये । इस के बिना उत्पादन का उपभोग नहीं हो सकेगा । इसी स्थान पर आय-व्ययक का अत्याधिक भार निर्धन व्यक्तियों और मध्यम वर्ग वालों पर होता है । दूसरी ओर हमें कदाचित् ही इस का कोई सन्तोषजनक उत्तर मिलता है कि व्यवसाय में वास्तव में कितनी वृद्धि हुई है या हो रही है । इस का पर्याप्त उत्तर कि मूल्यों में गिरावट को कैसे रोका जायेगा । माननीय वित्त मंत्री के आय-व्ययक भाषण में नहीं मिलता है और न ही इम्पीरियल बैंक के राष्ट्रीयकरण और ग्रामीण ऋण के महत्व के बारे में कही गई बातों से मिलता है । उस से अधिक जो कुछ कहा गया है, वह गांवों के लिये बहुत महत्वपूर्ण है और उस के बिना आप बेकारी की समस्या का समाधान नहीं कर सकते । मेरा ख्याल है कि यह आय-व्ययक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के प्राचीन सिद्धान्तों के आधार पर बनाया गया है । वित्त मंत्री ने दूसरी सभा में कहा है कि समाजवादी ढ़ंग के समाज का स्थान आय-व्ययक में अपितु योजना में है । दोनों में अन्तर करना मेरे मतानुसार गलत है । अपने भाषण में एक स्थान पर उन्हों ने कहा है कि "द्वितीय पंचवर्षीय योजना की सफलता, मेरी दृष्टि में, मुख्यतः दो बातों पर निर्भर होगी, संगठन तथा अर्थ व्यवस्था ।" निश्चय ही, अर्थ व्यवस्था का होना आवश्यक है और संगठन भी आवश्यक वस्तु है । परन्तु आर्थिक पुरस्कारों को, कोई भी व्यक्ति अवश्य चुनौती देगा क्योंकि उन्हों ने कब्जा जमा रक्खा है । इस का अभिप्राय यह नहीं है कि लाभ को तुरन्त ही समाप्त कर दिया जाये । जब तक गैर-सरकारी उद्योग रहेंगे तब तक यथोचित दर पर लाभ अवश्य होना चाहिये । परन्तु, यदि हम योजना बनाना चाहते हैं तो यह बात सुनिश्चित कर लेनी चाहिये कि उद्योगीकरण का उद्देश्य

केवल निजी लाभ न हो कर राष्ट्रीय भलाई भी होना चाहिये । यदि यह बात नहीं है तो हमें योजना बनाने और उस ढ़ंग से आय-व्ययक तैयार करने की क्या आवश्यकता है ? इसी कारण में यह अनुभव करती हूं कि आय-व्ययक इस ढ़ंग से बनाया जा रहा है कि वह पूंजी-वादी आय-व्ययक बन रहा है और उस में जनसाधारण को कोई स्थान नहीं, और यदि कहीं कोई उल्लेख होता भी है तो यही कि उस पर कुछ और कर लगा दिये गये हैं । यहां हमारी समझ में यह नहीं आता कि कर जांच आयोग के प्रतिवेदन पर चलने के बारे में कई स्थानों पर उल्लेख करने पर भी, इस मामले में उन्हों ने उस के प्रतिकूल काम किया है । इस सम्बन्ध में मैं केवल यही कहूंगी कि कर जांच आयोग के प्रतिवेदन पर सभा में चर्चा होनी चाहिये, और मैं आशा करती हूं कि यह शीघ्र ही की जायेगी । कर जांच आयोग के एक सदस्य श्री बी० के० आर० वी० राव ने विकास सम्बन्धी छूट के बारे में कहा है कि "यह आयोग समस्त उद्योगों के विकास छट देने के पक्ष में नहीं है । इसी कारण आयोग ने केवल राष्ट्रीय महत्व के उद्योगों को ही विकास छूट देने की सिफारिश की है :" हम बिना भेद भाव के यह छट सारे उद्योगों को क्यों दें ? जो उद्योग विकास की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं उन में इस का प्रयोग लाभदायक रूप में नहीं हो सकता । मैं देखती हूं कि माननीय वित्त मंत्री राज्य-सभा में यह कह कर कि "मैं चाहता हूं कि छोटे छोटे उद्योग भी इस से लाभ उठायें" इस स्थिति से बाहर निकलना चाहते थे । मैं माननीय मंत्री से यह निवेदन करती हूं कि "आपको २५ प्रतिशत छूट देने की आवश्यकता नहीं है, आप को चाहिये कि आप छोटे छोटे उद्योगों को १०० प्रतिशत छूट दें ।" उन के लिये यह आरम्भ से अन्त तक लाभ का प्रश्न है ।

इस सम्बन्ध में हमें यह अवश्य देखना चाहिये कि वे प्रलोभन क्या हैं जो हम कृषि-वस्तुओं के मूल उत्पादकों को दे सकते हैं । आय-व्यय क में मूल-उत्पादक की क्या स्थिति ह क्या उसे अपने ऋण से छुटकारा मिल गया है ? क्या उसे सस्ते उर्वरक और सस्ते यन्त्र दिलाये जाने का आश्वासन मिल गया है । नहीं, कदापि नहीं । गत वर्ष हमें बताया गया था कि ग्राम ऋण के लिये १० करोड़ रुपये दिये जा रहे हैं । हम नहीं जानते कि उस का क्या हुआ, इस का आय-व्ययक में कोई उल्लेख नहीं है । इस के अतिरिक्त वित्त मंत्री ने वस्तुओं की थोक मूल्य में गिरावट का उल्लेख किया है । परन्तु यदि हम यह नहीं महसूस करते कि इन आंकड़ों में औद्योगिक कच्ची सामग्री, खाद्यान्न, अर्ध निर्मित वस्तुओं और निर्मित वस्तुओं के मूल्य सम्मिलित है, तो ये आंकड़े भ्रामक हैं । फिर मैं, यह जानना चाहती हूं कि इन के मूल्यों का संकलन किस आधार पर किया गया है ? क्या आप जानते हैं कि इस का 'भागधारी उत्पादक' पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? क्या यह कृषक के लिये उचित होगा ? हम ने इस में से किसी प्रश्न पर विचार नहीं किया है ।

निर्यात शुल्क में छूट देने के बारे में भी कुछ और बात है । सम्भव है कि किन्हीं परिस्थितियों में निमित्त भुगतान के लिए मूल वस्तुओं आदि के निर्यात में वृद्धि करना आवश्यक हो । परन्तु यह तभी ठीक है जबकि वह योजना के इस विचार के अनुकूल हो । अन्यथा ऐसा होना अच्छी बात नहीं है । फसल के काटे जाने से पहले किसी प्रकार की योजना नहीं बनाई जाती । उस अच्छी या बुरी फसल से कितनी राशि मिलेगी, निर्यात कितनी मात्रा का होगा, आदि बातों का पता नहीं चलता । परिणामतः यदि बहुत जधिक फसल हो तो असली उत्पादक पर ही उस का प्रभाव पड़ता है । उसे किसी भी ढ़ंग से उस अनाज को बेचना पड़ता है । वह उस अनाज या अप ने किसी अन्य उत्पादक

[श्रीमती रेणुचक्रवर्ती]

को अपने पास नहीं रख सकता । उसे सस्ती से सस्ती दर पर बेचना पड़ता है । अब होता क्या है कि बिचौलिया इसे खरीदता है और उस के बाद सरकार के साथ संघर्ष शुरू हो जाता है । इस के बाद इस मात्रा में वृद्धि होती है या निर्यात-शुल्क कम कर दिया जाता है। किन्तु, उस बीच शरारत हो चुकी होती है । असली उत्पादक हानि उठाता है और सटोरिये, बिचोलिये या निर्यातक ही इस सारे का लाभ उठाते हैं । ऐसे मौके पर ही हमें यह कहना पड़ता है कि नियंत्रण होना आवश्यक है । श्री जवाहर लाल नेहरू ने भी कहा था : हमें सामरिक ढ़ंग के नियंत्रण बिठाने होंगे । उन्होंने कहा था कि इस तरह की व्यवस्था हो कि चारों ओर कड़ी निगाह रहे । यदि इस बात की आवश्यकता है तो सारे निर्यात व्यापार पर सामरिक स्थिति का सा-नियंत्रण होना चाहिये । हमारा निर्यात व्यापार विदेशियों द्वारा चलाया जा रहा है । हो सकता है कि उन की संख्या अधिक न हो, किन्तु उन्हों ने बहुत अधिक परिमाण में निर्यात पर नियंत्रण किया है । तम्बाकू, रबड़, गर्म मसाले, और इसी प्रकार की अन्य वस्तुओं में यही स्थिति है ।

इन के अतिरिक्त देशीय सटोरिये भी इस व्यापार में अपनी टांग अड़ाये बैठे हैं । मेरे अपने राज्य में—पश्चिमी बंगाल में—जूट के मूल्य पर इन बड़े व्यापार-सार्थों का नियंत्रण है—इन के नाम हैं इण्डियन जूट मिल्ज एसोसियेशन आदि । आज कल भी सरकार ने जूट के लिये कोई निम्नतम दर निश्चित नहीं की है, और जूट उत्पादकों को इन उद्योग-पतियों के मन की मौज पर निर्भर करना पड़ता है । अतः एव हम यह अनुभव करते हैं कि जब तक आप मूल्यों का नियंत्रण नहीं करते तब तक सारी योजना असफल रहेगी और उत्पादन की स्थिति बिल्कुल अस्थिर रहेगी । हम चाहते थे कि इस आय-व्ययक में कृषि की वस्तुओं के मूल्यों पर सामरिक स्थिति का नियंत्रण हो । आय-व्ययक में हम इसी की ओर संकेत हुआ चाहते थे । इस से दो बातों का पता चलता है । पहली यह कि यदि राज्य निर्यात व्यापार का नियंत्रण कर पाता तो वह विविध प्रकार के व्यापार का नियंत्रण कर सकता, जिस का यह परिणाम होता कि विश्व में इन वस्तुओं के अच्छे मूल्य होते । दूसरी यह कि सरकार भी खुले बाजार में इस तरह की वस्तुयें खरीदती । इस दो प्रभावों वाली सामरिक स्थिति की सी प्रणाली से कृषि की कच्ची सामग्री के मूल्य नियंत्रित होते और व्यापार का आधार दृढ़ होता । इस से यह लाभ होता कि देश भर के किसान वर्ग की क्रय-शक्ति में बचत होती । दुर्भाग्य की बात है कि वित्त मंत्री ने बेचारे किसान के लिये कोई भी जगह नहीं रखी । उस के लिये कोई भी प्रेरणा नहीं रही है । यही कारण है कि हमें यह कहना पड़ता है कि इस पहलू पर सक्रिय विचार किए बिना योजना सफल नहीं हो सकती । औद्योगिक नीति के सम्बन्ध में इस आय-व्ययक में बहुत ही छूट दी गई है । विकास की छूट के अतिरिक्त घाटे को चलता दिखाने की भी अनुमति है । मैं बता चुकी हूं कि तब ही यह स्थिति आती है जब लाभ ही लाभ हो रहा हो; स्टाक ऐक्सचेंजों में लाभ हो, और औद्योगिक उधार तथा विनियोग निगम में विदेशी पूंजी सहित गैर-सरकारी उद्योग-पतियों को साढ़े सात करोड़ रुपये ब्याजरहित देन तथा विश्व बैंक से १ करोड़ डालर का ऋण दिलाने का विश्वास देने का काम भी तभी हो सकता है । पहले भी टाटा वालों को १० करोड़ की ब्याजरहित राशि दी जा चुकी थी । तुर्रा यह है कि यह सब धन गैर-सरकारी उद्योगपतियों को ब्याजरहित दिया गया है, और सरकार का उन पर कोई भी नियंत्रण

नहीं है । आखिर यह कैसा समाजवाद है ? क्या इतने बड़े बड़े उद्योगपति और उन के ये उद्योग इतने गये बीते हैं कि सरकारी सहायता के बिना उन का काम नहीं चल सकता है । एण्ड्रू मूल, शा वैलेस, आदि ब्रिटिश प्रबन्धक अभिकरणों और सार्थों को लीजिये जिन्होंने जूट, कोयला, चीनी, कपड़ा, खान इंजीनियरिंग, आदि उद्योग के क्षेत्रों पर, कब्जा जमा रखा है । इन में से प्रत्येक ने १९४७ से लाखों रुपये का मुनाफा दिखाया है । सब से अधिक ध्यान देने योग्य बात यह है कि इन विगत सात वर्षों में प्रायः इन्हों ने विनयोजित पूंजी का दो गुना मुनाफा कमाया है ।

मैं अपने राज्य के दुआरस स्थित २४ चाय बागानों का जिक्र करूंगी जिन की प्रदत्त पूंजी १९० लाख रुपये है । केवल १९५३ में इन्हों ने १८९·५ लाख रुपये का मुनाफा कमाया । इन के पास २२३ लाख रुपये की रक्षित निधि भी है । इसी प्रकार तराई, दार्जीलिंग, आदि स्थानों में चाय बागान समवायों ने लाखों रुपये का मुनाफा कमाया है । भला, ऐसा होता क्यों है ? हमें आश्चर्य हो रहा है कि वे इतने सारे पैसे से क्या कर रहे हैं, जब कि वे सहायता लेते रहते हैं, इन रक्षित अवक्षयण आदि निधियों से सरकार कोई लाभ क्यों नहीं उठाती ? सरकार इन उद्योगों की निधियों को राष्ट्रीय हित के कामों में क्यों नहीं लगाती ? हम बेचारे निर्धन व्यक्तियों पर ही अपने देश का सारा बोझ क्यों डालते हैं । इन बड़े बड़े सार्थों और उद्योगों से यह धन क्यों नहीं लिया जाता जबकि देश को पैसे की इतनी आवश्यकता है इसीलिए हमारा यह अनुभव है कि पूंजीनियोजन का मुख्य और एकमात्र ध्येय मुनाफा कमाना है, और इस में योजना नहीं चल सकती ।

दूसरी ओर हम कामकरों को भी देखते हैं । यदि योजना को सफलता प्राप्त करनी है तो किसानों की तरह ही कामकरों की भी क्रयशक्ति होनी चाहिये । मैं अभी रोजगार के प्रश्न पर विचार नहीं कर रही हूं ।

अब उसी चाय उद्योग के सम्बन्ध में देखिये । वस्तुतः यदि मेरे राज्य पश्चिमी बंगाल में, न्यूनतम मजूरी अधिनियम पूरी तरह से लागू किया जाय, तो एक श्रमिक को २६ रुपये महीना मिलेगा । तराई और दार्जिलिंग में इस से भी कम मिलेगा । अब हम इस की तुलना बड़े प्रबन्धकों की आय से करें । ५०० एकड़ भूमि के ब्रिटिश अधिकृत बाग के एक प्रबन्धक को लगभग ५,००० रुपये की आय होगी और बड़े बागों में लगभग ६,००० रुपये या ७,००० रुपये की आय होगी । इस के अलावा उन को और भी बहुत सी सुविधायें उपलब्ध हैं, जो कि श्रमिकों को नहीं मिलतीं । चाय के उत्पादक श्रमिकों से कहते हैं कि हम तुम्हारी मजूरी में वृद्धि करेंगे, किन्तु तुम शान्ति रखो । चाय उद्योग में एक बड़ा संघर्ष चल रहा है । श्रमिक अधिक काम कर के चाय का उत्पादन बढ़ाते हैं, किन्तु उन की मजूरी में कोई वृद्धि नहीं की जाती । बाजार में चीजों की बहुलता है, किन्तु क्रय शक्ति के अभाव में वे चीजें नहीं खरीद पाते । इस के अलावा हम देखते हैं कि मूल्यों में गिरावट आ गई है । बजट में इस बात की ओर ध्यान बिल्कुल भी नहीं दिया गया है :

अब मैं बेरोजगारी के प्रश्न को लेती हूं । बेरोजगारी केवल अकुशल श्रमिकों तथा निर्धन वर्गों में ही नहीं है, अपितु प्रविधिक रूप से प्रशिक्षित लोगों तथा मध्यवर्ग के व्यक्तियों में भी है । मेरे राज्य में तो रोजगार की स्थिति बड़ी निराशाजनक है । अतः मध्यम वर्ग की बेरोजगारी के प्रश्न को भी हल करना है ।

मैं इस समय कर संबंधी प्रस्थापनाओं की ओर अधिक विवचना नहीं करूंगी।

[श्रीमती रेणुचक्रवर्ती]

क्योंकि वित्त विधेयक के प्रस्तुत होने पर उन की चर्चा करना अधिक उपयुक्त होगा। किन्तु मैं यह कहना चाहती हूं कि ये नये उत्पाद शुल्क उन पर लगाये जा रहे हैं, जो कि इस को देने में असमर्थ हैं। माननीय वित्त मंत्री ने बताया था कि जितने लोग इन चीजों का प्रयोग करेंगे, उन सब का हिसाब लगा कर यह १ रु० प्रति व्यक्ति पड़ेगा। मेरा कहना यह है कि यह १ रु० भी बहुत अधिक सिद्ध होगा। इस सभा के एक बिहारी मित्र ने मुझ को बताया था कि युद्ध से पूर्व एक कृषक को करों के रूप में ७ रुपये ८ आने देने पड़ते थे, जब कि आज उस को ४१ रुपये देने पड़ रहे हैं। इन नये उत्पाद शुल्कों के लागू करने से कृषकों को बड़ी परेशानी हो जायेगी, विशेषतः जब कि खाद्यान्नों के मूल्यों में काफी गिरावट आ गई है।

चीनी, दियासलाई, इत्यादि वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क लगाने के साथ साथ हम देखते हैं कि पंखों और सीने की मशीनों पर भी उत्पादन शुल्क लगा दिया गया है। ये उद्योग बहुत बड़े नहीं हैं। जहां तक सीने की मशीनों का सवाल है, वह कोई विलास-वस्तुयें नहीं हैं। इसके विपरीत वह उत्पादन के साधन हैं। अनेक शरणार्थी स्त्रियां उनकी मदद से अपनी रोजी कमाती हैं। उषा इत्यादि मशीनों के दाम कम हो जाने के कारण ही उनकी मांग बढ़ गई हैं। इस नये उत्पाद शुल्क का भार भी उद्योग पर पड़ने के बजाय उन लोगों पर पड़ेगा। यही बात हम पंखों के साथ देखते हैं।

आयकर का प्रस्तावित ढांचा तुलनात्मक दृष्टि से अच्छा है किन्तु यह अधिक अच्छा होता यदि ज्यादा आमदनी पर बहुत ज्यादा आयकर लगाया जाता। ७,५०० रुपये से १०,००० रुपये तक के आय पर ६ पाई प्रति रुपया आयकर है और १०,००० रुपये से १५,००० रु० तक की आय पर ३ पाई प्रति रुपया। मेरे विचार में अधिक आय वाले वर्ग पर कम आय वाले वर्ग से आय कर अत्याधिक होना चाहिये।

अब, मैं सम्पदा शुल्क के बारे में कहना चाहती हूं। माननीय वित्त मंत्री ने बताया था कि इस से चार करोड़ रुपये की आय होगी, किन्तु ऐसा नहीं हो पाया है। यह कहना व्यर्थ है कि धनी व्यक्ति अभी परलोक नहीं सिधारे हैं। वस्तुतः इस सम्बन्ध के विधि में कितने ही छिद्र हैं, जिन की वजह से धनी लोग अपने को बचा ले जाते हैं। उन छिद्रों को पूरा करने की आवश्यकता है।

आज योजना के इस महत्वपूर्ण पहलू की ओर ध्यान देने की सब से बड़ी आवश्यकता है, कि लोगों, श्रमिकों और मध्यवर्गों की क्रय शक्ति कैसे बढ़े। बजट में इस ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया है। इसी कारण हम यह अनुभव करते हैं कि यह बजट पूंजीपतियों के दृष्टिकोण से बनाया गया है।

श्री तुलसी दास (मेहसाना पश्चिम) : अनेक माननीय सदस्यों ने अपने भाषणों में बजट की प्रस्थापनाओं और साथ ही साथ सरकार की सामान्य आर्थिक नीति पर प्रकाश डाला है। माननीय वित्त मंत्री ने दूसरी सभा में दिये गये अपने भाषण में माननीय सदस्यों की अनेक बातों का उत्तर दिया है और यह बताया है कि इस बजट का रूप समाजवादी है। पिछली बार सरकार की आर्थिक नीति के सम्बन्ध में जो चर्चा हुई थी उस के दौरान में वित्त मंत्री ने यह बताया था कि सरकार केवल समाजवादी दृष्टिकोण से ही नहीं देखती है, अपितु उस नीति को व्यवहार में लाने के योग्य और वास्तविक बनाना चाहती है।

प्रथमतः, मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा दिखाई गई अनुदारता का निदेश करता हूं।

जैसा कि मैं हमेशा से सभा को बताते आया हूं। माननीय वित्त मंत्री हमेशा ही राजस्वों का अनुदान कम लगाते हैं और व्ययों का अनुमान अधिक लगाते हैं। मैं इस से पूर्णतः अवगत हूं कि बिल्कुल ठीक अनुमान लगाना संभव नहीं है, किन्तु यह तथ्य है कि १९४८-४९ से १९५३-५४ तक प्रत्येक साल जो कुछ अन्तर पड़ा है, वह सरकार के पक्ष में ही गया है। १९५४-५५ के वास्तविक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, किन्तु संशोधित प्राक्कलनों से मालूम पड़ता है कि बजट में १० करोड़ का जो घाटा दिखाया गया था, उस से कम घाटा हुआ है। पाकिस्तान से लगभग ९ करोड़ रुपये की मिलने की जो संभावना थी और जिसे राजस्व लेखों में रख लिया गया था, वह नहीं मिले, जिस का तात्पर्य यह है कि घाटे का संशोधित अनुमान केवल १८ करोड़ रुपये का था। माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में यह बताया है कि निर्यात शुल्कों इत्यादि द्वारा यह घाटा कैसे पूरा किया गया है। गत वर्ष के अनुभव के आधार पर मैं कहता हूं कि १९५४-५५ के लिये बजट में जो ३० करोड़ का घाटा दिखाया गया है, वह अनुमान से अधिक है। संभव है कि घाटा इतना न हो। दूसरी सभा में माननीय वित्त मंत्री ने बताया था कि उन्हों ने ८ करोड़ रुपये की कमी बिना पूरा किये हुए छोड़ दी है, क्योंकि उन्होंने इस को आकस्मिकता निधि समझ लिया है। यह राशि ८ करोड़ से कम है या अधिक है, यह अपने अपने मत की बात है किन्तु उन्होंने इस को बिना पूरा किये हुए छोड़ दिया है।

मैं सभा को एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। व्यय के प्राक्कलनों के अनुसार, विशेषतः राजस्व में से विकास संबंधी व्यय में असैनिक प्रशासन में ३८ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। इस व्यय में शिक्षा तथा इस प्रकार के अन्य राष्ट्रनिर्माण संबंधी कार्यों के सम्बन्ध में होने वाला व्यय सम्मिलित है। विविध व्यय में भी जिस में सामुदायिक परियोजनाओं पर व्यय होने वाली राशि सम्मिलित है, लगभग १३ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** पीठासीन हुए]

माननीय वित्त मंत्री ने अपने भाषण में बताया है कि पिछले तीन या चार सालों में खर्चा बहुत मन्द गति से हुआ है और विशेष रूप से गत वर्ष में पूंजी व्यय पर खर्च कम हुआ है। मैं नहीं समझता कि वर्तमान साल में कहां तक खर्चा बढ़ाया जायेगा क्योंकि प्राक्कलन में यह मालूम होता है कि वर्तमान साल में एक बहुत बड़ी मात्रा में खर्च होगा।

श्री सी० डी० देशमुख : वह राजस्व पक्ष में नहीं है।

श्री तुलसी दास : राजस्व पक्ष में असैनिक पक्ष की तुलना में ३८ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं पूंजी व्यय की बात कर रहा हूं।

श्री तुलसी दास : राजस्व पक्ष में भी।

पूंजी व्यय के सम्बन्ध में भी, व्यय की कमी के कारण प्राक्कलित व्यय गत वर्ष से कम है। राजस्व पक्ष में यह स्वभावतः उतना कम कर दिया गया है। राजस्व लेखे के व्यय पक्ष में ११ करोड़ पये की धन राशि के खर्च करने का विचार है। उस सम्बन्ध में भी बजट में व्याख्या दी गई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि राजस्व पक्ष और पूंजी पक्ष दोनों में विकास व्यय कम कर दिया गया है। अतः मैं कहना चाहता हूं कि वर्तमान साल ला के लिये असैनिक प्रशासन पर ३८ करोड़ और विविध व्यय के अन्तर्गत १३ करोड़ रुपये का प्राक्कलित व्यय अनुमान से अधिक है, क्योंकि खर्च उस स्तर तक नहीं पहुंचा है॥

[श्री तुलसीदास]

वस्तुतः माननीय मंत्री इस बात के आदी हैं कि वे पूंजी पक्ष के घाटे को राजस्व पक्ष के अतिरिक्त निधि से पूरा कर लेते हैं । किन्तु प्रश्न यह है कि क्या राजस्व पक्ष में ५१ करोड़ रुपये का प्राक्कलित व्यय वसूल किया जायेगा । कुछ सालों में सीमा शुल्कों से काफी अतिरिक्त निधि बनी । १९५०-५१, १९५१-५२ और १९५२–५३ में काफी सीमा तक राजस्व बजट के लेखे में से पूंजी बजट को अंशदान देना पड़ा । ऐसी हालत में, मैं माननीय वित्त मंत्री से निवेदन करता हूं कि वे प्रथम पंचवर्षीय योजना के इस अन्तिम वर्ष में लोगों पर करों का अधिक भार न डालें । मैं जानता हूं कि ३० करोड़ रुपये की कमी है । किन्तु ५१ करोड़ रुपये की राशि की जो खर्च होने की आशा की जाती है, वह खर्च नहीं की जायेगी । गत वर्षों में जो भी अतिरिक्त निधियां बनीं, वे पूंजी पक्ष के लेखे में डाल दी गईं ।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं एक बात कहना चाहता हूं । वित्त आयोग के प्रतिवेदन का ख्याल करते हुए लगभग ८४ करोड़ रुपये राज्यों को दे दिये गये थे । वह धन राशि पूंजी व्यय के लिये नहीं थी, बल्कि उन के लेखे के राजस्व पक्ष के लिये थी ।

श्री तुलसी दास : इस दृष्टिकोण से मैं चाहता हूं कि लोगों पर करों का अधिक भार न डाला जाये । ३० करोड़ रुपये की कमी पूरा करने की कोई आवश्यकता नहीं है । यह संभव है कि वास्तविक आंकड़ों के देखने पर यह मालूम पड़े कि वह राशि पूरी हो गई है ।

कई माननीय सदस्यों ने बताया है कि व्यय पक्ष में बचत करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है । कर जांच आयोग ने भी यह बताया है कि प्रशासन के व्यय में बचत करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है । मैं देखता हूं कि रक्षा सेवाओं के खर्चे में कुछ बचत दिखाई गई है । मैं जानता हूं कि ७ $^{१}/_{२}$ करोड़ रुपये का आवर्तक खर्च कहां तक कम कर दिया गया है । क्या खर्चे में कमी का कारण यह है कि सामान पर कम खर्च किया गया है अथवा आवर्तक व्यय में ही कोई कमी कर दी गई है ? किन्तु फिर भी यदि रक्षा मंत्रालय कुछ बचत कर सकती है तो दूसरे मंत्रालयों से भी ऐसी आशा करना कोई बड़ी बात नहीं है । माननीय वित्त मंत्री ने बताया है कि बिना छंटनी किये हुए बचत की आशा नहीं की जा सकती । कर जांच आयोग ने निश्चित रूप से बताया है कि व्यय पक्ष में काफी बचत की जा सकती है ।

मैं कुछ शब्द लोक उपक्रमों और उन के लेखों के बारे में कहना चाहता हूं । लगभग ४२ लोक उपक्रमों में से, हमें तीन उपक्रमों के ही लेखे मिले हैं । माननीय वित्त मंत्री से पूछने पर मुझे यह उत्तर मिला कि एक के अलावा, जो कि वित्त मंत्रालय में हैं, शेष लेखे लोक सभा के पुस्तकालय में हैं । मैं देखता हूं कि लोक-सभा की पुस्तकालय में भी इन तीन लेखों के अलावा कोई लेखा उपलब्ध नहीं है । जब तक हमें ये लेखे नहीं प्राप्त होते, तब तक हम नहीं बता सकते कि इन लोक उपक्रमों की क्या स्थिति है । मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्हों ने इस सुझाव पर विचार कर लिया है कि इन उपक्रमों की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त करनी चाहिये । उन्हों ने बताया था कि वे समवाय विधेयक में इस सम्बन्ध में कुछ उपबन्ध करेंगे, किन्तु मैं नहीं कह सकता कि उन्होंने कुछ भी किया है । जबकि इस लोक क्षेत्र का विस्तार होन जा रहा है । यह परमावश्यक है कि इस के विभिन्न उपक्रमों के खर्चे में कमी की जाये और सभा को ऐसी सामग्री उपलब्ध की जाये जिस से वह जान सके इन उपक्रमों का काम कैसा चल रहा है ।

एक सुझाव मैं यह देना चाहता हूं कि राज्यों को जो ऋण अथवा अग्रिम धन दिये जाते हैं, उन के सम्बन्ध में यह जांच करने के लिये कि राज्य उस राशि को ठीक तरह से उपयोग में लाते हैं अथवा नहीं, एक समिति की नियुक्ति की जाये। आस्ट्रेलिया में राज्यों को दिये जाने वाले ऋणों अनुदानों इत्यादि की जांच करने के लिये एक अनुदान आयोग है।

माननीय वित्त मंत्री ने अपने भाषण में गैर-सरकारी क्षेत्रों में पूंजी-निर्माण के लिये उपबन्ध करने के सम्बन्ध में दो निगमों की स्थापना का उल्लेख किया। किन्तु उन्होंने इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं बताया कि उन्हों ने भारत के रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त की गई व्यापार वित्त समिति की सिफारिशों के सम्बन्ध में क्या निर्णय किया है।

अब मैं कृषि उत्पादकों के मूल्यों के बारे में कहना चाहता हूं। लगभग एक साल से ये मूल्य बराबर गिरते जा रहे हैं। विशेषत: इस साल तो मूल्यों में काफी गिरावट आ गई है। कृषकों से बात करने पर पता चलता है कि वे मूल्यों के गिरने की पर्वाह नहीं करेंगे यदि अन्य चीजें उन को सस्ते मूल्यों पर मिल जायें। इसलिये मैं कहता हूं कि जब तक अन्य चीजों का मूल्य नहीं गिरता, कृषकों को नुकसान होगा। अब मैं निर्मित वस्तुओं की बात कहता हूं। इन के मूल्यों के निर्धारण में कच्चा माल, श्रम, कर, और लाभ का भाग चार बातें मुख्य हैं। यदि एक चीज का मूल्य गिर रहा है तो यह आवश्यक है कि अन्य तीनों चीजों के मूल्य भी कम कर दिये जायें अन्यथा मूल्य नहीं गिर सकता। कपड़े के मूल्य के सम्बन्ध में हम देखते हैं कि कपास का मूल्य तो गिर गया है। किन्तु उत्पादन शुल्क बढ़ा दिया गया है। इस के अलावा, आवश्यकता से अधिक कपड़े का निर्यात भी बहुत बड़ी मात्रा में किया जा रहा है। ऐसी हालत में कपड़े के मूल्यों में कोई कमी आने की संभावना नहीं है। मैं समझता हूं कि माननीय वित्त मंत्री इस पर विचार करेंगे।

अब सीने की मशीनों की बात आती है। यह निश्चय किया गया है कि उन छोटे उद्योगों को जो कि कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आते, छूट दे दी जायेगी। किन्तु उस का तात्पर्य केवल उन कारखानों से है, जिन में १० व्यक्ति से अधिक काम नहीं कर रहे हैं। कुछ छोटे स्तर के उद्योग हैं जिन में ३०, ४० अथवा ५० व्यक्ति काम करते हैं। वे पुर्जों का निर्माण करें अथवा स्टेण्ड का किन्तु उस से कोई परिणाम नहीं निकलेगा। बड़ी बड़ी फैक्टरियों में तो उत्पादन शुल्क वसूल किया जा सकता है किन्तु छोटे पैमाने वाले उद्योगों का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अत: माननीय वित्त मंत्री से प्रार्थना है कि वह इस पहलू पर विचार करें।

चीनी पर बढ़ाये गये शुल्क के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी के भाषण से ऐसा मालूम होता है कि उपभोग की अपेक्षा उत्पादन कम होने के परिणामस्वरूप वह उपभोग कम कर देंगे। किन्तु पिछले दो वर्षों से साफ की गई चीनी का उपभोग बढ़ गया है। इस का कारण यह है कि उस की कीमत कम थी और गुड़ की कीमत में कमी नहीं हुई है। यदि आप उपभोग कम करना चाहते हैं तो नई फैक्टरियां किस प्रकार खुल सकती हैं। एक ओर तो हम नई फैक्टरियां खोलना चाहते हैं और दूसरी ओर २२$\frac{1}{2}$ लाख टन चीनी का आयात करते हैं। हम चीनी का उपभोग कम करने जा रहे हैं। एक ओर आप प्रति हंडरवेट १ रु० १२ आने उत्पादन शुल्क बढ़ाना चाहते हैं। आयात की गई चीनी में केवल १ रु० का मुनाफा था। इस प्रकार आप को निर्यात के लाभ से केवल १२ आने मिलेंगे। इस उत्पादन शुल्क से किसी भी दशा में चीनी की कीमत कम नहीं होगी। यदि आप उपभोग कम करना चाहते

[श्री तुलसी दास]

हैं तो परमात्मा के नाम पर यह शुल्क न लगायें ।

श्री सी० डी० देशमुख : आयात रोक दिया जाये ?

श्री तुलसी दास : मुझे इस की चिन्ता नहीं है । हम ने इस वर्ष ५,००,००० टन का वायदा कर लिया है ।

श्री सी० डी० देशमुख : नई फैक्टरियां एकदम उत्पादन आरम्भ नहीं करेंगी ।

श्री तुलसी दास : उत्पादन इस वर्ष १४,००,००० टन तक बढ़ाया जा रहा है । उत्पादन शुल्क में वृद्धि असामयिक सी है । वर्तमान नीति इस प्रकार है कि जब कभी हमारे पास आवश्यकता से अधिक चीनी होती है हम इसे यथाशीघ्र समाप्त कर देना चाहते हैं और जैसे ही इस में कमी होती है हम विश्व के बाजारों की ओर दौड़ते हैं और किसी भी कीमत पर उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं । आप चाहते हैं कि पूंजी विनियोग हो और दूसरी ओर आप की इच्छा है कि घाटा २३ रु० विद्यमान रहे जो वस्तुतः पूंजी विनियोग के लिये हानिकारक है । उद्योग के विस्तार तथा पुनर्वास के लिये पूंजी विनियोग आवश्यक है ।

श्री राम शरण (जिला मुरादाबाद-पश्चिम) : सभापति जी, बजट के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रजातन्त्र के साथ साथ इस में भी विकास हुआ है । कुछ समय पहले, कुछ वर्ष पहले, जब हम बजट के सम्बन्ध में विचार करते थे तो किसी राज्य के व्यय पर पहिले विचार कर के उस के अनुसार आय करने का प्रयत्न किया जाता था और यदि आय उतनी नहीं होती थी तो ऋण द्वारा उस की पूर्ति की जाती थी । लेकिन हम ने देखा कि गणतन्त्र के विकास के साथ साथ लोक सभा ने हमारी आर्थिक नीति का स्पष्टीकरण किया । आवड़ी में कांग्रेस ने भी एक प्रस्ताव पास किया जिस के द्वारा उस ने देश की आर्थिक नीति को समाजवादी ढ़ांचे का रूप दिया है । वही बात हम इस बजट में देखते हैं गो कि वह शब्द प्रयोग में नहीं लाया गया है लेकिन कुछ कुछ उस की झलक हम इस बजट में स्पष्ट देख रहे हैं । अनेक आय करों के बारे में हम देखते हैं कि जो नीचे की आमदनी वाले हैं उन के कर घटा दिये गये हैं और ऊपर की आमदनी वालों के दरों में वृद्धि की गयी है । साथ ही जो सुपर टैक्स २५,००० पये से ऊपर लगाया जाता था उस को २०,००० रुपये पर लगाने का आयोजन किया गया है । इसी प्रकार से जो १८,००० के ऊपर अतिरिक्त आय होती है उस पर और मनोरंजन के जो एलाउन्सेज़ हैं उन पर कर लगाने का इस में आयोजन है । विकास के सम्बन्ध में खास तौर पर छूट दी गई है । जो कारखाने नई मशीनें लगायेंगे उन को २५ परसेंट डेवलेपमेंट रिबेट दिया गया है । उस की तरफ मैं खास तौर से ध्यान दिलाना चाहता हूं । इस से लोगों को नये कारखाने खोलने का प्रोत्साहन मिलेगा । जो लोग अपना रुपया इंश्योरेंस में या प्राविडेंट फंड में लगाना चाहते हैं उन को आमदनी के छटे हिस्से या ६,००० रुपये के बजाय पांचवें हिस्से या ८,००० रुपये पर छूट दी गयी है । लेकिन मैं वित्त मंत्री का ध्यान एक आवश्यक छूट की तरफ और दिलाना चाहता हूं और वह सम्पत्ति दान से सम्बन्ध रखती है । आप सब को विदित होगा कि विनोबा जी ने सब लोगों से अपील की है कि वे अपनी आय का छठा हिस्सा सम्पत्ति दान में दें । बहुत सारे लोगों ने अपनी आय का छठा हिस्सा आठवां हिस्सा सम्पत्ति दान में दिया है । अगर हम इस की भी छूट कर दें कुछ रिबेट कर दें तो लोग ज्यादा प्रोत्साहित होंगे औ

विनोबा जी को सम्पत्ति दान में कुछ सहायता मिल सकेगी ।

इसी प्रकार से मैं खास तौर पर अध्यापकों, प्रोफैसरों की जो अपने पुस्तकालय रखते हैं और हर साल सैंकड़ों रुपयों की पुस्तकें खरीदते हैं, यदि जितने की पुस्तकें खरीदी जाती हैं, वह रकम भी अगर छूट में मान ली जायें तो उचित होगा । उसके सम्बन्ध में भी वित्त मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं । इस प्रकार के आय-करों में जो कुछ परिवर्तन हुआ है, उस से कुछ झलक हम को समाजवादी ढांचे की मिलती है लेकिन वह झलक अधूरी रह जाती है, वह तभी पूरी होती जब कि हम अपनी बेकारी की समस्या को किसी प्रकार से हल कर सकते पर बेकारी की समस्या हल करना कोई आसान काम नहीं है । हम यह देखते हैं कि दो हजार करोड़ रुपये के करीब खर्च करने पर भी स्थिति जैसी कि पांच साल पहले थी, वही स्थिति आज भी विद्यमान है । बेकारी की समस्या के सम्बन्ध में थोड़ा भी विचार करें तो ऐसा मालूम होगा ।

गवर्नमेंट द्वारा १९५३ का सेंशस आफ इंडिया का पेपर नम्बर तीन निकला है, उस से मालूम होता है और उस में यह दिया हुआ है कि हमारे देश में जो लोग काम में लगे हुए हैं उन में अधिकतर लोग ऐसे हैं जो कि सैल्फ इम्प्लायैड हैं । उस में ऐसा लिखा है कि जितने लोग लगे हुए हैं, उन का ७१·३ प्रतिशत ऐसा है जो कि अपने निजी काम में लगे हुए हैं और उन में खास तौर पर वे लोग हैं जो या तो किसान हैं जो अपनी खेती के काम में लगे हुए हैं या और छोटे छोटे व्यापारी हैं जो दुकानदारी या उद्योग धंधों में लगे हुए हैं, जब तक हम उन की स्थिति नहीं सुधारेंगे जो इन कामों में लगे हुए हैं और जो करीब ७१ प्रतिशत हैं, तब तक देश की उन्नति नहीं हो सकेगी । साथ ही साथ देश में करोड़ों लोग इस प्रकार के हैं जो बेकार हैं, या अर्ध बेकार हैं, उन की स्थिति भी हम को सुधारनी है । तो प्रश्न यह होता है कि क्या इन की स्थिति बड़े बड़े उद्योग धंधे खोलने से सुधर सकती है । मिसाल के तौर पर मैं बतलाऊंगा कि कपड़े की मिलों में जो आजकल उत्पादन होता है और जिन के द्वारा कोई ४०० करोड़ का सामान प्रतिवर्ष किया जाता है, उस में कोई साढ़े सात लाख के करीब लोग लगे हुए हैं और दूसरी ओर—हम देखते हैं कि २५ करोड़ रुपये की एक वर्ष में जो खादी तैयार की जाती है उस में करीब ७५ लाख लोग लग जाते हैं और उन को रोजी मिल जाती है । सिर्फ बात यह है कि मिल में औसत आमदनी एक आदमी की डेढ़ रुपया है और खादी के काम में जो लगा हुआ है उस आदमी की औसत आमदनी बारह आने है । देखना यह है कि कुछ लाख मनुष्यों को यदि हम अधिक मजदूरी दें और करोड़ों लोगों को बेकार करें, उस की अपेक्षा कहीं अच्छा है कि भले ही मजदूरी कम हो, लेकिन यह जो करोड़ों लोग बेकार हैं और उन के साथ साथ जो करोड़ों अर्ध बेकार है उन को इस प्रकार से काम मिल जाये । इस सम्बन्ध में जहां तक गवर्नमेंट की औद्योगिक नीति का सम्बन्ध है, उस का स्पष्टीकरण होना चाहिये, जब तक उस का स्पष्टीकरण नहीं होगा और जब तक बड़े उद्योग-धंधों में स्पर्धा होती रहेगी तब तक छोटे उद्योग धंधे बड़ों के मुकाबले में नहीं ठहर सकेंगे । इसके वास्ते जैसा आचार्य कृपालानी ने कहा है और श्री सिंहासन सिंह ने भी उस की तरफ ध्यान दिलाया है, इस बात की जरूरत है कि गवर्नमेंट इन दोनों प्रकार के कामों, बड़े उद्योग धंधों और छोटे घरेलू गृह उद्योग और ग्राम उद्योगों का जो स्फैयर आफ वर्क (क्षेत्र) है, उस को निर्धारित कर दिया जाये, चाहे वह किसी प्रकार से हो । जैसे कि हमारे यहां के खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड ने कहा है कि तेल का जो खाने वाला प्रकार है, वह कोल्हू द्वारा तैयार

[श्री राम शरण]

किया जाये और जो अखाद्य है, वह मशीन के द्वारा तैयार किया जाये। इसी प्रकार से चावल की बात कही है। यह जानते हुए भी कि जो चावल घरेलू उद्योग धंधे से तैयार होता है, उस चावल का वजन भी अधिक होता है और उस में पौष्टिक पदार्थ भी अधिक होते हैं और जो चावल मशीन के द्वारा तैयार होता है उस में पौष्टिक पदार्थ भी नष्ट हो जाते हैं और साथ ही साथ इस का वजन भी कम हो जाता है, आश्चर्य की बात यह है कि हम यह जानते हुए भी मशीनों पर निर्भर हैं। देश की जिस में भलाई है और जिस में हम देश के ज्यादा से ज्यादा लोगों को लगा सकते हैं उस के लिये यदि मशीन के कारखानों को बन्द भी करना पड़े तो भी हमें ऐसा करना चाहिये क्योंकि गृह उद्योग में हम करोड़ों लोगों को रोज़गार दे सकेंगे और पौष्टिक पदार्थ भी लोगों को दे सकेंगे। सन् १९४८ की गवर्नमेंट की जो औद्योगिक नीति है उस का जब तक गवर्नमेंट स्पष्टीकरण नहीं करेगी तब तक यह जो घरेलू उद्योग धंधे हैं, ये गृह उद्योग और ग्रामोद्योग हैं, ये मिल के व्यवसायों के सामने नहीं ठहर सकेंगे। इस वास्ते जो सोशलिस्टिक पैट्रन आफ सोसायटी की बात है, मेरा कहना है कि बजट में उस की पूरी झलक नहीं आ सकी है और जब तक कि ग्रामोद्योगों और गृह उद्योगों को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा और इन का क्षेत्र निर्धारित नहीं होगा, तब तक हम बेकारी की समस्या पर काबू नहीं पा सकेंगे। इन के निर्धारित होने पर ही हम बेकारी की समस्या को दूर कर सकेंगे। क्योंकि चाहे हम बड़े व्यवसायों को कितना ही बढ़ायें उन में हम देश के अधिक से अधिक बेकार लोगों को नहीं खपा पायेंगे। इस का यह मतलब नहीं है कि हमें बड़े उद्योगों की आवश्यकता नहीं है, बड़े उद्योगों की भी जरूरत है, हैवी एण्ड बेसिक इंडस्ट्रीज की हमारे देश में जरूरत है, उन को हमें चलाना होगा लेकिन जहां तक खाद्य पदार्थ और कपड़े का सम्बन्ध है और जो नितान्त आवश्यक वस्तुयें हैं, उन को यदि हम गृह उद्योगों और ग्राम उद्योगों के द्वारा ही पैदा करेंगे तो ही हम ग्रामों की उन्नति कर सकते हैं, उन को स्वावलम्बी बना सकते हैं और साथ ही हम अपनी बेकारी की समस्या को बहुत हद तक दूर कर सकते हैं।

अब मैं कुछ थोड़ा समय ले कर बजट में जो खास खास बातें हैं, उन की ओर विशेष रूप से ध्यान दिलाना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि इस बजट में यह देखने में आता है और पिछले कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि जहां तक सार्वजनिक आय का सम्बन्ध है, उस को कम रखने का प्रयत्न किया जाता है और जहां तक कि व्यय का सम्बन्ध है उस को ज्यादा रखने का प्रयत्न किया जाता है, जिस का नतीजा यह होता है कि अगले वर्ष में जिस वक्त कि आंकड़ों को रिवाइज किया जाता है तो उस में आय अधिक दिखलायी देती है और व्यय कम होता है। व्यय के कम होने का एक खास कारण यह भी है कि बहुत सारी मदों में जो व्यय निर्धारित कर दिया जाता है, उस के सम्बन्ध में और खास तौर से विकास विभागों के सम्बन्ध में यह देखने में आता है कि उन के सम्बन्ध में जो व्यय निर्धारित होता है उस में बहुत अधिक रुपया लैप्स होता है, खर्च नहीं हो पाता है और खास तौर पर यह बात खादी और ग्रामोद्योगों के सम्बन्ध में देखी गई है। इस सम्बन्ध में मैं एक मिसाल रखना चाहता हूं कि पिछले वर्ष में खादी के सम्बन्ध में दो करोड़ रुपये का व्यय निश्चय किया गया था लेकिन उस में से एक चौथाई ही खर्च हो सका। इसी तरह से ग्रामोद्योगों में एक चौथाई से भी बहुत कम, यानी चौदह लाख में से केवल ५६ हजार ही खर्च हो सका। इस का कारण यह है कि जो स्कीमें खादी

और ग्रामोद्योग के सम्बन्ध में बनती हैं उन की स्वीकृति में कई मास लग जाते हैं और कई मास के बाद अगर स्वीकृति मिली भी तो उस के बाद वह मंजूरी के लिये फाइनेन्स डिपार्टमेंट में भेजी जाती है और वही ऐतराज जो कि उन स्कीमों पर हमारे वाणिज्य और उद्योग विभाग के द्वारा होता है, वही ऐतराज फिर वित्त विभाग में उठाये जाते हैं और इसी प्रकार से इन स्कीमों की वाणिज्य तथा उद्योग विकास द्वारा स्वीकृति मिलने में और फिर फाइनेन्स विभाग से इन के पास होने में सात सात और आठ आठ साल तक लग जाते हैं और फिर उन पर अमल करने का बहुत कम समय रह जाता है और इस वजह से बहुत सारी रकमें आखिर में सरेंडर करनी पड़ जाती हैं। इसी प्रकार हमारे जो विकास विभाग हैं वह अपनी विकास योजनाओं पर बहुत भारी खर्च निर्धारित कर देते हैं लेकिन जैसा कि मैं ने अभी बतलाया वह पूरी रकमें खर्च नहीं हो पाती हैं और साल के आखिर में बहुत सारा रुपया सरेंडर करना पड़ता है । हर साल यह देखा जाता है कि जो व्यय रक्खा जाता है उस से कम व्यय होता है और दूसरी तरफ यह देखा जाता है कि जो आमदनी रक्खी जाती है उस से आमदनी ज्यादा होती है।

दूसरी बात खास तौर से यह दिखलाई देती है कि जो कर जांच आयोग बना था उस की जो मुख्य मुख्य सिफारिशें थीं उन का इस बजट में समावेश किया गया है। उस की वजह से २१ करोड़ ७० लाख रु० की वृद्धि हुई है। फिर भी अगर देखा जाये तो यह पता चलेगा कि पूंजी व्यय और आय व्यय दोनों को मिला कर ३२० करोड़ रुपये की कमी रहती है और इस की पूर्ति डैफिसिट फाइनेंसिंग कर के की गई है। आज देश की जो हालत है उस को देखते हुए इस में कोई खतरनाक बात नहीं मालूम होती है, जैसे जैसे हमारा औद्योगिक उत्पादन बढ़ता चला जायेगा और नई नई योजनाओं पर रुपया खर्च होता चला जायेगा वैसे वैसे धन की आवश्यकता होगी। इसलिये आज हम ने जो इतनी रकम डैफिसिट फाइनेंसिंग में डाल दी है उस से कोई खतरा नहीं मालूम होता ।

इसी तरह से तीसरी एक और खास बात बजट में देखने में आती है और वह यह है कि, जैसा पब्लिक ऐकाउन्ट्स कमेटी ने भी कहा है, आडिट और ऐकाउन्ट्स दोनों को, जो कि अब तक एक थे, अलाहदा किया गया है। यह भी एक विशेष बात है ।

श्री नटेशन : मैं माननीय वित्त मंत्री को उन की आय-व्ययक सम्बन्धी वक्तता पर बधाई देता हूं। उस में समाजवादी आधार पर कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य की पूर्ति के लिये पग उठाया गया है ।

आय-व्ययक सम्बन्धी भाषण में नारों का चाहे अभाव है परन्तु वह स्पष्ट तथा नम्र है। उच्चतर आय-वर्गों के लिये कर की दरों में उत्तरोत्तर वृद्धि के प्रस्तावों का मैं स्वागत करता हूं। मध्य तथा निम्न वर्गों सम्बन्धी कराधान प्रस्ताव कुछ कठोर हैं।

इस कराधान के विषय में सब से दुर्भाग्यग्रस्त लोग अविवाहित लोग हैं। विवाहित व्यक्ति को तो एक पत्नी और शायद दो एक बच्चों का ही पालन करना होता है परन्तु अविवाहित व्यक्ति को तो वृद्ध माता पिता की चिन्ता करनी होती है, दो एक बहिनों के विवाह करने होते हैं और दो एक भाइयों को पढ़ाना भी होता है।

श्री आर० एस० दीवान (उस्मानाबाद) : विवाह के बाद ये सब कहां चले जाते हैं ?

श्री नटेशन : वे पृथक रहने लगते हैं।

श्री आर० एस० दीवान : नहीं, भारत में ऐसा नहीं होता ।

श्री नटेशन : केवल भारत में ही अविवाहित व्यक्तियों के लिये यह बोझ है। इंगलैंड अथवा

[श्री नटेशन]

आस्ट्रेलिया में पुत्र के व्यसक हो जाने पर वह अपने माता पिता से पृथक हो जाता है। वह अपने माता पिता से कह देता है कि वह उनके घर में नहीं रहना चाहता है। मेरा निवेदन है कि माननीय वित्त मंत्री अपने विचारों पर पुनर्विचार कर अविवाहित लोगों के प्रति उदारता का प्रयोग करेंगे।

मुझे प्रसन्नता है कि व्यापार के लिये प्रतिष्ठापित समस्त नये संयंत्रों और मशीनों की लागत पर २५ प्रतिशत विकास सम्बन्धी छूट देने का प्रस्ताव है। मेरा विचार है कि इस से छोटे छोटे उद्योगों को लाभ पहुंचेगा। विद्युत् सम्भरण उद्योग में रुचि रखने वाले व्यक्तियों के लिये यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि विकास सम्बन्धी छूट और विद्युत् सम्भरण अधिनियम के वित्तीय उपबन्धों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण दिया जाये।

आय-व्ययक व्याख्या ज्ञापन के पृष्ठ ९८ पर योजनाओं की एक सूची दी गई है। उस में वे सब योजनायें हैं जिन के सम्बन्ध में रुपया निर्धारित किया गया है। किन्तु मुझे यह देख कर घोर निराशा हुई कि मद्रास के लिये उस में कोई योजना नहीं है। सूची में रिहन्द, हीराकुण्ड और दामोदर घाटी निगम आदि सब योजनायें दी गई हैं। हम वर्षों से मद्रास सरकार पर जोर डाल रहे हैं कि मद्रास में विद्युत्, सम्भरण की अवस्था अत्यंत शोचनीय है। हम से कुण्डा योजना के लिये कहा गया था। इस की लागत २५ करोड़ रुपये है और तैयार हो जाने पर उस से १५०,००० किलोवाट बिजली पैदा होगी। यह योजना १९५१ में केन्द्रीय सरकार के पास भेजी गई थी, किन्तु अब १९५५ में भी उसे स्वीकार करने के सम्बन्ध में कोई चिह्न नहीं है। मद्रास सरकार को कहा गया है कि बारा-मोल योजना क्रियान्वित की जाये। परन्तु इस के पूरा होने में कई वर्ष लगेंगे। मेरा निवेदन है कि कुण्डा योजना को ही पूरा कर दिया जाये।

बेरोजगारी का प्रश्न लीजिये। वित्त मंत्री बड़े शान्त स्वर में कहते हैं कि वह प्रति वर्ष २० लाख व्यक्तियों के लिये रोजगार जुटायेंगे। दक्षिण भारत को अपना उचित हिस्सा नहीं मिलता है। हम उत्तर भारत से बहुत दूर हैं। इंजीनियर्स आते हैं और अपनी योजना प्रस्तुत करते हैं। परन्तु आप बड़ी शान्ति से उत्तर देते हैं 'किसी अन्य योजना को लीजिये। इस प्रकार आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप बेरोजगारी की समस्या का इस प्रकार हल नहीं ढूंढ़ सकते हैं। उत्तर भारत में बिजली पड़ी हुई है किन्तु उस की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें आवश्यकता है किन्तु बिजली उपलब्ध नहीं है। इसलिये दक्षिण भारत में लोग असन्तुष्ट हैं। उन का विचार है कि उत्तर भारत का ही बोल बाला है। इस प्रकार के असन्तोष का अवसर न दीजिये। यदि आप इस योजना का कार्य अभी आरम्भ कर दें तो मद्रास राज्य आप का सदैव कृतज्ञ रहेगा। एक बात और है। मद्रास में एक शिल्प विज्ञान संस्था है। यह एक उच्च टैक्नीकल संस्था है। अब मालूम हुआ है कि इसे बम्बई में स्थापित किया जा रहा है। मद्रास सरकार केन्द्रीय सरकार को इस आशय का संवाद संप्रेषित कर रही है कि मद्रास की वर्तमान टैक्नीकल संस्था एक आधारभूत का रूप धारण कर सकती है। नई संस्था पर चार करोड़ रुपये व्यय करने की अपेक्षा यदि इसी पर कुछ लाख रुपये व्यय किये जायें तो यह प्रमुख केन्द्र बन सकता है। वहां पर २५० विद्यार्थियों के लिये उत्तम कोटि के छात्रावास हैं। मेरा विश्वास है कि मद्रास सरकार की प्रार्थना पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में बेरोजगारी का निवारण करने के लिये २०० करोड़

रुपयों की मांग प्रस्तुत की गई थी और २,००० करोड़ रुपयों के अन्तिम लक्ष्य के सम्बन्ध में अभी आप को २०० करोड़ रुपयों की कमी पड़ रही है। यदि आप को अतिरिक्त रकम दे दी जाये तो भी आप बेरोजगारी दूर नहीं कर सकेंगे। इन सब का कारण केन्द्र द्वारा असाधारण विलम्ब ही है। यदि आप शीघ्र कोई कार्यवाही करें तो आप थोड़ा संतोष प्रदान कर सकेंगे।

श्री पोकर साहेब (मलप्पुरम्) मैं इस बात की सराहना करता हूं कि माननीय वित्त मंत्री ने अपना बजट अंग्रेजी भाषा के साथ साथ हिन्दी में भी प्रस्तुत किया है। मेरी आशा है कि भविष्य में भी यह नीति जारी रहेगी। ४९९ सदस्यों में से अधिकांश हिन्दी भाषा से अपरिचित हैं। यह बात सही है कि संविधान द्वारा हिन्दी राजभाषा स्वीकार कर लेने पर प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य है कि वह इसे व्यावहारिक करने का यथासम्भव प्रयत्न करे। परन्तु सरकार को यह बात याद रखनी चाहिये कि सदन में निर्वाचित सदस्यों को भी अपने कर्तव्य की पूर्ति करनी है। उन का कर्तव्य है कि वे प्रत्येक बात को सुनें और समझें। प्रत्येक सदस्य का यह मूलभूत अधिकार है।

मेरा निवेदन है कि जो माननीय सदस्य यहां हिन्दी में भाषण देते हैं उन के अंग्रेजी अनुवाद का प्रबन्ध किया जाये, इसी प्रकार अंग्रेजी भाषण का भी हिन्दी में साथ-साथ अनुवाद हो। इस के अतिरिक्त प्रत्येक सदस्य के लिये एक एक 'ईयर-फोन' का भी प्रबन्ध होना चाहिये। ताकि सदस्य दूसरे भाषणों की प्रक्रिया को भी समझ सकें।

मेरे पास जो थोड़ा समय है उस में मैं केवल दो बातों की ओर निर्देश करूंगा। पहली बात सरकार की भूमि सम्बन्धी नीति है। यह सर्वथा अनिवार्य है कि किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार द्वारा अधिकृत भूमि का क्षेत्र निर्धारित होना चाहिये। कल के विधेयक में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण उपबन्ध था कि संसद् को इस प्रकार के विधान बनाने का अधिकार है कि निश्चित सीमा से अधिक भूमि प्रतिकर दिये बिना भी राज्य द्वारा ली जा सकती है। मेरा विश्वास है कि यह सही नीति नहीं है। और प्रतिकर देने का समुचित उपबन्ध होना चाहिये। प्रधान मंत्री कहते हैं कि यह असम्भव है। मैं समझता हूं यह असम्भव नहीं है। इस प्रकार का एक उपबन्ध रक्खा जा सकता है कि किसी व्यक्ति विशेष से ली गई अतिरिक्त भूमि को भूमिहीन व्यक्तियों में वितरित कर दी जाये। इस तरह का भी एक उपबन्ध बनाया जा सकता है कि भूमि की कीमत अनेक वर्षों में सहज किस्तों द्वारा वसूल की जा सकती है। इस तरह असली स्वामी का मूलभूत अधिकार सुरक्षित रहेगा।

मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र से सम्बन्धित दो विषयों का निर्देश करूंगा। प्रथम, सरकार से मेरा निवेदन है कि हरानद और मलाबार के वल्लापनद तालुकों में कुछ कागज उद्योग स्थापित किये जायें। वहां बहुत अधिक बेरोजगारी है। उद्योगों के लिये यह बहुत अच्छा क्षेत्र है। इस क्षेत्र में अधिकांश निर्धन व्यक्ति रहते हैं और कृषि तथा भूमि धारण का प्रश्न वहां अत्यन्त जटिल है।

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा (हज़ारीबाग पूर्व) : कुछ भी निवेदन करने के पूर्व मैं माननीय वित्त मंत्री को उन के इस महत्वकांक्षी बजट के लिये बधाई देता हूं। बजट की वास्तविक कसौटी यह है कि विकास कार्यक्रमों से २९ करोड़ ग्रामीण जनता को क्या क्या लाभ पहुंचे हैं और वे कहां तक ये अनुभव करते हैं कि योजनाओं के लाभ तथा कार्यक्रम का उन के जीवन से कहां तक प्रत्यक्ष सम्बन्ध है। जीवन और जगत की हलचल

[श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा]

से दूर ग्राम्य जनता को केवल इतना ही चाहिये कि कार्यक्रमों का उनके यथार्थ जीवन से कितना सम्बन्ध है । मैं अर्थशास्त्री नहीं हूं परन्तु मैं बजट की परीक्षा उसी माप्दण्ड के आधार पर करूंगा जिस पर गांवों में हमारी परीक्षा की जाती है ।

इस आय-व्ययक का सर्वप्रथम प्रभाव यह पड़ा है कि कर सम्बन्धी प्रस्थापनाओं से मध्यम वर्ग को बहुत हानि हुई है । हम दो विचारधाराओं के युग में रह रहे हैं । अतः सहजीवन या सहनाश ही हमारे समक्ष हैं । इसीलिये दरिद्र और धनाड्य दो ही वर्ग रह जायेंगे और मध्य वर्ग को समाप्त किया जा रहा है । मध्य वर्ग ही समाज की रीढ़ की हड्डी है और उसी पर आघात हुआ है ।

१९५३–५४ में राज्य और केन्द्रीय सरकारों ने लगभग ११७० करोड़ रुपये व्यय किये हैं । निस्सन्देह लोक व्यय में वृद्धि हुई है परन्तु अविकास कार्यों में भी स्पष्ट वृद्धि हुई है । इन पांच वर्षों में जितनी कुल राशि विकास कार्यों पर व्यय के लिये नियत की गई थी परन्तु उस में से हमें जितनी राशि इन कार्यों पर व्यय करनी चाहिये थी वह हम नहीं कर पाये । क्या इस से यह प्रतीत नहीं होता कि प्रशासन व्यवस्था में कहीं कुछ गड़बड़ अवश्य है ? वित्त मंत्री ने भी एक बार कहा था कि प्रशासन व्यवस्था को सुधारने की आवश्यकता है । यदि अविकास के कार्यों पर व्यय होता है तो लक्ष्य को पूरा करने में जो विलम्ब होता है उसे कैसे स्पष्ट किया जा सकता है ? मेरा माननीय वित्त मंत्री से निवेदन है कि वे इस बात की जांच करें और बतायें कि इस असंगति को दूर करने के लिये प्रशासन व्यवस्था में क्या सुधार करने का विचार है ।

कुटीर उद्योग और छोटे पैमानों के उद्योगों के सम्बन्ध में ढोल पीटा जा रहा था । परन्तु उन के साथ सौतेली मां का सा सलूक हो रहा है । यदि आप उन स्थानों पर जायें जहां धन राशि व्यय की जा रही है और जिन स्थानों पर अनावृष्टि के कारण लोग भूखों मर रहे हैं, तो वे लोग आप को बतायेंगे कि यदि उन्हें ५०० रुपये ही दे दिये जायें तो वे कुछ काम कर सकते हैं । मुझे ऐसे लोगों के अभ्यावेदन मिले हैं जिन्हें दो तीन सौ या पांच सौ रुपये की अत्याधिक आवश्यकता है । यदि कुटीर उद्योग और छोटे पैमाने के उद्योगों में कुछ कार्य किया गया होता तो हमारी स्थिति में अवश्य सुधार होता और बहुत सीमा तक बेरोजगारी कम हो जाती ।

अन्त में मेरी प्रार्थना है कि मेरे सुझाव पर विचार किया जाये ।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं । जो लोग छोटे पैमाने के उद्योग आरम्भ करना चाहते थे उन्होंने अपने आवेदन पत्र किस के पास भेजे थे ।

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा : जिला हजारीबाग में गिरदीह के मेरे उपविभाग में बिहार सरकार ने एक परिपत्र परिचालित किया था जिस के उत्तर में सैंकड़ों ग्रामीण लोगों ने छोटे छोटे कार्यों के लिये अर्थसहायता के हेतु प्रार्थना पत्र भेजे थे परन्तु एक वर्ष बीत गया है और अभी तक उन्हें कोई सहायता नहीं मिली ।

श्री वेलायुधन (क्विलोन व मावेलिक्कारा–रक्षित–अनुसूचित जातियां) : स्वतन्त्रता प्राप्त होने के पश्चात् यही वह आयव्ययक है जिस पर न केवल संसद् के सदस्य वरन् बाहर के सभी लोग बहुत आशायें लगाये बैठे थे । कारण यह है कि सत्ताधारी कांग्रेस दल के अपने हाल के मद्रास सत्र में एक संकल्प पारित किया गया था जिस में यह घोषणा की गई थी कि उस का उद्देश्य समाज की समाजवादी व्यवस्था है ।

परन्तु मुझे कुछ निराशा हुई है क्योंकि इस आय-व्ययक में भूत के आय-व्ययक की अपेक्षा कोई अन्तर नहीं है । राष्ट्र के जीवन में भी हमें उसी प्रकार की सफलता प्राप्त करनी है जैसी अप्रत्याशित सफलता हम ने अन्तर्राष्ट्रीय जीवन में प्राप्त की है । अतः हमें अधिक शीघ्र परिवर्तन करने होंगे ।

गत दो वर्षों में एक राजनैतिक बात यह पैदा हुई है कि गत सामान्य चुनावों में यद्यपि कांग्रेस दल को कुछ असफलता भी हुई परन्तु वह देश का सब से बड़ा राजनैतिक दल बन गया है । हम विरोधी पक्ष वालों को असफलता हुई परन्तु हम कांग्रेस दल के लोगों का हृदय जीत लेने का श्रय देते हैं, जिस दल के नेता विश्व के नेता बन चुके हैं ।

देश के आन्तरिक जीवन में लोगों की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, रोगों की समस्या और निरक्षरता की समस्या आदि का बहुत बड़ा काम है । निस्सन्देह हम ने इन के हल के लिये आधारों का उपबन्ध किया है परन्तु लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदनों से पता लगता है कि बहुत अधिक व्यय व्यर्थ हुआ है । इस प्रशासनीय फजूलखर्ची के बारे में यह कोई पहली बार नहीं कहा जा रहा है, कई बार इस पर चर्चा हो चुकी है । मुझे खेद है कि वित्त मंत्री ने इस रोग का कोई अचूक निदान नहीं किया । निस्सन्देह स्वतन्त्रता के प्राप्ति तक देश की कुछ परम्परा बन चुकी थी और पुरानी परम्परा छोड़ कर नई परम्परा का आश्रय लेना बहुत कठिन है परन्तु फजूल खर्ची को कम करने के लिये अधिक सख्त उपाय अपनाये जा सकते थे । यह फजूलखर्ची न केवल केन्द्र में हो रही है परन्तु राज्यों के आय-व्ययक में भी हो रही है और सरकारी पदाधिकारी भी सहयोग नहीं दे रहे हैं ।

मेरे त्रावनकोर-कोचीन राज्य को एक बार नहीं वरन् कई बार आपातकाल में से गुजरना पड़ा है और वहां बेरोजगारी के कारण अनिश्चित स्थिति पैदा नहीं हुई वरन् अत्याधिक निराशा के कारण यह स्थिति पैदा हो गई है जिस के लिये वहां के सभी दल उत्तरदायी हैं । वहां की समस्यायें केवल आर्थिक नहीं है वरन् मनोवैज्ञानिक भी हैं । इस का उपचार उस ढंग में नहीं है जिस ढंग पर वह राज्य प्रगति कर रहा है । इस के लिये मेरे राज्य की पूरी सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था की पूर्ण जांच की आवश्यकता है । हमारे देश में यदि कोई ऐसा राज्य है जिस में समाजवादी व्यवस्था के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है, तो वह त्रावनकोर-कोचीन का प्रगतीशील राज्य ही है । भारत के एक प्रख्यात वैज्ञानिक ने मुझे कहा था कि यदि त्रावनकोर-कोचीन का प्रशासन उस के हाथ में दे दिया जाये तो वह पांच वर्ष में ही उस में परिवर्तन कर सकते हैं ।

श्री सी० डी० देशमुख : क्या माननीय सदस्य उस प्रख्यात अर्थशास्त्रज्ञ का नाम बता सकते हैं ?

श्री वेलायुधन : वे प्रख्यात वैज्ञानिक तो अब नहीं रहे । परन्तु उन का नाम न बताते हुए मैं यह अवश्य कहूंगा कि त्रावनकोर-कोचीन की समस्या विशेष समस्या है । उस राज्य में अत्याधिक बेरोजगारी है और सभी राजनैतिक दल उस का लाभ उठा रहे हैं । यदि भारत सरकार और वित्त मंत्री इस राज्य के सम्बन्ध में कुछ और अभिरुचि दिखायें तो यह समस्या हल हो सकती है । भारत में हरिजनों के हितों के सम्बन्ध में मैं कुछ कहना चाहता हूं । प्रधान मंत्री ने नागपुर में कहा था कि भारत के समक्ष जातिवाद और साम्प्रदायिकता को दूर करने की समस्या है । उन्हें आशा है कि भारत के लोग इस प्रकार का भेदभाव छोड़ देंगे । परन्तु जब तक उच्च और निम्न की स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा तब तक ऐसी स्थिति की संभावना नहीं

[श्री वेलायुधन]

है । भारत इस क्षेत्र में भी अन्य देशों का पथ प्रदर्शन कर सकता है । राष्ट्रपति बार बार इस के लिये अनुरोध किया करते थे परन्तु कोई प्रगति नहीं हो सकी । अनुसूचित जातियों के हृदय में बहुत विरोध की भावना फैली हुई है । आंध्र में यही लोग थे जिन्होंने साम्यवादियों या समाजवादियों की सहायता की थी । इन्होंने ही त्रावनकोर-कोचीन में विरोधी पक्ष बनाया था । परन्तु अब ऐसा समय आ रहा है कि हम स्वयं यह अनुभव करते हैं कि वास्तविक नेतृत्व कौन कर सकता है । समाजवादी व्यवस्था से हम ही लोगों को अन्य सब की अपेक्षा अधिक लाभ होना है ।

कुमारी एमी मैस्करीन (त्रिवन्द्रम) गत आठ वर्ष के वित्तीय प्रशासन में इतनी वित्तीय असंगतियां देखी गई हैं कि वित्तीय व्यवस्था के कुप्रबन्ध और राष्ट्र को धोखा देने की प्रवृत्ति के कारण देश भर का कोई काम होने की बजाय हानि ही हुई है । मैं तथ्यों और आंकड़ों द्वारा अपनी बात को सिद्ध करूंगी । गत आठ वर्षों में सामान्य प्रशासन और रेलवे प्रशासन की कुल आय ५१११·८ करोड़ रुपये थी और कुल व्यय ४४७९ करोड़ रुपये था । इस से मैं ने यह हिसाब लगाया है कि हमारी प्रति दिन १,८०,००० रुपये आय होती है और १,५५,००० रुपये व्यय किया जाता है । अब मैं माननीय वित्त मंत्री से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि इन आंकड़ों के होते हुए गत तीन या चार वर्षों में घाटे का आय-व्ययक क्यों रहा ? इस के अतिरिक्त हमें ३९३५·२ करोड़ रुपया विदेशी सहायता मिली है ।

अब अपनी सफलताओं को देखिये । मैं इन सफलताओं के महत्व को कम नहीं करना चाहती । शरणार्थियों की समस्या इतनी बड़ी थी कि इंगलैंड जैसे देश को जब ऐसी समस्या का सामना करना पड़ा था तो वे घबरा गये थे । मैं सरकार की इस सफलता पर उन्हें बधाई देती हूं । पश्चिम के कितने ही गणराज्यों को अन्न वस्त्र और आवास की समस्याओं का सामना करना पड़ा है । इस समस्या के हल के महत्व को भी मैं कम नहीं करना चाहती । उत्पादन की वृद्धि के सम्बन्ध में प्रसारण अभिकरण ने ४ जुलाई १९५४ को जो आंकड़े राष्ट्र को बताये थे उन के अनुसार उत्पादन की सूची संख्या १०० से १४४·७ हो गई है और हम शीघ्र ही विश्व के अन्य राष्ट्रों के बराबर उत्पादन करने वाले हैं । परन्तु इस से हमें यह विश्वास नहीं कर लेना चाहिये कि हम ने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया है ।

हमारी नीति संयुक्त आर्थिक व्यवस्था की है और समाजवादी व्यवस्था की स्थापना के लिये गैर-सरकारी क्षेत्रों को शक्तिशाली बनाने के लिये अभिनवीकरण का काम बहुत साधारण गति से हो रहा है । और हम यह भी देख चुके हैं कि लालफीताशाही और अनुचित लाभ उठाने की नीति के कारण समाजवादी व्यवस्था की जड़ काट दी गई है । इस सम्बन्ध में मैं वित्त मंत्री से पूछना चाहती हूं कि रेलवे के सामानों को खरीदने का काम रेलवे मंत्रालय को क्यों नहीं सौंप दिया जाता। रेलवे के ९ ००० करोड़ रुपये के सामान खरीदने के उत्तरदायित्व को रेलवे मंत्रालय को न दे कर निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्रालय को क्यों दे दिया गया है । यह एक सन्देहात्मक बात है । इसी प्रकार और बहुत सी बातों को देखते हुए नये करों का लगाना उचित नहीं है ।

वित्तीय प्रशासन का सबसे बड़ा दोष यह है कि लेखा विभाग के नियंत्रण और देखभाल की ठीक व्यवस्था नहीं है । मुद्रा और वित्त प्रतिवेदन में भी झूठे लेखों के बहुत से मामलों का वर्णन है । औद्योगिक उत्पादन के सम्बन्ध

में लेखों में काफी गड़बड़ी और अनौचित्य है । अतः मैं वित्त मंत्री से पूछना चाहती हूं कि भारत के रक्षित बैंक के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में वे इस सभा को क्या उत्तर दे सकते हैं ? मुझे आशा है कि वह इस की जांच कर के स्पष्टीकरण प्रस्तुत करेंगे । यदि उन्हें कुछ व्यक्तियों में त्रुटि दिखाई देती है तो इस का परिणाम वे व्यक्ति ही भोगें । निर्धन व्यक्ति पर इस का भार क्यों थोपा जाये । यह देश वासियों के लिये भ्रामक है ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों को चाहिये कि वह वित्त मंत्री के समक्ष कुछ आंकड़े प्रस्तुत करें अन्यथा इन आरोपों का कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता है ।

श्री सी० डी० देशमुख : उन्हों ने एक पत्र पहले ही मेरे पास भेजा है ।

कुमारी एनी मैस्करीन : मैं ने एक नहीं प्रत्युत तीन पत्र भेजे हैं और उन में तथ्य तथा आंकड़े दिये गये हैं । उन्हों ने इन का उत्तर नहीं दिया है अतः मैं इस विषय को सभा के सामने प्रस्तुत कर रही हूं ।

राष्ट्र निर्माणकारी योजनाओं पर पूंजी व्यय का असमान वितरण आश्चर्यजनक होने के साथ ही सर्वथा अन्यायपूर्ण है । उत्पादन मंत्रालय ने उर्वरक, नमक, कोयला, केवल आदि उद्योगों में जो करोड़ों रुपयों की पूंजी का विनियोग कर रखा है वह सब उत्तर भारत में है और दक्षिण भारत शोषित है, वह औद्योगिक दृष्टि से भग्न है और अलग होने के लिये तैयार है । अकेले उत्पादन मंत्रालय ने ३४५ रुपयों की पूंजी विनियोग कर रखी है जिस में केवल ३० करोड़ रुपये मैसूर में विनियोजित हैं । हम ने लगभग ९ अरब ४५ करोड़ रुपये पूंजी व्यय के रूप में विनियोग कर रखे हैं । और दक्षिण भारत का इस में कोई हिस्सा नहीं है ।

प्रादेशिक असमानताओं की बात छोड़ कर मैं पूछना चाहती हूं कि पिछले तीन वर्षों से घाटे का बजट रखते हुए, पूंजी व्यय में १० अरब रुपये से अधिक विनियोग करने, निश्चित अर्थ-व्यवस्था की नीति का अनुसरण करने, बेरोजगारी की समस्या हल करने अथवा जीवन स्तर ऊंचा उठाने में क्या स्वाभाविक लाभ प्राप्त हुए हैं । प्रति व्यक्ति आय का नवीनतम आंकड़ा पांच व्यक्तियों के एक परिवार के लिये ११ आने ९ $^{1}/_{3}$ पाई प्रति दिन है । योजना आयोग ने बेरोजगारी की जांच के लिये जो समिति नियुक्त की थी उस का प्रतिवेदन भ्रमपूर्ण और पूर्णतः आच्छादन है । उस में केवल भाग क राज्यों के शिक्षित बेरोजगारों का ही वर्गीकरण किया गया है त्रावनकोर-कोचीन के बारे में अलग जांच के लिये कहा गया है ।

वित्त मंत्री के समक्ष मैं कुछ अनियमिततायें प्रस्तुत करती हूं । हमारे गणतन्त्र का वित्तीय प्रशासन कितना पतनोन्मुख हो गया है । इस का एक उदाहरण यह है कि वित्त मंत्रालय द्वारा १९५४ में प्रकाशित आंकड़ों में यह २६५ रुपये दी गई है अर्थात् ११ आने ९ $^{1}/_{3}$ पाई जब कि भारत की राष्ट्रीय आय डा० वी० के० आर० वी० द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार ३९० रु० है । १९२९ में प्रति व्यक्ति आय ३९० रुपये थी । गणतन्त्र के उद्भव के पश्चात् जब कि हमने इतनी अधिक पूंजी नियोजित की है और इतनी अधिक विदेश-सहायता प्राप्त की है तब प्रति व्यक्ति आय २६५ रुपये है । १९५२, १९५३ और १९५४ के लिये आंकड़े क्रमशः ११५३·९ १०३४·२ और ९५९·१ हैं । औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई है, आयात घटे हैं निर्यात की कमी आयात की कमी से आनुपातिक नहीं है और यह सब होते हुए भी मूल राजस्व १९५२ में १२०१·४, १९५३ में

[कुमारी एनी मैस्करीन]

१०३७·५ और १९५४ में ९७१·१ है। मूल राजस्व में शनैः शनैः कमी हो रही है।

मुझे इस तथ्य की ओर संकेत करने में दुःख होता है कि हमारी वित्त-व्यवस्था सही नहीं है। राष्ट्रीय आय अप्रत्यक्ष साधनों द्वारा अप्रयुक्त की जा रही है, करदाता पर हर वर्ष बोझ बढ़ाया जा रहा है और अब वित्त मंत्री नवीन करारोपण वाला वित्त विधेयक प्रस्तुत कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में जितना कम कहा जाये उतना ही अच्छा है। प्रति व्यक्ति आय १९२९ में ३९० रुपये से १९५१ में २६५ रुपये रह गई है। मुझे विश्वास है कि माननीय वित्त मंत्री मेरे पत्रों का उत्तर देंगे।

इस के पश्चात् लोक-सभा, गुरुवार, १७ मार्च, १९५५ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

GIPD—HS—707 LSD—19-9-55—240